Wednesday, 02 March, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 51 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12—बुधवार, 2 मार्च 1966/11 फाल्गुन, 1887 (शक)

No. 12—*Wednesday, March* 2, 1966/*Phalguna* 11, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
297	रिक्शा चलाना	Rickshaw-Pulling . .	3925–28
298	अनुसंधान के लिए उद्योग पर शुल्क	Levy on Industry for Research .	3928–31
299	ढोरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Dhori Colliery .	3931–34
300	खम्भात तेल क्षेत्र में तरल ईंधन	Liquid Fuel from Cambay Oilfield	3934–36
* 301	रूस से मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल का आयात	Import of Kerosene and Diesel Oil from U.S.S.R. . . .	3936–37
302	दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	Consumer Price Index Numbers for Delhi	3937–38

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
303	कैरों हत्या कांड	Kairon Murder Case . .	3939
304	दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का पुनर्वास कार्यक्रम	Rehabilitation Programme of Dandakaranya Development Authority	3939
305	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना	Settlement of Migrants in Andaman and Nicobar Islands . .	3940
306	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	Banaras Hindu University .	3940–41
307	उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद	U.P.-Bihar Boundary Dispute .	3941
308	कोट्टयम में श्री नम्बूदिरीपाद का वक्तव्य	Statement by Shri Namboodiripad at Kottayam . . .	3941–42
309	दिल्ली में कार/स्कूटर की चोरियां	Car/Scooter Thefts in Delhi .	3942
310	बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक बैठकें	Communal Meetings in Banaras Hindu University . .	3942
311	दक्षिणी राज्यों में तूफान से हुई क्षति	Damage done by Cyclone in the Southern States . . .	3943–44
312	गंधक के तेजाब का कारखाना	Sulphuric Acid Plant . .	3944

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
314	पाकिस्तान में गुरुद्वारें	Gurdwaras in Pakistan	3944
315	भारत के मानचित्र	Maps of India . .	3945
316	बिहार में गन्धक और पाइराइट का उत्पादन	Production of Sulphur and Pyrites in Bihar	3945
317	संथानम समिति की सिफारिशें	Santhanam Committee's Recommendations	3945–46
318	हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements at Airport	3946–47
320	तराई के सिखों की शिकायतें	Complaints of Sikhs of Terai .	3947
321	केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड	Central Advisory Board of Education	3947
322	वाल्काट	Walcott	3948
323	मनीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में जांच	Enquiry into Police Firing in Manipur	3948
324	पुलिस थाने में कथित मार के कारण एक आदमी की मृत्यु	Alleged beating to death of a man at Police Station . . .	3948–49
325	औद्योगिक विराम सन्धि सम्बन्धी संकल्प	Resolution on Industrial Truce .	3949
326	त्रिपक्षीय समितियां	Tripartite Committees . .	3949–50

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1316	विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of Special Police Officers	3950
1317	कोयम्बतूर में कपड़ा मिलों में हड़ताल	Strike in Textile Mills in Coimbatore	3950
1318	केरल में जूनियर कालेज	Junior Colleges in Kerala . .	3950–51
1319	कोट्टयम में किसानों की गिरफ्तारी	Arrest of Peasants in Kottayam .	3951
1320	केरल में पुलिस के कांस्टेबलों के लिये यात्रा भत्ता	T.A. to Police Constables in Kerala	3951–52
1321	केरल साबुन संस्था	Kerala Soap Institute .	3952
1322	अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेल	All-India National Games . .	3952–53
1323	लाहौर से प्रकाशित होने वाला उर्दू डाइजेस्ट	Urdu Digest of Lahore . .	3953
1324	डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों का वेतन	Salaries of Extra Departmental Employees in P. & T. Deptt. .	3953–54
1325	डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान	Gratuity to Extra-Departmental Employees of P. & T. Deptt. .	3954
1326	भारतीय श्रम सम्मेलन	Indian Labour Conference	3955
1327	ज्ञान सरोवर का प्रकाशन	Publication of 'Gyan Sarovar' .	3955
1328	पत्रकारों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Journalists .	3956

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1329	पदने (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange, Padne (Kerala)	3956
1330	पदने का शाखा डाकघर	Padne Branch Post Office	3956
1331	मद्रास सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	Retirement Age of Madras Government Employees	3956-57
1332	पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons from East Pakistan	3957
1333	अंन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संसाधनों का विकास	Development of Resources of Andaman and Nicobar Islands	3957
1334	राजघाट के निकट खेलगांव	Khelgaon near Rajghat	3957-58
1335	शार्क लिवर तेल परिष्करण कारखाना	Shark Liver Oil Refinery	3958
1337	वैज्ञानिकों के लिए होस्टेल	Hostel for Scientists	3958
1338	डा० माखनलाल चतुर्वेदी की चिकित्सा	Treatment of Dr. Makhan Lal Chaturvedi	3959
1339	अचल सम्पत्ति पर कर	Tax on Immovable Property	3959
1340	नंगल उर्वरक कारखाने से गैस का दिया जाना	Supply of Gas from Nangal Fertiliser Factory	3959
1341	पंजाब में प्रयोगशालायें	Laboratories in Punjab	3960
1342	क्रीड टेलीप्रिंटर मशीनों के पुर्जे	Spare Parts of Creed Teleprinter Machines	3960
1343	केन्द्रीय तार घर, नई दिल्ली में समयोपरि (ओवर टाइम) भत्ता	Overtime in C.T.O., New Delhi	3960-61
1344	केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली	C.T.O., New Delhi	3961-62
1345	केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली	C.T.O., New Delhi	3962
1346	भारत का आवृतियों (फ्रिक्वेंसीज) से वंचित रहना	Loss of Frequencies to India	3963
1347	नागालैण्ड में गुप्त ट्रांसमीटर	Secret Transmitter in Nagaland	3963
1348	प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का योग	Workers Participation in Managements	3963
1349	दूसरा सीमेंट मजूरी बोर्ड	Second Cement Wage Board	3963-64
1350	बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Power Industry	3964
1351	चाय बागानों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Tea Plantations	3965
1352	दिल्ली में बेरोजगारी	Unemployment in Delhi	3965
1353	केरल में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी	P.W.D. Workers in Kerala	3965-66
1354	पंजाब में टेलीफोन का लिय और टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Offices and Exchanges in Punjab	3966-67

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1355	कलकत्ता में टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills in Calcutta	3967
1356	हिन्दी के टेलिप्रिंटर का निर्माण	Manufacture of Hindi Teleprinter	3968
1357	बोनस का भुगतान	Payment of Bonus . .	3968
1358	देवनागरी लिपि में तार	Telegrams in Devanagri Script .	3969
1359	बागान उद्योग में रोजगार	Employment in Plantation Industry	3969
1360	ढोरी कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Dhori Colliery . .	3969-70
1361	बोनस अधिनियम, 1965	Bonus Act, 1965.	3970
1362	राइफल ट्रेनिंग	Rifle Training . .	3970
1363	भारत में सहायक (सैटेलाइट) संचार व्यवस्था की स्थापना	Introduction of Satellite communication system in India . .	3970-71
1364	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था	National Oceanography Institute	3971-72
1365	डाक विभाग की डाक और पार्सलों की दरें	Rates of Postal Mails and Parcels.	3972
1366	केरल के त्रिचर जिले में टाईल के कारखाने	Tile Factories in Trichur District, Kerala	3972
1367	शिक्षित लोगों की बेरोजगारी	Unemployment among the Educated	3972-74
1368	अन्तमंत्रालय समिति	Inter-Ministerial Committee .	3974
1369	राष्ट्रमंडल की समुद्री तार का सिंगापुर भारत का विस्तार	Extension of Commonwealth Marine Cable from Singapur to India	3975
1370	बन्दरगाहों में उदवभरक (स्टेवडोर) व्यवस्था	Stevedore System in Ports .	3975
1371	ग्रामीण रोजगार दफ्तर	Rural Employment Bureau . .	3975
1372	भारतीय अधिवक्ता अधिनियम का पाण्डिचेरी में लागू किया जाना	Extension of Indian Advocates Act to Pondicherry . .	3976
1373	हिमालय विकास संबंधी गोष्टी	Seminar on Himalayan Development	3976-77
1374	कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली का विकास	Development Kalkaji Colony, New Delhi	3977-78
1375	राजभाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा	Regional Language as Official Language	3978
1376	मुस्लिम मजलिसे मुशावरत	Muslim Majlis-e-Maushavrat	3978-79
1377	दिल्ली में नृत्य प्रशिक्षण शाखाएं	Dance Schools in Delhi	3979
1378	दिल्ली की ईदगाह की मर्यादा भंग	Sacrilege of Delhi Idgah .	3979
1379	मूर्तीचोरी का अन्तर्राज्यिक गिरोह	Inter-state Gang of Image Thieves	3980
1380	दिल्ली के स्कूलों में खलकूद की सुविधाये	Facilities for sports in Delhi Schools	3980

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
1381	पाकिस्तानी और चीनी जासूस	Pak and Chinese Spies .	3980
1382	आदूर, केरल का सब-इन्सपेक्टर	Sub-Inspector, Adoor, Kerala .	3980–81
1383	त्रिपुनीथरा में छात्रों पर लाठी चलाया जाना	Lathi-charge on Students in Trippunithra	3981
1384	आपत्तिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) की परीक्षा	Emergency I.A.S. Examination .	3981
1385	केरल तथा अन्य राज्यों में हिन्दी माध्यम वाले कालेज	Hindi Medium College in Kerala and other States . . .	3981–82
1386	दिल्ली में राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल	Aided Schools in Delhi .	3982
1387	लक्काद्वीव तथा मिनिकाय द्वीप-समह का पुनः नामकरण	Renaming of Laccadive and Minicoy Islands	3982
1388	राज्यों में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order Situation in State	3983
1389	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Compulsory Primary Education	3983
1390	तरल पैट्रोलियम गैस	Liquified Petroleum Gas . .	3984
1391	विश्व हिन्दू धर्म सम्मेलन	World Hindu Religion Conference Delhi	3984
1392	राजनैतिक दलों की संख्या में वृद्धि	Multiplicity of Political Parties	3984–85
1393	ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिये कक्ष	Room for Preservation of Historical Records . . .	3985
1394	राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् को मान्यता देना	Recognition of the National Council for Rural Higher Education	3985
1395	स्वतन्त्र पार्टी के नेता द्वारा काश्मीर के बारे में सुझाव	Suggestion on Kashmir by Swatantra Party Leader . . .	3985–86
1396	भारत-पाक सम्बन्धों पर मास्टर तारा-सिंह के विचार	Master Tara Singh's Views on Indo-Pak Relations . .	3986
1397	नजरबन्द साम्यवादियों को परिवार भत्ता	Family Allowances to Communist Detenus	3986–87
1398	उत्तर प्रदेश में बहु-प्रयोजनीय स्कूल	Multipurpose Schools in U.P. .	3987
1399	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये छात्र-वृत्तियां	Scholarships to Scheduled Castes, Backward Classes in U.P. .	3987
1400	उत्तर प्रदेश में संस्कृत का विकास	Development of Sanskrit in U.P.	3987–88
1401	प्रादेशिक भाषायों में गौरव ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Classics in Regional Languages into Hindi . .	3988

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1402	पंजाब में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for P. & T. Employees, Punjab	3988
1403	सरकारी पदाधिकारियों की संख्या	Strength of Government Officers	3988
1404	पंजाब में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory in Punjab .	3989
1405	पंजाब में पुलिस के लिये आवास योजना	Police Housing Scheme in Punjab	3989
1406	अध्यापकों के वेतन तथा उपलब्धियां	Pay and Emoluments of Teachers	3989
1407	सूती कपड़ा उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Cotton Textile Industry	3989–90
1408	राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Charges against Rajasthan Chief Minister	3990
1409	दिल्ली के कालेजों में दो पारी (शिफ्ट) की व्यवस्था	Double Shift System in Delhi Colleges	3990
1410	मजूरी सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप	Steering Group of Wages .	3991
1411	अन्तर्देशीय पत्र	Inland Letters . .	3991
1412	औद्योगिक विकास	Industrial Development . .	3991
1413	विभिन्न जातियों के पिछड़े वर्गों की महिलायें	Women Members of Backward Classes of Various Communities	3992
1414	शिक्षण संस्थायें	Educational Institutions .	3992
1415	कोलार स्वर्ण खानों में हड़ताल	Strike in Kolar Gold Fields .	3992–93
1416	वाणिज्य तथा पबन्ध में अनुसंधान	Research in Commerce and Management	3993
1417	निःशुल्क स्कूल पाठ्य पुस्तकें	Free School Text Books . .	3993
1418	उड़ीसा में तकनीकी संस्था	Technical Institute in Orissa	3994
1419	उड़ीसा में टेलीफोन	Telephone Connections in Orissa	3994
1420	उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchanges in Orissa .	3994–95
1421	उड़ीसा में डाकखाने	Post Offices in Orissa	3995
1422	बिना लाइसेंस के रेडियो	Pirate Radio-sets .	3995–96
1423	मोजम्बिक से लौटाये गये भारतीय	Repatriates from Mozambique .	3996–97
1424	दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला की मरम्मत	Repairs of Jama Masjid and Red Fort, Delhi	3997–98
1425	केन्द्रीय सरकार में उड़ीसा सरकार के अधिकारी	Orissa Government Officers in Central Government . .	3998
1426	विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages of Workers in Various Industries . . .	3998
1427	पुरस्कृत हिन्दी पुस्तकें	Hindi Books Rewarded	3999

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1428	श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री को भत्ता	Allowances for Shrimati Lal Bahadur Shastri . . .	3999
1429	विज्ञान मन्दिर योजना के अन्तर्गत प्रयोगशालायें	Laboratories under Vigyan Mandir Scheme	3999
1430	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सायंकालीन कक्षायें	Correspondence Courses and Evening Colleges for University Education	4000
1431	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद	Mysore-Maharashtra Border Dispute	4000
1432	दिल्ली में अवैतनिक मजिस्ट्रेटों को नियुक्ति	Selection of Hony. Magistrates in Delhi	4000
1433	दिल्ली प्रशासन व्यय में कमी करना	Economy in Delhi Administration	4001
1434	गंधक के तेजाब का मूल्य	Price of Sulphuric Acid . .	4001
1435	गंधक के तेजाब का मूल्य	Price of Sulphuric Acid . .	4002
1436	त्रिपुरा सम्बन्धी जनगणना प्रतिवेदन	Census Report for Tripura . .	4002
1437	केरल राज्य में भाषा अध्यापक	Language Teachers in Kerala State	4002
1438	टेलीफोन कनेक्शनों का काट दिया जाना	Disconnection of Telephones .	4003
1439	बट्टे खाते में डाला गया टेलीफोन राजस्व	Telephone Revenue Written off .	4003
1440	बदजाना कोयला खान में दुर्घटना	Accident in Badjana Colliery	4003
1441	बेरोजगारी साइन्स स्नातक	Unemployed Science Graduates .	4004
1442	त्रिपुरा में रोगी नजरबन्द व्यक्ति	Ailing Detenus in Tripura	4004
1443	त्रिपुरा के छात्रों को वजीफा	Stipends to Tripura Students . .	4004–05
1444	रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति	Employed and Unemployed Educated persons. . . .	4005
1445	विदेशी तथा देशी शराब की खपत	Consumption of Foreign and Country liquor . . .	4005–06
1446	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति	Posting of Teachers in Rural Areas of Delhi . . .	4006
1447	श्री सावरकर को चिकित्सा सहायता	Medical Aid to Shri Savarkar .	4006
1448	गृह-कार्य मंत्रालय में अनूसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित अनुभाग	Section of Home Ministry dealing with Scheduled Castes and Scheduled Tribes . . .	4007
1449	भारतीय छात्रों के बारे में यूनेस्को रिपोर्ट	UNESCO Report about Indian Students	4007
1450	भारत और पाकिस्तान के बीच डाक तथा तार सेवायों का फिर से चालू करना	Resumption of P. & T. Services between India and Pakistan .	4008

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1451	बुक पोस्ट के शुल्क में वृद्धि	Increase in Book-post Charges .	4008
1452	डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता	Extra Duty Allowance for Extra Departmental Employees of P. & T. Deptt. . . .	4008–09
1453	करनाल जिले में डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी	Extra Department Employees of Posts and Telegraphs Deptt. in Karnal District . . .	4009
1454	डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये छुट्टी	Leave for Extra Departmental Employees of P. & T. Deptt. .	4010
1455	अभ्रक खानों में बोनस का भुगतान	Payment of Bonus in Mica Mines	4010
1456	केरल आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां	Arrests during Kerala Agitation	4010–11
1457	भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये पत्रकार	Journalists Arrested under D.I.R.	4011
1458	कोयम्बतूर में कताई और बुनाई मिल का बन्द होना	Closure of Spinning and Weaving in Coimbatore . . .	4011
1459	गोरखपुर उर्वरक निगम	Fertilizers Corporation, Gorakhpur	4012
1460	केन्द्रीय स्कूलों में होस्टल	Hostels in Central Schools .	4012
1461	कालिकट तथा एरनाकुलम विश्वविद्यालय	Calicut and Ernakulam Universities	4012–13
1462	पत्तन-न्यास तथा गोदी मजदूर बोर्ड	Port Trusts and Dock Labour Boards	4013
	अवलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	ऐंजल और लंगलेह में सरकारी राजकोषों आदि पर मिजो लोकों द्वारा आक्रमण	Attack by Mizos on Government Tresasuries etc. at Aijal and Lunglah	4013, 4028–33
	ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re: Calling Attention Notices —(Query)	4014, 4020
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	4014–17
	पैरोल पर रिहा सदस्य क सदन में उपस्थित होने के अधिकार क बारे में वक्तव्य— (श्री उमानाथ)	Statement re: Right of Member on Parole to attend House— (Shri R. Umanath)	4017–19
	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
	उन्नासीवां-प्रतिवेदन	Seventyninth Report	4019
	कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
	चवालीसवां प्रतिवेदन	Fortyfourth Report .	4019

विषय		पृष्ठ
	SUBJECT	PAGES
जिन सदस्यों को सदन छोडकर चले जाने के लिये कहा गया था उन्हें वापस लौटने की अनुमति	Permission to Members who were asked to leave the House to return	4020
रेलवे आयव्ययक, 1966-67 सामान्य चर्चा	Railway Budget 1966-67—General Discussion—	
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta .	4021–22
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya . .	4022–23
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	4023
श्री शिवचरन माथुर	Shri Shiv Charan Mathur	4023–24
श्री मानसिंह पृ० पटेल	Shri Man Sinh P. Patel .	4024–25
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee .	4025–26
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra .	4026–27
श्री कृ० ल० मोरे	Shri K. L. More	4027–28
श्री शिंकरे	Shri Shinkre . . .	4028, 4033–35
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma .	4035–36
श्री रा० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary .	4037–38
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh .	4038–39
श्री नि० रं० लास्कर	Shri N. R. Laskar .	4039

2—28 L. S./66

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 मार्च, 1966/11 फाल्गुन, 1887 (शक)
Wednesday, March 2, 1966/Phalguna 11, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रिक्शा चलाना

+

*297. **श्री मधु लिमये :** क्या **श्रम, रोजगार,** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिक्शा चलाने वालों पर रिक्शा (साइकल रिक्शा अथवा हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा) चलाने के बुरे प्रभावों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो रिक्शा चलाना बन्द करने अथवा इसके बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) इस तथ्य के अलावा कि रिक्शा चलाना मानव गौरव के लिए अपमानजनक समझा जा सकता है, सरकार को सलाह दी गई है कि रिक्शा चलाने का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता यद्यपि यह सम्भव है कि अधिक शारीरिक श्रम से रिक्शा चलाने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें अच्छी खुराक नहीं मिलती और जिनका रहने का अच्छा प्रबन्ध नहीं है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं जो कि गंदी बस्तियों के निवासियों को अधिक काम और अस्वास्थ्यकीय वातावरण के कारण आम हो जाती हैं ।

(ख) इसका सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, परन्तु भारत सरकार ने राज्य सरकारों से इस मामले के महत्वपर पत्र-व्यवहार किया है और समय समय पर सुझाव दिए हैं । ये इस प्रकार हैं :—

(i) रिक्शा चलाना बन्द करने के लिए कार्यक्रम (चरणों में) तैयार करना, और इस बीच—

(ii) काम की परिस्थितियों, चिकित्सा जांच आदि के बारे में समुचित विनियमन निर्धारित करना ।

(iii) रिक्शा चलाने वालों की सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देकर मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा शोषण रोकना ।

प्रत्येक राज्य में व्याप्त परिस्थितियों के प्रकाश में, विभिन्न तथ्यों—अर्थात् रिक्शा चलाने वालों को दूसरे रोजगार की व्यवस्था तथा नगरों और अर्ध नगरों में, जहां संचार के सस्त साधनों की भारी मांग है, समाज के गरीब वर्गों के लिए वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था—को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही कर रही हैं ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has stated that rickshaw-pulling may be regarded as derogatory to human dignity. The hon. Ministers often undertake tours on Government expense to Europe, America and Russia which inhabit white people. Have they come across this sort of barberism in countries West of Suez and is it not a fact that such things are prevalent only in countries which inhabit non whites ? May I know whether Government will ban risckshaw-pulling by law in order to preserve human dignity and issue directions to State Governments to the effect that carrying of man by man should be stopped.

Shri Shahnawaz Khan : This problem has been considered many a times. I fully agree with the hon. Member that it is below human dignity to carry a man by another man. Many States have banned hand-pulled rickshaws and no licences are being issued for that purpose. Government are considering to take certain steps by which the number of cycle-rickshaws may be decreased. Another proposal is also being considered that co-operative Societies may be created of rickshaw-pullers and they may be issued licences for auto-rickshaws. We are moving forward in this direction.

Shri Madhu Limaye : May I know whether Government have ascertained the total number of cycle rickshaw pullers or the handpulled rickshaw pullers and if not, whether Government propose to constitute a high level Committee to examine this and to go into the question of giving them assistance?

Shri Shahnawaz Khan : As the matter is under the jurisdiction of States and they are dealing with it, no figures are available with me.

Shri Madhu Limaye : Mr. Deputy. Speaker, my question consists of two parts the first is about the total number of rickshaw-pullers at present, I wanted to know whether Government have this information or not and in the second part it has been asked as to whether Government propose to constitute a high level Committee to examine this and to go into the question of giving them assistance ?

Shri Shahnawaz Khan : I have no figures with me.

Shri Bagri : Mr. Deputy Speaker, if the Minister says that he has no information in reply to every question, then no question will be answered.

श्री स० मो बनर्जी : उन्हें जानकारी इकठ्ठी करनी चाहिए ।

Shrimati Jayaben Shah : May I know whether loans will be given to Cycle rickshaw-pullers if they want to go in for another profession or whether they will be given licences of auto-rickshaws ?

Shri Shahnawaz Khan : Yes Sir, we have written to State Governments that if these people form co-operative and apply for advance for auto-rickshaws, the advance should be given to them.

श्री बालकृष्णन : क्या सरकार ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि रिक्शा खेंचने का कार्य मशीनों द्वारा किया जाये जैसा कि मोटर रिक्शा में ?

श्री शाह नवाज खां : मैं ने अभी कहा है कि हम ऑटो रिक्शा, मोटर साइकल रिक्शा तथा छोटे स्कूटर रिक्शा को अधिक पसन्द करते हैं तथा हमने राज्य सरकारों से कहा है कि इन का प्रयोग बढ़ाया जाय ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The hon. Deputy Minister have told just now that instructions have been issued to State Governments from time to time to hold them medical examination etc. inorder to prevent this inhuman act, I would like to know whether any State Government has enacted any law in this connection or have they given any facilities to those people ?

Shri Shahnawaz Khan : We had issued instructions to State Governments to examine this matter. Some State have issued orders that no fresh licences would be issued in future for cycle rickshaws and some have restricted the issue of licences. This resulted in black marketing and rise in fares. The State Governments then held the opinion that no useful purpose would be served by imposing such restrictions. There is unemployment and these restrictions will involve the rickshaw-pullers as well as the passengers into difficulties. The State Governments, therefore, requested that this matter may be left to them and they will act according to the situations.

Mr. Deputy Speaker : Shri Nath Pai.

Shri Bagri : On a point of order, Sir. It is a basic question.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Minister should resume his seat. I have called Shri Nath Pai.

श्री नाथ पाई : मद्य निषेध का समर्थन करने के लिये सरकार संविधान के निदेशक सिद्धान्तों का आश्रय लती है। उन ही सिद्धांतों में मनुष्य की प्रतिष्ठा का भी समर्थन किया गया है। वस्तुतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी हमारे कई नेताओं ने इस आधार पर रिक्शा में चढ़ने से इंकार कर दिया था कि रिक्शा से मनुष्य की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता है और उन्होंने शिमला में रिक्शा के स्थान पर घोड़े का प्रयोग किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के आधार पर और सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखते हुये आपने रिक्शा की लज्जाजनक सवारी, जिस में एक भारतीय दूसरे भारतीय को खेंचता है, को खत्म करने के लिये, क्या कार्यवाही की है ?

श्री शाह नवाज खां : रिक्शा की दो किस्में हैं—एक में मनुष्य रिक्शा को खेंचता है तथा दूसरी मे रिक्शा को खेंचने के लिये साइकल का प्रयोग किया जाता है। जहां तक पहली किस्म का संबंध है अर्थात जिस में मनुष्य मनुष्य को खेंचता है उसके बारे में बहुत से राज्यों ने हमारी सिफारशों को मान लिया है तथा आदेश जारी कर दिये गये है। परन्तु साइकल रिक्शा का अभी प्रयोग किया जा रहा है और जब तक परिवहन के किसी अन्य सस्ते वैकल्पिक साधन का प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक साइकल रिक्शा .....

श्री नाथ पाई : क्या कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिस के अन्दर सरकार इसे समाप्त करना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप ने इसे समाप्त करने की कोई समय सीमा निर्धारित की है ?

श्री शाहनवाज खां : पहले हमारा प्रस्ताव इसे समय सीमा निर्धारित करके उस के अन्दर समाप्त करने का था। परन्तु राज्य सरकारों ने कहा है कि जब तक परिवहन के किसी अन्य सस्ते वैकल्पिक साधन की व्यवस्था न की जाये, तब तक साइकल रिक्शा का प्रयोग जारी रखा जाय।

Shri Rameshwaranand : The hon. Member has agreed that it is derogatory to pull a man by another man. May I know whether tongas, which are pulled by horses will be encouraged instead of scooter rickshaws?

Shri Shahnawaz Khan : Breeding of a horse is the main problem these days. There is a question of supplying food to the horse, which is too costly. That is why people prefer to use cycle rickshaw. Moreover I may tell you if any body does not own a cycle rickshaw, he takes one at a rent of Rs. 4 to 5 and thus earn live lihood for himself and his family. The question of unemployment is solved in this way.

Shri Rameshwaranand : My question has not been answered. I have said that it is a criminal offence that a man should carry another man. So I wanted to know whether horse-tongas would be encouraged in order to check this evil. He says that there is no food for the horse. I want to say that horses should be properly looked after otherwise their race will be destroyed.

श्री कपूर सिंह : यदि इमानदार रिक्शा चालक यह स्वीकार कर लें कि यह तो केवल समाजवादी विचारधारा है अन्यथा कुछ नहीं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की राय में इस में मानव की प्रतिष्ठा के अपमान का क्या प्रश्न है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तर्क की बात है । अगला प्रश्न ।

श्री कपूर सिंह : मैं तर्क नहीं कर रहा हूं । मैं जानकारी चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

अनुसंधान के लिये उद्योग पर शुल्क

+

*298. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के दिसम्बर, 1965 में दिल्ली में हुए सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर, जिनमें अनुसंधान तथा विकास के लिए उद्योग के वार्षिक समस्त क्रय-विक्रय पर 5 प्रतिशत शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है, विचार कर लिया है;

(ख) क्या अनुसंधान के लिए यह संविहित शुल्क एक प्रभावी प्रोत्साहन होगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय काम में लाने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । अन्तिम सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं । यह ज्ञात हुआ है कि ऐसा प्रस्ताव है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों (indusrtrial establishments) को अपनी कुल बिक्री के 5 प्रतिशत तक अनुसंधान तथा विकास (research and development) पर खर्च के लिए अलग रख देना चाहिये और इस खर्च पर कर से राहत मिलनी चाहिये ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत अपने अनुसंधान व्यय में कटौती करनी पड़ी थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन अनुदानों को पुनःस्थापित करने के लिये कार्यवाही की है, जिन में कटौती की गई थी और अनुसंधान के लिये उपलब्ध धन राशि में भी वृद्धि की है ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है हम गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये मैं ने अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। प्रत्येक मंत्रालय को कटौती करनी पड़ी है और इस कारण से मुझे भी कटौती करनी पड़ी है तथा वज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी कटौती करनी पड़ी है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री कलकत्ता के महत्वपूर्ण साप्ताहिक "नाऊ" में व्यक्त किये गये इस मत से सहमत है कि प्रतिरक्षा-प्रधान आय-व्ययक का साधारण अंग्रेजी में यह अर्थ है कि विकास खर्चों में जिस में शिक्षा तथा अनुसंधान के खर्च भी शामिल हैं, में कटौती की जाय ? यदि उत्तर 'हां' में हो तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि आपातकाल हो या नहीं अनुसंधान कार्य चलता रहे, क्या कार्यवाही की है ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अनुसंधान के बहुत लाभदायक परिणाम होते है और यह आवश्यक नहीं कि यह परिणाम निकट भविष्य में ही प्राप्त हैं, अपितु यह परिणाम कभी कभी कुछ समय बाद प्राप्त होते हैं। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि जहां तक संभव हो अनुसंधान व्यय में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिये।

श्री बुटा सिंह : वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सरकार केवल गैर सरकारी क्षेत्र पर यह शुल्क लगाना चाहती है अथवा सरकारी उपक्रमों पर भी ?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। मैं समझता हूं कि यदि गैर-सरकारी उद्योग कुछ धन राशि अनुसंधान पर खर्च करने के लिये अलग रखेंगे, तो सरकारी निकाय भी ऐसी व्यवस्था करेंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : आज कल अनुसंधान तथा अनुसंधान के परिणामों को कारखानों और खेतों में कार्यरूप देने में बहुत बड़ा अन्तर है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के सम्मेलन में इस बात पर भी विचार किया गया था और यदि हां, तो अनुसंधान के परिणामों को कारखानों तथा खेतों में प्रभावी ढंग से कार्यरूप में परिणित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री मु० क० चागला : संक्षेप में वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के सम्मेलन का उद्देश्य ही यह था। विचार यह था कि हमारी प्रयोगशालाय उद्योग को बतायें कि क्या अनुसंधान किया गया है और कहां तक इसे कार्य रूप में परिणित किया जा सकता है तथा विभिन्न गैर सरकारी परियोजनाओं में इस पर कार्यवाही की जाय और उद्योग अनुसंधान कार्यकर्ताओं को अपनी कठिनाइयां बतायें जिस से वे उन कठिनाइयों को हल करने के लिये कार्य कर सकें।

Shri K. N. Tiwary : To what extent the industrialists are extending their Co-operation in this regard and in which industries work has been started on the basis of this research ?

श्री मु० क० चागला : सहयोग बढ़ रहा है। चार अथवा पांच ऐसी सहकारी संस्थायें है जिन में विशेष उद्योग तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बीच सहयोग स्थापित किया गया है। वे 50 प्रतिशत धन देती है तथा 50 प्रतिशत धन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है ? इस के अतिरिक्त हमारी प्रयोगशालाओं तथा उद्योगों में लगातार संपर्क बनाया रखा जाता है।

श्री स० चं० सामंत : क्या यह सच नहीं है कि कुछ उद्योगपतियों के अपने अनुसंधान संस्थान हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी सहायता करती है अथवा वे सरकारी की सहायता की मांग नहीं करते हैं ?

श्री मु० क० चागला : उद्योगों के अपने अनुसंधान संस्थान हैं। उनका वित्तीय भार हमारे ऊपर नहीं है। परन्तु यदि कोई उद्योग सहकारी संस्था स्थापित करना चाहता है तो सरकार अवश्य

उस की सहायता करती है, क्योंकि हम उद्योग तथा वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वयन स्थापित करना चाहते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये अधिक धन राशि आवंटित करने के लिये किये गये प्रयत्नों तथा सिफारशों की सराहना करते हुये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न प्रयोगशालाओं में काम करने वाले वैज्ञानिकों के लिये वर्तमान धनराशी ठीक हिसाब लगाकर आवंटित की गई है और क्या देश के वर्तमान उत्पादन को ध्यान में रखते हुये यह उनके लिये आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है ?

श्री मु० क० चागला : हम अपने वैज्ञानिकों को अच्छा वेतन देते हैं परन्तु वैज्ञानिकों को दिये जाने वाले वेतन का जिस समाज में वे कार्य करते है उससे कुछ संबंध अवश्य होता है । हमारा देश धनाढ्य नहीं है । हम अपने वैज्ञानिकों को इतना वेतन नहीं दे सकते जितना अमरीका अथवा ब्रिटेन में दिया जाता है । परन्तु हम इस बात का पूरा यत्न करते है कि हमारे वैज्ञानिकों का वेतन ऐसा रहे जिस से वे देश में रहना पसन्द करें तथा विदेशों में गये हुये वैज्ञानिक भी स्वदेश लौटना चाहें ।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has stated just now that some tax relief should be provided for this 5% levy. May I know whether his Ministry has taken up this matter with the Ministry of Finance or the State Governments and if so, the main features of the tax relief to be provided ?

श्री मु० क० चागला : यह प्रस्ताव अभी किया गया है तथा यह अभी हमारे विचाराधीन है, यदि हम इस प्रस्ताव के समर्थन करने का निर्णय करते है, तो निस्संदेह हम इस बारे में वित्त मंत्रालय को लिखेंगे ।

श्री प्र० चं० बरुआ : गत वर्ष प्रोफेसर हुमायून कबिर ने, जब वह पैट्रोलियम और रसायन मंत्री थे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस के समक्ष अपने भाषण में कहा था कि चीन ने विज्ञान तथा इंजिनियरी में इतनी अधिक प्रगति इस कारण से की है कि वह अनुसंधान पर एक वर्ष में इतना धन खर्च करता है, जितना भारत पांच वर्ष में खर्च करता है और यह अन्तर बढ़ता ही जायेगा, यदि सुरक्षा और विकास के हितों को दृष्टि में रख कर अनुसंधान व्यय में बढ़ोतरी नहीं की गई । मैं जानना चाहता हूं कि इस बात का अनुसरण करते हुये क्या सरकार का विचार देश के हर मुख्य उद्योग के लिये एक अनुसंधानशाला स्थापित करने का है ?

श्री मु० क० चागला : जी हां, वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के इस सम्मेलन में लगभग एक हजार व्यक्तियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन को 15 कार्यकारी दलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक कार्यकारी दल को एक विशेष विषय सौंपा गया था और उन्होंने प्रत्येक मख्य उद्योग के लिये सिफारशें की है कि देश को आत्मनिर्भर करने की बारें में क्या करना चाहिये ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the hon. Minister is aware that in foreign countries and especially in those countries which are advanced in research it is being felt that research done by Governmental agencies does not pay large dividends in industrial field in comparison to the research done by industries themselves and if so, will the hon. Minister pay proper attention to it and whether it will not be better that arrangements for research work should be made in industries themselves ?

श्री मु० क० चागला : मेरे विचार में सबसे अच्छा तरीका यह है की अनुसंधान कार्य उद्योगों तथा प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया जाय तथा हम इसी लक्ष्य को दशा में कार्य कर रहे है क्योंकि यदि उद्योग और प्रयोगशालाओं में सहयोग होगा तो उद्योग प्रयोगशालो के सामने अपनी कठिनाइयां रख सकेंगे और प्रयोगशालाओं उन कठिनाइयों को हल करने का प्रयत्न कर सकगी तथा प्रयोगशालाओं उद्योगों को यह भी बता सकेंगे कि उन्होंने क्या क्या अनुसंधान किये है, जिन का उद्योगों के लाभ के लिये प्रयोग किया जा सकता है ।

Shri Yashpal Singh : Has Government considered that such kind of control would block the creativity of the country ? Mahatma Gandhi had said "that Government is best which governs least ". I fail to understand that why Government is going to set up state monopoly and deprive the opportunity to the intelligencia to prosper.

श्री मु० क० चागला : यह एक निराधार भय है। हमारे यहां गवेषणा का किसी का विशेषाधिकार नहीं है। हम वैज्ञानिक गवेषणा कार्य का चाहे वह प्रयोग शालाओं में हो या बाहर हो स्वागत करते हैं। भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद की गवेषणा संस्थाओं के अतिरिक्त संस्थाओं में भी यह कार्य हो रहा है और हम उसे अच्छा समझते है।

श्री कपूर सिंह : परन्तु आप सभी संसाधनो को अपने ही अधिकार में रखते जा रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस कार्य के राष्ट्रीय महत्व को समझते हुए, मैं जानना चाहती हूं कि इस बारे में राशि में संकटकालीन स्थिति के कारण जो कटौती की गई थी वह हटायी क्यों नहीं गई है ? अब संकट काल समाप्त हो गया है।

श्री मु० क० चागला : मैंने पहले भी कहा है कि हम बहुत कठिन वित्तीय स्थिति में से जा रहे हैं अतः हमें न चाहते हुए भी कटौती करनी है। यह सभी मंत्रालय कहते है की खर्च में कटौती नहीं होनी चाहिये परन्तु हमें ऐसा करना पड़ रहा है।

श्री मुथिया : क्या राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक का यह विचार है कि गर-सरकारी क्षेत्र गवेषणा के परिणामों पूरा पूरा का लाभ नहीं उठा रहा है ?

श्री मु० क० चागला : यह ठीक है। इसीलिये हमने वैज्ञानिको और उद्योगपतियों की एक एक बैठक बुलायी थी।

ढोरी कोयला खान में दुर्घटना

+

*299. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्रीमती विमला देवी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री दाजी :
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री रामपुरे :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई, 1965 को ढोरी कोयला खान में हुए विस्फोट के कारणों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त जांच आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो आयोग के निष्कर्षों को दृष्टि में रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां । जांच न्यायालय की रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है ।

(ख) न्यायालय के निष्कर्षों के प्रकाश में कोयला खान विनयन का उल्लंघन करने पर मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अयोग्यता के कारण मैनेजर के सर्टिफिकेट को मुअत्तल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

समुचित कार्यवाही के लिए न्यायालय की विभिन्न टिप्पणियों और सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री दी० चं० शर्मा : भारत के इतिहास में इस प्रकार की बड़ी दुर्घटना पहले नहीं हुई । इसे कई महीने हो गये है । मैनेजर की आयोग्यता के प्रश्न पर अभी भी विचार हो रहा है । क्या यह उनके रिटायर होने या इस्तीफा देने अथवा उनकी मृत्यु के बाद इसपर निर्णय किया जायेगा ?

श्री शाह नवाज़ खां : माननीय सदस्य को मालूम है कि सरकारने जांच न्यायालय की नियुक्ति की थी । उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । जांच में कुछ समय लगता ही है। हम यथाशीघ्र कार्यवाही कर रहे है ।

श्री दी० चं० शर्मा : जांच न्यायालय के निष्कर्षों के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है और किन किन बातों पर अभी विचार हो रहा है और बाद में निर्णय किया जायेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : जांच समिति ने कई सिफारिशें की है । इनमें से मुख्य इस प्रकार हैं । कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों को बिजली वाली टोपियां दी जायें । यह सिफारिश कार्यान्वित की जा रही है । इस बारे में कुछ कठिनाई है क्योंकि ये टोपियां देश में सीमित मात्रा निर्मित होती है । पहले इनका आयात होता था परन्तु विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण हम अब इनका निर्माण बढ़ा रहे हैं । इस के अतिरिक्त कोयला खानों में कोयला धूलि का प्रश्न है । गरम और खुश्क खानों में धूलि एकत्र हो जाती है । ह इसे बहुत जल्दी आग लग सकती है । कार्यवाही की गई है कि वहां पर पानी का छिड़काव हो और यह धूलि बैठ जाये । इस सिफारिश को कार्यरूप दिया जा रहा है । वास्तव में कोयला खान के लिये यह एक प्रथम शर्त है ।

श्री स० मो० बनर्जी : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाये ।

श्री शाहनवाज़ खां : मैं एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को जांच समिति की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये न्यायालय की सहायता लेनी पड़ेगी ।

श्री शाहनवाज़ खां : जी नहीं । कई सिफारिशों पर सरकार भारतीय कोयला खान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है । सरकार को खान प्रबन्धकों से चेतावनी प्राप्त हुई है कि वे सरकार के विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करना चाहते है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या हाल ही में कोयला खानो सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् की एक बैठक हुई है ; यदि हां, तो परिषद् की क्या सिफारिशें है और सरकार की उनपर क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री शाहनवाज़ खां : कुछ दिन हुए यह बैठक हुई है । उनकी सिफारिशों अभी मंत्रालय को मिलनी है । उनपर विचार होगा और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । मैं बताना चाहता हूं कि हमें प्रयाप्त संख्या में निरीक्षक कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं । हमने संघ लोक सेवा आयोग से कर्मचारी भर्ती करने को कहा परन्तु वे भी कोशिश के बावजूद प्रयाप्त संख्या में निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक पाने में सफल नहीं हुए । हम कर्मचारियों को भर्ती करने की तदर्थ व्यवस्था कर रहे हैं ।

Shri Bhagwat Jha Azad : The Enquiry Commission had recommended that the licence of the Manager should be cancelled and action should be taken against the proprietor. Instead of doing this, Government is attaching importance to the issue of legal notice. Does it not show that action is being delayed and they would escape from legal action being taken ?

Shri Shahnawaz Khan : I can assure the hon. Member that no delay has taken place in the Ministry, but so far as notice or stay order of a court is concerned, we have got to obey it.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the names of the members of the Enquiry Commission and whether its report would be placed on the table of the House.

Shri Shahnawaz Khan : Shri S. K. Das, retired judge of the Supreme Court, was the chairman of this Commission. The Report is under consideration of the Ministry at present and thereafter it would be placed on the table.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What was the number of persons killed in this accident and the assistance per head given to them so far ? What was the number of persons who were injured and the number of persons killed. I want to know whether any legal action would be taken against the Manager and the Proprietor ?

Shri Shahnawaz Khan : 268 persons were killed in this accident and legal action would taken against the Manager and the Proprietor. The families of those persons who were killed have been given Rs. 650/- each. This is interim relief. Further they would be given according to the report of Enquiry Commission.

श्रीमती सावित्री निगम : उत्तर लम्बे होते हुए भी उनमें सार कम है। जांच आयोग की रिपोर्ट किस तारीख को प्राप्त हुई थी और सरकार, मालिक तथा मैनेजर के विरुद्ध कबतक कानूनी कार्यवाही करेगी। इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री शाहनवाज खां : दुर्घटना 23 मई, 1965 को हुई थी। 14 जून, 1965 को जांच करने के लिये न्यायालय स्थापित किया गया। जांच न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट 26 नवम्बर, 1965 को दी। उसके बाद उसपर विचार हुआ। प्रबन्धकों को नोटिस जारी किये गये। इस प्रकार इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब नही हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : कोयला खान मालिकों की ओर से संयुक्त रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से कोशिश की गई थी कि सारे मामले को एक रिपोर्ट द्वारा दबा दिया जाये और उन्होंने ऐसा भी प्रयत्न किया था कि कोई अभियोग न चलाया जाये। इसके अतिरिक्त उनसे मांगी गई रिपोर्टों को भी देरी से दिया गया था। क्या ये सब सरकार की जानकारी में आयी है ; यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में दोषियों पर शीघ्रता से अभियोग चलाने के बारे में क्या कार्यवाही की है। उनके कारण 268 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

श्री शाहनवाज खां : यह ठीक है कि जांच न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश हुई थी। न्यायालय के अध्यक्ष ने यह कहा है कि उन्होंने इसे ध्यान नहीं दिया। यदि न्यायालय को गुमराह किया जाता तो कानूनी कार्यवाही की जाती। अब हम कार्यवाही नहीं कर सकते।

Shri Madhu Limaye : It is said the Dhori Coal Mine is partially owned by the leader of Bihar Janta Party Shri Kamakhya Narayan Singh who is said to be a rival of the Bihar Chief Minister Shri K.B. Sahai. The Janta Party has on many occassions defeated Shri K. B. Sahai, I want to know wether the Labour Department of Bihar Government had a hand in this accident and wether such a thing has come to the notice of Enquiry Committee.

Shri Shahnawaz Khan : I deny the insinnation of the hon. Minister.

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister should give answer.

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर "नहीं" है ।

श्री च० का० भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने कहा है कि मालिकों या मैनेजरों ने सरकार को नोटिस दिये हैं। इस नोटिस के कारण सरकार पर इस जांच न्यायालय की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही करने पर कोई रोक नहीं है। मैं माननीय मंत्री से आवश्यक आश्वासन चाहता हूं कि वह इस नोटिस के कारण कार्यवाही करने हटेगी नहीं और सिफारिशों पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस प्रकार के नोटिस से विचलित नहीं होगी और हमने दोषियों को दण्ड देने का निश्चय कर लिया है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has given the number of persons killed. Keeping in view such miserable conditions of collieries, May I know, whether Government is considering over the nationalisation of these collieries ?

Shri Shahnawaz Khan : Where condition is very bad Government has got the right to order the closure of that colliery or taking over of that colliery.

Shri Sarojoo Pandey : What about this ?

Shri Shahnawaz Khan : It is under consideration.

खम्भात तेल क्षेत्र में तरल ईंधन

+

*300. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री उटिया :
श्री रामसेवक यादव :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खम्भात तेल क्षेत्र में तरल ईंधन निकाला है;

(ख) क्या विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो वाणिज्यक उपयोग के लिये इसे निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां, यदि तरल ईंधन से सुद्रवण (condensates) का आशय है।

(ख) जी हां ।

(ग) सुद्रवण के विक्रय के लिए अधिक विज्ञापनों को शामिल करते हुए पर्याप्त प्रचार किया गया है। कुछ विक्रय हुआ है।

Shri Vishram Prasad : The fuel gas produced in Cambay Oil Field is not supplied to industrialists and whatever little quantity is supplied that is supplied at higher rates than the gas supplied from Barauni Oil Field. May I know the rate at which Government propose to supply that gas to the industry of that area ?

Shri Iqbal Singh : As regards this condensate gas it is supplied at the rate of Rs. 120·00 per tonne.

Shri Vishram Prasad : How far the industry will be benefied by it ?

Shri Iqbal Singh : That is a new experiment. The outside world does not even use it. But in India the Institute of Petroleum advised and we are experimenting according to that.

Shri Vishram Prasad : Will it be able to meet the shortage of furnace oil and diesel oil and if so, to what extent ?

Shri Iqbal Singh : It is used in Combustion engine or in furnace but not for diesel oil. It is only a new experiment in that direction. The daily out put is only 40-50 tonnes and therefore it does not make much difference.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि इन "कन्डेसेटों" को कृत्रिम रेशों और कृत्रिम रबड के निर्माण के लिये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या सरकारने इसकी जांच की है कि इसका प्रयोग लाभदायक होगा और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : पेट्रोलियम संस्था ने इसकी जांच की है उसने कहा है कि इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि विभिन्न रसायनों के लिये "सोल्वेंट" ईंधन और पेंट डाल्यूएटंस् आदि के मिश्रण के लिये । परन्तु इसको रसायन उद्योग में प्रोसेसिंग सामग्री के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है । हम इससे अवगत नहीं है कि इसे ऐसा निर्माण में इस्तेमाल किया जा सकता है । हमें ऐसी कोई यंत्रणा प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री प्र. चं. बरुआ : क्या कोई जांच की गई है ?

श्री अलगेशन : जी, हां, भारतीय पेट्रोलियम संस्थाने इसकी जांच की है और वह हमें सलाह दे रही है ।

Shri M. L. Dwivedi : What is the price of this liquid fuel and how does its price compare with those of other fuels ?

Shri Iqbal Singh : At present the price on the *ad hoc* basis is Rs. 120·00 per tonne. In future when the production increases the price will also be regulated accordingly.

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस सामग्री की कोई बिक्री हुई है और क्या इसका कुल उत्पादन का अनुमान लगाया गया है और यदि हां, तो निक्षेप की लग भग कुल मात्रा क्या होगी ?

श्री इक़बाल सिंह : कुल उत्पादन इस समय लगभग 40-50 टन है । मुझे आशा है कि हम भविष्य में इसका अनुमान लग पायेंगे । हम तजर्बा कर रहें हैं और यथासमय, यदि उसे प्रयोग के योग्य पाया गया तो इसका प्रयोग किया जायेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इसकी सप्लाई के लिये उद्योगों और अन्य व्यक्तियों से मांग प्राप्त हुई है?

श्री इक़बाल सिंह : एक उद्योग ने कुछ पूछताछ की है । **(अन्तर्बाधा) ।**

श्री कपूर सिंह : इसका तरल ईंधन में और खनिज तेलों, जैसे कि मिट्टीका तेल, डीज़ल, और पेट्रोलियम में क्या अन्तर है ?

श्री अलगेशन : यह गैस के साथ ही तेल क्षेत्र में बनाया जाता है। इसको सीधे ही प्रयोग नहीं किया जा सकता, परन्तु परिष्करण करने और भारी हायड्रोकार्बनों को हटाने के बाद कम्बरचन इंधनों और कुछ प्रकार की भट्टियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे तेलशोधन कारखाने में और भी साफ किया जा सकता है और मिट्टीका तेल, गैसोलाइन आदि प्राप्त किये जा सकते है।

Import of Kerosene and Diesel Oil from USSR

+

*301. **Shri Onkar Lal Berwa :**	**Shri Subodh Hansda :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :	**Shri B. C. Borooah :**
Shri D. N. Tiwary :	**Shrimati Savitri Nigam :**
Shri Bhagwat Jha Azad :	**Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri M. L. Dwivedi :	**Shri Rameshwar Tantia**
Shri S. C. Samanta :	**Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a new agreement regarding the import of Kerosene and high speed diesel oils has been entered into with U.S.S.R.;

(b) if so, the quantity of oils to be imported under the agreement; and

(c) the terms thereof ?

Deputy Minister in the Ministery of Petroleum & Chemicals (Shri Iqbal Singh) : (a) (b) & (c). The Trade Agreement between India and USSR for the period 1966-70 provides for the import of 5 million tonnes of petroleum products from USSR with a permissible variation of 20% either way. The detailed terms for each year are negotiated by the Indian Oil Corporation Limited with the Export Organisation of USSR.

Shri Onkar Lal Berwa : What is the total requirement in the country at present of kerosene oil and diesel and with whom we have concluded agreements to meet its demand ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Iqbal Singh) : Efforts are made to meet shortage of kerosene oil by importing it from some countries against rupee payment.

Shri Onkar Lal Berwa : My question is what is the break up of our requirement of kerosene oil and diesel and from what countries we have imported it to meet its shortage ?

श्री अलगेशन : मिट्टी के तेल के हमारे उत्पादन और उसकी खपत में प्रति मास लगभग 70,000 से 80,000 मिट्रिक टन का अन्तर रहता है। हम मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीजल और ईंधन तेल भी आयात करते हैं। इनके पृथक पृथक आंकड़े बताना लोकहित में नहीं है।

Shri Onkar Lal Berwa : How much foreign exchange do we spend upon it and what is the production of kerosene oil in the country at present ?

श्री अलगेशन : इस समय हम मूल्य बताने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या इस करार के अन्तर्गत प्रति वर्ष निर्धारित मात्रा आयात की जायेगी अथवा क्या हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकते हैं और विश्व की मंडी में अनुकूल मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं ?

श्री अलगेशन : 1966 से 1970 तक के लिये कुल मात्रा 50 लाख टन निर्धारित की गई है। प्रति वर्ष हम आयात की मात्रा के लिये बातचीत करते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Kerosene oil produced here costs less or more than the imported kerosene oil ?

श्री अलगेशन : मैं यह जानकारी नहीं दे सकूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It has become a habit with the Government to evade replies.

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास जानाकारी नहीं है और उन्हें सूचना चाहिये।

श्री म० ला० द्विवेदी : श्रीमन्, मैं नहीं चाहता कि वह मूल्य प्रकट करें, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा तेल सस्ता पड़ता है या विदेश से आने वाला तेल सस्ता पड़ता है ?

श्री अलगेशन : जहां तक देश के भीतर मिट्टी के तेल के मूल्य का संबंध है इसे एक निश्चित सूत्र के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है। और वह ज्ञात है। आयातित तेलका मूल्य मैं नहीं बता सकूंगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा के बजट पत्रों के साथ परिचालित सरकारी समीक्षा में बनाया गया है कि मिट्टी के तेल की वर्तमान कमी का कारण आयात प्रतिबन्ध है ?

श्री अलगेशन : हम पर्याप्त मात्रा में आयात कर रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह करार किसी प्रकार से इस तेल के आयात के लिये भारतीय जहाजों को काम में लाने में बाधा डालता है ?

श्री अलगेशन : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री प्र० चं० बरुआ : देश में मिट्टी के तेल का वर्तमान उत्पादन कितना है और कब तक हम इसके संबंध में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

श्री अलगेशन : इस समय हम 130,000 टन से 135,000 टन तक मिट्टी का तेल तैयार कर रहे हैं। जब कोयली तेल शोधक कारखाना चालू हो जायेगा और कोयली को दस लाख टन का दुसरा एकक और बरौनी का 7 लाख टन का दुसरा एकक भी उत्पादन आरम्भ कर देगा तो हमारे पास काफी मिट्टी का तेल हो जायेगा।

दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

\+

*302. श्री दाजी :	श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री स० मो० बनर्जी :	श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :	श्री हेडा :
श्री धुलेश्वर मीना :	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति ने दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन छानबीन कर ली है।

(ख) क्या इसने भी सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं।

(ग) तकनीकी सलाहकार समिति ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार किया जिसने 1944 के आधार पर 1960 के दिल्ली के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा तदनुरुप शृंखलीकरण तथ्य में समंजन का सुझाव दिया। तकनीकी सलाहकार समिति की मख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं :—

(क) लिंकिंग फार्मूला बनाने के सम्बन्ध में इस समय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तावित वेटिंग डायग्राम में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) मकान किराये के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा नोट की गई कमी के लिए सूचकांक में समचित रुप से सुधार किया जाए।

(ग) सिनेमा टिकटों के मूल्य में असंगति के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए सूचकांक में सुधार का समर्थन किया गया।

तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणी के प्रकाश में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर चीफ कमिशनर, दिल्ली, का निर्णय दिल्ली प्रशासन की अधिसूचना संख्या एफ० 25(55)/64-श्रम, तारीख 1-2-1966 में पहले ही घोषित किया जा चुका है। इस अधिसूचना की एक प्रति सभा की मेज़ पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये, सं० एल० टी० 5645/66**]

श्रम ब्यूरो के निदेशक द्वारा उक्त निर्णय के अनुसार दिल्ली के सूचकांक में संशोधन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : यह मेरी जानकारी है कि प्रो० गंगुली की अध्यक्षता में नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपने प्रतिवेदन में बताया था कि दिल्ली का उपभोक्ता मूल्य देशनांक 29 बिन्दु तक गलत था। विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन की छानबीन करने के लिये दूसरी तकनीकी सलाहकार समिति किन परिस्थितियों में नियुक्त की गई थी ? क्या तकनीकी सलाहकार समितिने यह सिफारिश की है कि यह गलत गणना केवल 10 बिन्दु तक ही है न कि 29 बिन्दु तक।

श्री शाहनवाज खां : पहले तो मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूं कि विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डा० सत्यनारायण, निदेशक, राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् थे। यह सच है कि इस विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि मूल्य देशनांक 179 बिन्दू होना चाहिये। तकनीकी सलाहकार समितिने मामले पर विचार किया था और सिफारिश की थी कि यह 168 बिन्दू होना चाहिये न कि 179। अत: इस हद तक श्री बनर्जी की बात सही है। इसमें 11 बिन्दू का अन्तर है।

श्री स० मो० : बनर्जी क्या विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर माननीय मंत्री ने दिल्ली के मालिकों की संस्था तथा अन्य सरकारी कार्यालयों को अनुदेश दिये हैं कि वे भूतलक्षी प्रभाव से महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान करें।

श्री शाहनवाज खां : जैसा कि मैंने बताया दिल्ली के मुख्य आयुक्त के आदेशों के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है और हमें आशा है कि सभी संबंधित व्यक्ति आनुषंगिक कार्यवाही करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Kairon Murder Case

+

*303. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Dhuleshwar Meena :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Lahtan Chaudhry :**
Shri Jagdev Singh Sidhanthi : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Yashpal Singh : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Dharm Lingam :**
Shri Kindar Lal : **Shri M. L. Jadhav :**
Shri Ramachandra Ulaka : **Shri Jedhe :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 25 on the 3rd November, 1965 and state :

(a) the further progress made in connection with the enquiry into the Kairon murder case; and

(b) the main reasons for not arriving at any decision so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) & (b). The extradition proceedings against the Prime suspect were completed on 25-1-1966 and he has been since brought over to India on 2-2-1966. Further investigations are continuing.

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार का पुनर्वास कार्यक्रम

+

*304. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भोपाल में हुई दंडकारण्य विकास प्राधिकार की बत्तीसवीं बैठक में एक उद्योग आधारित पुनर्वास कार्यक्रम तैयार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 11 दिसम्बर, 1965 को भोपाल में हुई दण्डकारण्य विकास प्राधिकार की बैठक में दण्डकारण्य में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक खंडों की योजना तथा उसको अमल में लाने के कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी ।

(ख) एक विवरण जिसमें कार्यक्रम के बारे में की गई समीक्षा का ब्यौरा दिया गया है, सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5646/66]**

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना

†305. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लगभग तीन हजार विस्थापित परिवारों को आर्थिक-दृष्टि से अन्दमान तथा निकोबार द्वीपों में बसाया जा चुका है और कोई भी व्यक्ति वहां से छोड़कर नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन द्वीपों के लिये एकीकृत संसाधन विकास योजना तैयार करने के लिये बनाये गये अन्तर्विभागीय दल के प्रतिवेदन पर विचार किया जा चुका है और पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए अधिक विस्थापित व्यक्तियों को उन में बसाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। छोड़कर जाने वालों की मात्रा बहुत कम थी।

(ख) और (ग) : द्वीप समूह के लिये अन्तर्विभागीय टीम जो एकीकृत संसाधन विकास योजना की रुप रेखा तैयार करने के लिये स्थापित की गई थी उसने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। टीम ने जो विकास कार्यक्रम दृष्टि में रखा है उसके अनुसार चतुर्थ योजना की अवधि के अंत तक लगभग 25,000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इससे स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित, बर्मा तथा लंका से लौटने वाले, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य को बसाने में भी सहायक होगा। विकास जो दृष्टि में रखा गया है उसमें, कृषि रोपण (प्लान्टेशन), वन विद्या, (फारेस्ट्री), वन-आधारित उद्योग तथा मत्स्य (फिशरीज़) आदि हैं।

Banaras Hindu University

*306. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :
Shri M. L. Divedi :
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattanayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Warior :
Shri Indrajit Gupta :
Shri Prabhat Kar :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has received protest notes against the proposal to change the name of the Banaras Hindu University and if so, from whom and the number thereof ;

(b) the action being taken thereon; and

(c) whether the news-item published in the 'Navbharat Times' that the Varanasi city went on strike in protest against this move is correct ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. Nearly 1200 such notes, including 720 printed post cards, have been received from Associations and individuals.

(b) The views contained in the communications have been noted.

(c) Yes, Sir. There was a strike in Varanasi in protest against the change of name.

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा विवाद

*307. **श्री श्रीनारायण दास :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा विवाद के बारे में सरकारी तथा जनता के स्तर पर अन्तिम रूप से फैसला हो गया है;

(ख) क्या यह मामला कुछ प्रभावित व्यक्तियों द्वारा विधि न्यायालयों में ले जाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में न्यायालय का निर्णय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और दुसरी तरफ बिहार के सारन और शाहबाद जिलों के बीच स्थायी सीमा की व्यवस्था के लिये श्री सी० एम० त्रिवेदी द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये एक विधेयक तैयार किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 3 की व्यवस्थाओं के अनुसार इस विधेयक को बिहार तथा उत्तर प्रदेश के विधान मण्डलों में पेश करने का विचार है।

(ख) पटना तथा इलाहाबाद के उच्च न्यायालयों में कुछ लिखित अभियाचनाएं दी गई हैं।

(ग) तीन अभियाचनाओं की पटना उच्च न्यायालय ने 29 अक्तूबर, 1965 को सुनवाई की। न्यायालय ने अभियाचकों को भारत सरकार के यह आश्वासन देने पर कि जब तक प्रस्तावित कानून संसद द्वारा स्वीकृत न हो जाय तब तक स्थायी सीमा के लिये चिन्हों की खोज के लिये सर्वेक्षण का कार्य आगे नहीं चलाया जायगा, अभियाचनाएं वापस लेने की इजाज़त दे दी। अन्य मामले न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

कोट्टयम में श्री नम्बूदिरीपाद का वक्तव्य

*308. **श्री दी० चं० शर्मा :**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री हेम बरुआ :

श्री हुकुम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 दिसम्बर, 1965 को कोट्टयम में वामपक्षी साम्यवादी नेता श्री नम्बूदिरीपाद द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर जो कि कुछ समाचार-पत्रों में छापा गया था, दिलाया गया है कि "उनका दल आजाद काश्मीर तथा अक्साई चिन

क्षेत्रों पर पुनः कब्जा करने के उद्देश्य से सोना तथा चांदी देने तथा एक समय का भोजन बचाने के लिये तैयार नहीं हैं"; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन राष्ट्र-विरोधी कथनों के लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां। यह वक्तव्य 1-12-65 को दिया गया था न कि 3-12-1965 को।

(ख) खास तौर पर इस वक्तव्य के कारण कोई कार्यवाही जरुरी नहीं समझी गई। किन्तु केरल की सरकार ने उनकी सम्पूर्ण गतिविधियों तथा वक्तव्यों की समीक्षा कर के उन्हें 1-2-1966 से भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30(1) (ख) के अधीन नजरबन्द कर लिया है।

Car/Scooter Thefts in Delhi

***309. Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Bade :
Shri Lahtan Chaudhry :
Shri Shamlal Saraf :
Shri Dharmalingam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the car and scooter thieves have become active in Delhi for the last few months;

(b) whether the number of stolen cars and scooters has now gone up since December last; and

(c) the action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a), (b) & (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. L.T. 5647/66]**

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक बैठकें

***310. श्री हेम राज :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या शिक्षा मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के क्षेत्र कैम्पस में व्यायाम करने वाली संस्था के आचारण की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) और (ख) : मामले पर गौर किया जा रहा है।

दक्षिणी राज्यों में तूफान से हुई क्षति

*311. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डे :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री बागड़ी :
श्री रामसेवक यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 में आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और लक्कदीव द्वीपसमूह में तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में जो तूफान आया था, उसके कारण बहुत से लोग बेघर हो गये थे और मारे भी गये थे;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितने लोग मारे गये और कितने लोग बेघर हुए थे;

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई; और

(घ) इस दैवी प्रकोप से पीड़ित व्यक्तियों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केरल और लक्कदीव दिसम्बर, 1965 में तूफान से प्रभावित हुए थे किन्तु आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्यों से तूफान की किसी घटना की सूचना नहीं प्राप्त हुई ।

(ख)

राज्य	मृतकों की संख्या	बेघर हुए लोगों की संख्या
केरल	5	627 मकानों को क्षति पहुंची या वे नष्ट ही हो गए । प्रभावित व्यक्तियों की ठीक संख्या ज्ञात नहीं ।
लक्कदीव	8	150

(ग) (1) केरल :—32 व्यक्ति घायल हुए और 5 लापता हो गए । सामान से लदे हुए 25 जहाज़ समुद्र में विलीन हो गए । लगभग 9526 एकड़ धन की फसल, नारियल के वृक्षों और अन्य फसलों पर प्रभाव पड़ा । 627 भवनों को क्षति पहुंची या नष्ट हो गए ।

अनुमानतः कुल 35,33,508 रु० की हानि हुई ।

(2) लक्कदीव :—20 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए और 122 मकानों को काफ़ी क्षति पहुंची । 55,000 रु० की हानि का अनुमान है । 21,259 नारियल के पड़ जड़ से उखड़ गए जिससे लगभग 10 लाख रुपये की हानि हुई । एक नौका कालीकट के तट से परे डूब गई, एक अन्य पूरी तरह नष्ट हो कर डूब गई; एक को गम्भीर क्षति पहुंची और चार यंत्रीकृत नौकाओं का क्षति पहुंची; 2 नौकाएं जिनके ऊपर 20 मल्लाह थे लापता हैं । नौकाओं और माल की कुल हानि का अनुमान 73,000 रुपये का है । सरकार को 20,000 रु० मूल्य के 174 क्विंटल नारियल की जटा और 24,064 रु० के लोक निर्माण विभाग के सामान की क्षति हुई ।

(घ) तूफान से प्रभावित व्यक्तियों को निकाल कर सूरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अविलम्ब सहायता के तौर पर इस दुर्भाग्य का शिकार होने वाले व्यक्तियों को चावल, चीनी, चाय का चूरा तथा मट्टी का तेल मुफ्त बांटा गया। उचित मामलों में प्रभावित मकानों की मरम्मत या पुनर्निमाण के लिये नकद अनुदान भी दिये गए। केरल में सहायता कार्यों के लिये कुल मिला कर 3,11,000 रु० की राशि जिला कलेक्टरों को दी गई और लक्कदीव में अविलम्ब सहायता कार्यों पर 13,390 रु० खर्च किये गए।

गंधक के तेजाब का कारखाना

*312. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाइराइट पर आधारित 400 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता वाला गंधक के तेजाब का कारखाना दुर्गापुर की बजाये सिन्दरी में स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि पाइराइट और रसायन विकास कम्पनी ने इसके लिए पहले ही ठेका दे दिया है और यदि हां, तो किसको ठेका दिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) शुरू में पाइराइट पर आधारित 400 मीटरी टन दैनिक क्षमता वाला गंधक के तेजाब के संयंत्र को सिन्दरी में लगाने का निर्णय था क्योंकि इस संयंत्र के लिए सिन्दरी को सब से अधिक उचित स्थान समझा गया था। इस के बाद जब दुर्गापुर में काम्पलेक्स फर्टीलाइज़र परियोजना के लिए स्वीकृति मिली, तब यह फैसला किया गया कि उक्त संयंत्र को सिन्दरी की बजाय दुर्गापुर में लगाया जाए। दुर्गापुर फर्टीलाइज़र परियोजना के उत्पादन प्रतिरूप में तबदीली से और सिन्दरी में गंधक के तेजाब के पूर्ण उपयोग के आश्वासन के कारण सरकार ने अब अपने पुराने निर्णय को अपना लिया है।

(ख) मेसर्ज साइमन कारवेस इण्डिया लि० को ठेका दिया गया है।

पाकिस्तान में गुरुद्वारे

314. **श्री दलजीत सिंह : क्या श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री 6 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1868 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों की भूमि के बदले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को पहले निष्क्रान्त भूमि आवंटित की गई थी और बाद में आवंटन रद्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को पाकिस्तान के गुरुद्वारों की भूमि के बदले में निष्क्रान्त भूमि नहीं दी गई थी। तथापि 4845 मानक एकड़ भूमि जो पंजाब (भारत) में मुसलमानों की धार्मिक सस्थाओं की थी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी को 7 वर्ष की अवधि के लिये, खरीफ, 1954 से रबी 1961 तक वर्ष में एक बार भूमि कर तथा अन्य सरकारी देय पर पट्टे पर दी गई थी। पंजाब वक्फ बोर्ड की रचना होने पर जिसने मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं को संभाल लिया, उसके बाद पट्टा रद्द कर दिया गया।

Maps of India

*315. **Shri Kishen Pattnayak :** **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Madhu Limaye : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri D. C. Sharma: **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri Jagdev Singh Siddhanti :**
Shri Hem Barua : **Shri Hem Raj :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Sham Lal Saraf :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that maps showing many areas of Indian territory as parts of foreign countries and of Islami Duniya have been circulated in Andhra Pradesh;

(b) if so, the particulars of the persons who are responsible for this; and

(c) the action being taken by Government in this connection ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Calendars with a map captioned "Islami Duniya" were brought into circulation in Andhra Pradesh by the following firms :

(1) Assam Tea Depot, Hyderabad.

(2) Sunshine Stores, Hyderabad.

(3) Abdul Rahman Trunk Factory, Secunderabad.

(4) Mohd. Jamal and Co., Begumbazar, Hyderabad.

The map wrongly shows large parts of India outside the country.

(c) The persons responsible for the circulation of the calendars with the wrong map were arrested under Defence of India Rules and cases are pending in Court.

Production of Sulphur & Pyrites in Bihar

*316. **Shri Kindar Lal:**
Shri Vishva Nath Pandey :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Finish firm has started producing sulphur from Pyrites on a large scale at Amjhore in Bihar State; and

(b) if so, the terms agreed therefor and the existing production capacity thereof.

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

संतानम समिति की सिफारिश

*317. **श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संतानम समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का पुनर्विलोकन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उनको कार्यान्वित करने के लिए कुछ और उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

संतानम समिति द्वारा की गई कुल 137 सिफारिशों में से (जिन में सिफारिशों के भाग भी शामिल हैं) 115 स्वीकार कर ली गई हैं, 8 स्वीकार नहीं की गई है तथा बाकी 14 विचाराधीन हैं; इन सब का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

I. नीचे दी गई 108 सिफारिश परिवर्तनों सहित अथवा बिना परिवर्तनों के स्वीकार कर ली गई हैं तथा क्रियान्वित कर दी गई है :--

(1) सरकारी कर्मचारियों के आचार नियमों संबंधी सिफारिशें .	6
(2) विधियों के संशोधन संबंधी सिफारिशें . . .	15
(3) राजनैतिक दलों इत्यादि संबंधी सिफारिशें . . .	1
(4) विश्वविद्यालयों संबंधी सिफारिशें	1
(5) अन्य	85
कुल	108

II. नीचे दी गई 7 सिफरिशें पूर्ण अथवा आंशिक रूप में स्वीकार कर ली गई है तथा उन की कार्यान्विति विचाराधीन है :--

(1) सरकारी कर्मचारियों के अनुशासन नियमों संबंधी सिफारिशें .	1
(2) विधियों के संशोधन संबंधी सिफारिशें . . .	5
(3) अन्य	1
कुल .	7

III. सिफारिशें, जो स्वीकार नहीं की गई : 8

IV. नीचे लिखी 14 सिफारिशें विचाराधीन हैं :-

(1) संवैधानिक परिवर्तनों संबंधी सिफारिशें . . .	5
(2) राजनैतिक दलों इत्यादि संबंधी सिफारिशें . .	4
(3) न्यायपालिका संबंधी सिफारिशें . . .	1
(4) अन्य	4
कुल	14
कुल योग	137

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

*318. **श्री घुलेश्वर मीना :**

श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों की जांच की जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां। मैं प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख रहा हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5648/66]**

(ख) प्रतिवेदन के पृष्ठ 31 पर दी गई विदेशियों के होटलों में पंजीकरण से सम्बन्धित नवीं सिफ़ारिश को और पृष्ठ 33 पर दी गई बिना सीमा शुल्क कक्ष से गुजर निर्यात के बंडलों की लदाई से सम्बन्धित 17 वीं सिफ़ारिश को छोड़कर शेष सभी सिफ़ारिशें सरकार को मंजूर हैं और पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नवीं सिफ़ारिश को व्यावहारिक या उपयोगी नहीं समझा गया और सतरहवीं की अभी तक जांच की जा रही है क्योंकि जैसा कि प्रतिवेदन में भी कहा गया है। इसके लिये कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी करनी होंगी।

तराई के सिखों की शिकायतें

*320. **श्री गुलशन : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तराई (उत्तर प्रदेश) के सिखों से कोई शिकायतें मिली है कि उनके साथ भद-भाव किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको यह मामला भेजा गया था भेद–भाव के आरोप को अस्वीकार किया है।

Central Advisory Board of Education

*321. **Shri Sidheswar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 811 on the 17th November, 1965 and state the steps taken by the State Governments and the Central Government to implement the decisions taken by the Central Advisory Board of Education at their meetings held on the 28th and 29th October, 1965 ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

The recommendations made by the Central Advisory Board of Education were communicated on 9-12-65 to the State Governments and other authorities who are to consider and decide upon the implementation of the recommendations. Reports on the action taken by them have not yet been received. The recommendations, in so far as they relate to the 4th Five-Year-Plan, will be given due regard while finalising the Plan.

वाल्काट

*322. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री बड़े :**

श्री हुकुम चन्द कछवाय : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 16 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में जांच पूरी हो गई है;

(ख) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई मुकदमा अथवा मुकदमे चलाए गये हैं; और

(घ) क्या कुछ समाचारपत्रों में छपे इस समाचार में कोई सचाई है कि उस बीचक्राफ्ट में, जो गत वर्ष जून में भुवनेश्वर में बिना पूर्व कार्यक्रम के उतरा था, वाल्काट तथा डोंज थे जो विमान के भुवनेश्वर की ओर उड़ान करने से पहले किसी अन्य स्थान पर उतर गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) वाल्काट समेत 9 व्यक्ति ।

(ग) चार मामले दर्ज किये गए हैं ।

(घ) अब तक की गई जांच से समाचार-पत्रों के समाचार का समर्थन नहीं होता ।

मनीपुर में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में जांच

*323. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 8 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 737 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली दीमापुर सड़क पर दुसरी बार गोली चलाने के लिए, जिसे जांच समिति ने न तो उचित और न आवश्यक ही बताया है, जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक अथवा दण्डात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : दुसरी बार गोली चलाने के बारे में एक मामला दर्ज किया जा रहा है ।

पुलिस थाने में कथित मार के कारण एक आदमी की मृत्यु

*324. **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री दे० द० पूरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान के पुलिस स्टेशन पर पुलिस कान्टेबलों द्वारा पीटे जाने के कारण एक निर्दोष आदमी की मृत्यु हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) पोर्ट ब्लेयर के दनदास पाइट थाने से रुपलाल नामक एक व्यक्ति की, जिसे एक अपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया था, 26 और 27 जनवरी, 1966 के बीच की रात को हिरासत के दौरान मृत्यु हो गई।

(ख) थाने के स्थानीय अधिकारी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई और न्यायालय में मामला दर्ज कर दिया गया है।

औद्योगिक विराम सन्धि (ट्रूस) सम्बन्धी संकल्प

*325. **श्री मधु लिमये** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की प्रेरणा से त्रिपक्षीय सम्मेलन ने औद्योगिक विराम सन्धि के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोहतास इंडस्ट्रीज, डालमियानगर तथा कुछ अन्य फर्मों के प्रबन्धकों ने इसके अनुसरण में किये गये समझौतों को क्रियान्वित करने से इन्कार करके इस विराम संधि का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने भारत सुरक्षा नियमों अथवा अन्य आपात कालीन अधिकारों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) जिस मामले का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह बिहार सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपक्षीय समितियां

*326. **श्री दाजी :**

श्री बसुमतारी :

श्री दे० द० पुरी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रम सम्मेलन के तेईसवें अधिवेशन में विचारित उच्च स्तरीय त्रिपक्षीय समितियां केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर स्थापित की जा चुकी है;

(ख) क्या इन समितियों की कोई बैठकें हुई है;

(ग) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या कोई राज्य अभी तक ऐसी त्रिपक्षीय समितियां स्थापित नहीं कर सके हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : भारत सरकार द्वारा एक त्रिपक्षीय समिति स्थापित की गई है। राज्य स्तर पर त्रिपक्षीय समितियों की स्थिति संलग्न विवरण संख्या 1 में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5649/66]**

(ग) केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति की पहली बैठक 27 जनवरी, 1966 को हुई। राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) केन्द्रीय त्रिपक्षीय समिति की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण संख्या 2 में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5649/66]**

विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती

1316. श्री राम हरख यादव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में अब तक कितने विशेष पुलिस अधिकारी राज्यवार भर्ती किये गये हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती लिये कोई नियम नहीं बनाये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राज्यों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

कोयम्बतूर में कपड़ा मिलों में हड़ताल

1317. श्री अ० क० गोपालन : क्या श्रम, रोजगार तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयम्बतूर में कपड़ा मिलों के मजदुरों ने दिसम्बर, 1965 में हड़ताल कर दी थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य शिकायतें क्या थी; और यदि कोई समझौता हुआ है, तो उसकी शर्तें क्या हैं?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

केरल में जूनियर कालेज

1318. श्री अ० क० गोपालन :

श्री अ० व० राघवन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने 1966-67 में किसी नये जूनियर कालेज के लिए मंजरी न देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मालाबार क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान मे रखते हुए सरकार का इस निर्णय में नर्मी करने तथा इस क्षेत्र में नये कालेजों के लिए अनुमति देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) तक : यद्यपि यह ठीक है कि केरल विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने इस आधार पर कि 1964–65 और 1965–66 के दौरान जिन कालेजों के लिए स्वीकृति दी गई थी, वे भी अभी तक पूरी तरह से नहीं चल पाए हैं, 1966–67 के दौरान किसी नये अवर कालेज के लिए स्वीकृति नही देने का निर्णय किया है, किन्तु मालाबार क्षेत्र में नए कालेज खोलने के संबंध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नही किया गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रस्तावों की इस दृष्टि से जांच कर रहा है कि क्या नए कालेज खोलने के लिये जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वे संयोजकों द्वारा दी जा रही हैं। निर्णय लेने में कितना समय लगेगा, अभी यह बताना संभव नहीं है।

कोट्टयम में किसानोंकी गिरफ्तारी

1319. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि पालमदम एस्टेट, कोट्टयम, केरल के निकट रहने वाले किसानों को बेदखल करने के उद्देश्य से पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा मंत्री (श्री हाथी) : (क) इन किसानों को बेदखल करने के लिये गिरफ्तार नहीं किया गया था। पालमपदम एस्टेट के पास थुमारनपाड़ा में कुछ ऐसे व्यक्तियों को पुलिस ने स्पष्ट आरोपों के लिये गिरफ्तार किया जो आपराधिक मामलों में अभियुक्त थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल पुलिस के कांस्टेबलों के लिये यात्रा भत्ता

1320. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पुलिस कांस्टेबलों को अब तक दिये जाने वाले यात्रा भत्ते में 25 प्रतिशत की कमी कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब वे बस वारंटों के साथ यात्रा करते हैं तो उन के यात्रा भत्ते में से उस का किराया काट लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस मामले में आधुनिकतम स्थिति क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) बचत के एक उपाय के रूप में राज्य के पुलिस विभाग के अधिकारियों तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है न कि 25 प्रतिशत की।

(ख) अधिकतम सीमा के आधे तक ही किराया काटा जाता है। यदि वारंटों की राशि आधे से अधिक हो जाती है तो बढ़ती निकलने वाली राशि को अधिकतम सीमा से बढ़ा कर मंजूर कर लिया जाता है।

(ग) और (घ) : यह निर्णय बचत के एक उपाय के तौर पर किया गया था और अभी तक लागू है ।

केरल साबुन संस्था

1321. श्री अ० व० राघवन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट स्थित केरल साबुन संस्था की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मजोनी साबुन संयंत्र का आयात करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस संयंत्र के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) केरल साबुन संस्था ने वर्तमान पुरानी मशीन के स्थान पर मजोनी साबुन संयंत्र (Mazzone Soap Plant) द्वारा अपने कारखाने का नवीनकरण करने का विचार किया है । कारखाने के नवीनकरण से इस परिणाम के प्राप्त होने की आशा है कि कारखाने की क्षमता प्रति वर्ष 700 मीटरी टन से प्रति वर्ष 1000 मीटरी टन तक बढ़ जाए ।

(ख) इटली के ऋण (Italian credit) के अन्तर्गत इटेलियन सप्लायरज (Italian suppliers) के साथ संयंत्र की सप्लाई के लिए करार किया गया है और संयंत्र के आयात के लिए लाइसेन्स की प्रतीक्षा है ।

(ग) लगभग 8.5 लाख रुपये ।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय खल

1322. श्री मुरली मनोहर :

श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में हाल में हुए अखिल भारतीय 22वें राष्ट्रीय खेलों में कुछ खेलों के राष्ट्रीय रिकार्ड टूट गये; और

(ख) यदि हां, तो उन खेलों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) क्रीड़ा तथा भार उठाने की प्रतियोगिता में निम्नलिखित नये रिकार्ड स्थापित किये गये हैं :—

क्रीड़ा

पुरुष

1. ऊंची कूद (हाई जम्प) —2.01 मीटर, राजस्थान के भीम सिंह द्वारा ।
2. चक्र फेंकना (डिस्कस थ्रो)—49.98 मीटर, पंजाब के प्रवीन कुमार द्वारा ।
3. हैमर फेंकना (हैमर थ्रो)—56.56 मीटर, पंजाब के प्रवीन कुमार द्वारा ।
4. तिहरी कूद (ट्रिपल जम्प)—15.87 मीटर, पंजाब के लाभ सिंह द्वारा ।
5. 800 मीटर की दौड़—1 मिनट 49.9 सेकिन्ड, राजस्थान के बी० एस० बरुआ द्वारा ।

स्त्रियां

ऊंची कूद (हाई जम्प)—1.55 मीटर, मद्रास के एल० गोम्स द्वारा ।

लड़के

1. ऊंची कूद (हाई जम्प)—1.85 मीटर, राजस्थान के दलजिन्दर सिंह द्वारा ।
2. पोल वाल्ट—3.60 मीटर, पंजाब के रघुबीर सिंह द्वारा ।
3. जेवलिन फेंकना (ज़ेवलिन थ्रो)—57.16 मीटर, बिहार के राम बदन सिंह द्वारा ।
4. 200 मीटर की दौड़—22.8 सेकिन्ड, महाराष्ट्र के साभखल द्वारा ।
5. 400 मीटर की दौड़—50.5 सेकिन्ड, मैसूर के आर० रंगानाथ द्वारा ।
6. 800 मीटर की दौड़—2 मिनट 0 सेकिन्ड, मैसूर के आर० रंगानाथ द्वारा ।
7. 4×100 मीटर रैल—44.4 सेकिन्ड, मैसूर की टीम द्वारा ।

लड़कियां

1. जेवलिन—34.02 मीटर, राजस्थान की चमेली द्वारा ।
2. शौट पुट—9.07 मीटर, मैसूर की मेरी फिलिप्स द्वारा ।

भार उठाना (वेटलिफ्टिंग)

फीदरवेट

1. सेना के एम० एल० घोष—प्रेस 108 किलोग्राम कुल 345 किलोग्राम ।
2. रेलवे के ए० के० दास—स्नेच 107.5 किलोग्राम ।

लाहौर से प्रकाशित होने वाला 'उर्दू डाइजेस्ट'

1323. श्री राम हरख यादव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह घोषणा की है कि लाहौर से प्रकाशित होने वाली उर्दु सावधिक पत्रिका "उर्दु डाइजस्ट" के जो कि "इस्तकलाल प्रेस" लाहौर म छपती है, सितम्बर, 1965 से लेकर आज तक के सब अंक सरकार ने जब्त कर लिये ह; और

(ख) यदि हां, तो जब्त करने के सम्बन्धी आदेश का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) इस सावधिक पत्रिका के सितम्बर, 1965 से आदेश की तिथि अर्थात् 21 अक्तूबर, 1965 तक के सब अंक सरकार द्वारा जब्त घोषित कर दिये गये हैं ।

(ख) यह आदेश भारतीय राजपत्र के 6 नवम्बर, 1965 के भाग दो खण्ड III(i) में प्रकाशित किया गया ।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों का वेतन

1324. श्री जेधे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को, श्रेणीवार न्यूनतम तथा अधिकतम कितना वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या ये विभागातिरिक्त कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के हकदार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनका वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और यदि हां, तो वह प्रस्ताव क्या है और इसे कब क्रियान्वित करना संभव होगा ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :(क) सूचना नीचे दी गयी है :—

श्रेणी	कम से कम (प्रतिमाह)	अधिक से अधिक (प्रतिमाह)
	रु०	रु०
अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल तथा अतिरिक्त विभागीय छंटाईकार ।	52	72
अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेता . . .	32	47
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल . . .	25	47
अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक पकर वितरण एजेंट तथा लेटर बक्स पियन ।	20	42
अतिरिक्त विभागीय चौकीदार	20	42
अतिरिक्त विभागीय संदेशक, बाल संदेशक तथा बाल चपरासी .	20	42

उक्त रकम के अलावा अतिरिक्त विभागीय उप डाकपालों तथा छंटाईकारों को 16 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को 12 रुपय प्रतिमाह की तदर्थ वृद्धि भी मंजूर की जाती है (इसमें हाल में 1-12-65 से मंजूर की गई क्रमशः 3 रुपये और 2 रुपये की वृद्धि भी शामिल है)।

(ख) जी नहीं ।

(ग) ये कर्मचारी नियमित वेतन मानों पर नियुक्त पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होते और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि इनके पास आमदनी के अन्य साधन भी होने चाहिये ।

(घ) जी नहीं, फिर भी 1 दिसम्बर, 1965 से अतिरिक्त विभागीय उपडाकपालों तथा छंटाईकारों को 3 रुपय प्रतिमाह की दर से तथा अन्य अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को 2 रुपये प्रतिमाह की दर से इनके समेकित भत्ते में वृद्धि की मंजूरी दे दी गई है। इस प्रकार की वृद्धियाँ नियमित सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जब कभी भी संशोधन होता है उस समय सरकार द्वारा वृद्धि करने की नीति के अनुकूल है ।

डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये उपदान

1325. श्री जेधे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के विभागातिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को उपदान देने से सम्बन्धित ब्यौरा अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Indian Labour Conference

1326. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 559 on the 15th November, 1965 regarding the proposals discussed and recommendations made by the Indian Labour Conference in October, 1965 and state :

(a) whether the points referred to the Standing Labour Committee for their consideration have since been considered; and

(b) if so, the specific points considered and the decisions arrived thereat ?

Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). The Standing Labour Committee at its meeting held on February 13-14, 1966, considered the points referred to it by the Indian Labour Conference in October, 1965. A statement showing the important subjects discussed and decisions reached at the above meeting is laid on the Table of the House. **[Placed in Library.]**

Publication of 'Gvan Sarovar'

1327. Shri Sidheshwar Prasad :
Dr. Mahadeva Prasad :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1604 on the 1st December, 1965 and state :

(a) the reasons for entrusting the work of publication of 'Gyan Sarovar' to 'Jamia Millia Islamia';

(b) the reasons for which the work of its publication was further handed over to the Publications Division of the Ministry of Information and Broadcasting;

(c) the amount paid to 'Jamia Millia' for the publication of 'Gyan Sarovar' and the reasons for which its accounts have not been audited so far;

(d) the reasons for the delay on the part of the Ministry of Information and Broadcasting in publishing the remaining volumes of 'Gyan Sarovar'; and

(e) the time by which all volumes of the 'Gyan Sarovar' would be published?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) The work of publication of Gyan Sarovar was entrusted to the Jamia Millia Islamia in view of their experience in the field of publication of social education literature in Hindi.

(b) The progress being rather slow, the work was later on entrusted to the Publications Division.

(c) A sum of Rs. 1,88,007.34 was released to them and by January 61 the accounts were furnished to the Accountant General, Central Revenues, for audit.

(d) & (e). On account of additional load of work on Publications Division as well as the Government of India Press due to national emergency, the printing of this book has not been as speedy as it should have been in normal circumstances. The Publications Division will do its best to bring out the remaining volumes early.

Enquiry Against Journalists

1328. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1684 on the 1st December, 1965 regarding the anti- national activities of certain journalists and state:

(a) whether the enquiry into the matter has since been completed ;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a), (b) and (c). The news despatches of the correspondence were examined by Government and on a careful consideration of all aspects of the matter, it has been decided that there is no material justifying any kind of legal action or restriction.

पदने (केरल) में टेलीफोन एक्सचेंज

1329. श्री मुहम्मद कोया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पदने में एक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का निर्णय किया गया था ;

(ख) क्या टेलीफोन लगवाने वाले लोगों से कहा गया था कि वे पेशगी धन जमा करायें; और

(ग) यदि हां, तो अब तक टेलीफोन न दिये जाने के क्या कारण हैं?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) किसी प्रकार की पेशगी रक़म जमा नहीं कराई गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पदने का शाखा डाकघर

1330. श्री मुहम्मद कोया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पदने के शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) क्या किसी दूसरे डाकघर का दर्जा ऊंचा किया गया है जिसमें पदने शाखा डाकघर की तुलना में कम काम होता है; और

(ग) यदि हां, तो पदने के शाखा डाकघर का दर्जा ऊंचा न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मद्रास सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु

1331. श्री वै० वै० तेवर : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 58 वर्ष करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर विचार इस समय किस स्तर पर हो रहा है;

(ग) यह किस तारीख से लाग होगा; और

(घ) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत किन-किन विभिन्न वर्गों के कर्मचारी आयेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

Displaced Persons from East Pakistan

1332. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that citizenship has been granted to the displaced persons who have migrated from East Pakistan; and

(b) if so, the number of the displaced persons who have been granted citizenship ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Persons who migrated from Pakistan to India before 19th July, 1948, automatically became citizens of India under the provisions of the Constitution. Those who came later, are eligible for the grant of Indian citizenship by registration, if they fulfil qualifications prescribed under the Citizenship Act, 1955.

(b) According to the information available, the total number of displaced persons who had been registered as Indian citizens till 15th December, 1965, was 4,82,868. Separate figures in respect of those who migrated from East Pakistan are not available.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संसाधनों का विकास

1333. श्री उमानाथ : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये गृह-कार्य मंत्रालय की सलाहकार समिति की हाल में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसा कार्यक्रम आरम्भ किया जाए, जिसके अन्तर्गत बाहर से आकर यहां बसे हुए लोगों तथा वहां की स्थानीय जनता के लिए द्वीप समूह के विभिन्न विविध संसाधनों के समूचे विकास का काम शामिल हो; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय तथा प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) :(क) जी, नहीं । 7 दिसम्बर, 1965 को अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिये गृह-कार्य मंत्री की सलाहकार समिति की हुई बैठक में द्वीप समूह के विकास तथा विस्थापितों के पुनर्वास संभाव्य के बारे में सामान्य उल्लेख किया गया था किन्तु इस बारे में कोई विशेष निर्णय नहीं लिये गये थे ।

Khel Gaon Near Rajghat

1334. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have abandoned their decision to construct 'Khel Gaon' near Rajghat;

(b) if so, the alternative site selected therefor; and

(c) the broad outlines of the scheme ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) & (b). The question of permitting construction of stadia etc. on the land near Rajghat had recently been considered and the view taken was that it would not be proper to allow the construction of stadia at this site and that alternative site should be searched for the 'Sports Village', now called National Sports Centre. The Chief Commissioner, Delhi has been asked to suggest two or three suitable sites, for consideration of Government.

(c) It is proposed to provide the following facilities in the National Sports Centre :—

1. Indoor Sports Arena fully equipped with gymnasium and sanitary annexes;
2. Main Stadium providing all the facilities that are necessary in a modern stadium; and
3. Playgrounds for Football, Hockey, Volley-ball, Basketball and Tennis.

Shark Liver Oil Refinery

1335. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to set up a Shark Liver Oil Refinery in Gujarat;

(b) if so, when; and

(c) from whom assistance, if any, is being sought ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) There is no such proposal by the Government of India. The Government of Gujarat have however set up a Shark liver oil refinery.

(b) & (c). This is a project included in the fisheries schemes of the Gujarat Government under the Third Five Year Plan and that Government expects that the refinery will start working very shortly.

Hostel for Scientists

1337. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to construct a hostel for Scientists in New Delhi;

(b) if so, the proposed location thereof; and

(c) the estimated expenditure thereon ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir. The Council of Scientific and Industrial Research proposes to construct a hostel for use of Directors and Senior Scientists from Research Institutions and foreign Scientists who may visit Delhi as guests of the Council.

(b) It is proposed to locate the hostel in Lodi Estate, New Delhi.

(c) The preliminary designs and estimates are under preparation.

Treatment of Dr. Makhan Lal Chaturvedi

1338. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Padma Bhushan Dr. Makhan Lal Chaturvedi is under medical treatment; and

(b) if so, whether Government have given him any assistance for this purpose and the nature thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The Central and Rajasthan Governments had jointly given a lump sum amount of Rs. 1,500 to Dr. Makhan Lal Chaturvedi during 1963-64. A grant of Rs. 5,000 was also given to him from the Education Minister's Discretionary Fund during 1964-65. In addition to this, since July, 1963, the Government of Madhya Pradesh are paying him a lifetime honorarium of Rs. 500 p.m. for his own treatment and the maintenance of his family.

अचल सम्पत्ति पर कर

1339. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में अचल सम्पत्ति पर कर दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कर में कितनी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नंगल उर्वरक कारखाने से गैस का दिया जाना

1340. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पंजाब के विभिन्न शहरों तथा दिल्ली को भोजन पकाने के लिये नंगल उर्वरक कारखाने से गैस देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : भोजन पकाने के लिये नंगल उर्वरक कारखाने से गैस की सप्लाई की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । कारखाने में प्रयुक्त प्रक्रिया से ऐसी गैस का उत्पादन नहीं हो सकता है ।

पंजाब में प्रयोगशालायें

1341. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार राज्य भर में प्रयोगशालाओं की शृंखला स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है ; और

(ग) इसके लिये कितना धन नियत किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन) : (क) मंत्रालय को ऐसी किसी योजना की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

क्रीड टेलीप्रिंटर मशीनों के पुर्जे

1342. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'क्रीड टेलीप्रिंटर मशीनों' के पुर्जो का बडा स्टाक डाक और तार अधिकारियों के पास बेकार पड़ा है;

(ख) क्या इन पुर्जो की प्रतिरक्षा मंत्रालय को बहुत अधिक आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन अप्रयुक्त पुर्जो को प्रतिरक्षा कार्यों के लिये प्रयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अतिरिक्त कलपुर्जो के कुछ स्टाक उपलब्ध हैं ।

(ख) रक्षा मंत्रालय को जिन कल-पुर्जो की आवश्यकता थी, वे उस मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिये गए हैं । और कोई मांग बकाया नहीं है ।

(ग) उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रिय तारघर, नई दिल्ली में समयोपरि (ओवर टाईम) भत्ता

1343. **श्री बूटा सिंह :**

श्री गुलशन :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में वर्ष 1963-64 और 1964-65 के दौरान विभिन्न पदालियों के कर्मचारियों से निर्धारित समय से अधिक समय तक काम लेने पर पदालि-वार औसतन कितना मासिक व्यय हुआ था;

(ख) वर्ष 1963-64 और 1964-65 के दौरान, पदालि-वार, इस कार्यालय के कर्मचारियों की मंजूर संख्या कितनी थी; और

(ग) सरकार ने समयोपरि (ओवर टाइम) खर्च को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क)

संवर्ग	औसत मासिक व्यय	
	1963-64 में	1964-65 में
	रु०	रु०
(i) तार मास्टर . . .	1,688	3,414
(ii) निम्न चुनाव पदक्रम क्लर्क . . .	कुछ नहीं	1,413
(iii) तार संकेतक . .	17,020	27,017
(iv) क्लर्क	12,794	22,043
(v) तारबाबू तथा तार पियन . . .	3,101	3,967

(ख)

संवर्ग	स्वीकृत संख्या	
	1963-64 में	1964-65 में
(i) तार मास्टर	48	50
(ii) निम्न चुनाव पदक्रम क्लर्क . . .	36	37
(iii) तार संकेतक . .	505	529
(iv) क्लर्क	535	539
(v) तारबाबू तथा तार पियन . . .	355	383

(ग) यह सुनिश्चित करते हुए कि उपलब्ध कर्मचारियों का उपयोग इस तरह किया जा सके कि उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, समयोपरि भत्ते के रूप में किये जाने वाले व्यय पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाता है। तारघरों में काम के वास्तविक स्वरूप, जैसे कि परियात आदि में घटा-बढ़ी के कारण कुछ समयोपरि व्यय करना पड़ता है। समयोपरि भत्ते के रूप में होने वाले व्यय को कम से कम करने के उद्देश्य से निर्धारित मान कों के आधार पर कर्मचारियों की मंजूरी दी जाती है और उनकी नियुक्ति की जाती है।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली

1344. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 के दौरान केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली में (एक) एक्सप्रेस और (दो) साधारण तारों को भेजने में औसतन कितना विलम्ब हुआ;

(ख) वर्ष 1964-65 में कितने सर्किट सीधे चलाये जाते थे;

(ग) क्या सरकार ने इस केन्द्रीय तारघर में तारों के अधिक जमा हो जाने के कारणों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) निपटाये जाने वाले प्रत्येक संदेश के सम्बन्ध में होने वाली देरी के नियमित आंकड़े इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि ऐसा करने में अतिरिक्त काम करना पड़ता है । परिपथों तथा दिन और रात की अवधि के अनुसार ही कम और अधिक देरी लगती है । फिर भी तुरंत तारों को उनके बुक करने या प्राप्त होने के पश्चात् आमतौर पर एक घंटे के भीतर तथा साधारण तारों को दो घंटे के भीतर निपटा दिया जाता है ।

(ख) 101.

(ग) तथा (घ) : जी हां, चूंकि नई दिल्ली भारत वर्ष की राजधानी है, अतः यहां परियात का कुछ जमाव हो जाना स्वाभाविक ही है । नई दिल्ली में परियात के ज़ोर को कम करने के लिए आगरा, अम्बाला, जयपुर आदि में दूसरे पारगमन केन्द्र स्थित हैं । जल्दी ही जेन्टक्स कार्य प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है, जिससे कि सीधे ही डायलिंग प्रणाली द्वारा दूर-दूर के स्थानों का आपस में सम्बन्ध स्थापित किया जा सकेगा और इन्हें नई दिल्ली होकर मिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी ।

केन्द्रीय तारघर, नई दिल्ली

1345. श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय तारघर के अनेक कर्मचारी गत दो वर्षों से अपने मूल वेतन के 40 प्रतिशत से अधिक राशि समयोपरि (ओवर टाइम) भत्ते के रूप में कमा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस कार्यालय का प्रतिदिन का काम पूरा करने के लिए अपेक्षित अधिक कर्मचारियों को नियुक्त न करने के क्या कारण है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, लगभग 25 प्रतिशत कर्मचारी ।

(ख) केन्द्रीय तारघर में समयोपरि कमाई का मुख्य कारण कर्मचारियों की कमी ही नहीं है हालांकि यह भी एक कारण है । पूरे काम को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर कर्मचारियों की मंजूरी दी जाती है और उनकी नियुक्ति की जाती है जिससे कि इन कर्मचारियों का लगातार इस तरह से उपयोग किया जा सके जो लाभदायक हो । फिर भी परियात में घंटा-बढ़ी होती रहती है और वह एक ही ढंग का नहीं होता जिसका कि औसत निकाला जा सके । परियात को बिना किसी देरी के निपटाना आवश्यक होता है और क्योंकि यह किसी भी समय आ सकता है, अतः समयोपरि आधार पर काम करना तारघरों में एक सामान्य सी बात हो गई है जिससे बचना कठिन है । तेजी से भर्ती और प्रशिक्षण द्वारा स्वीकृत संख्या में होने वाली कर्मचारियों की कमी को धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है ।

भारत का आवृत्तियों (फ्रिक्वेंसीज) से वंचित रहना

1346. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या नये तथा बड़े शक्तिशाली ट्रांसमिटर, लगाने में विलम्ब होने के कारण भारत को अनेक आवृत्तियों (फ्रिक्वेंसीज़) से वंचित रहना पड़ा है, जिनका वह अधिकारी है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जी नहीं ।

नागालैंड में गुप्त ट्रांसमीटर

1347. **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नागालण्ड में लगे हुए गुप्त ट्रांसमिटर के बारे में इस बीच पता लगा लिया है और यदि हां, तो वह कितना बड़ा है और कहां का बना हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : विशषज्ञों के एक दल की कोशिशों के बावजद ट्रांसमीटर का पता नहीं चल सका। 23 सितम्बर, 1965 के बाद इस ट्रांसमीटर से किसी प्रसारण की कोई सूचना नहीं मिली ।

प्रबन्ध व्यवस्था में कर्मचारियों का योग

1348. **श्री नारायण रेड्डी :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री लोटन चौधरी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक कारखानों का प्रबन्ध चलाने में कर्मचारियों को भागीदार तथा अंशधारी बनाने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इस योजना के कब लागू किया जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना से कर्मचारियों तथा औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्ध को कहां तक लाभ होगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख), (ग) और (घ) : इस मामले का अध्ययन किया जा रहा है ।

दूसरा सीमेंट मंजूरी बोर्ड

1349. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री बाल्मीकी :

श्री बागड़ी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री दूसरे सीमेंट मजूरी बोर्ड के बारे में 30 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमेंट कर्मचारियों के लिए दूसरे मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : एक विवरण, जिसमें विभिन्न राज्यों के सीमेंट कारखानों में अन्तरिम सहायता देने सम्बन्धी सिफारिशों की क्रियान्विति की प्रगति दिखाई गई है, संलग्न है ।

विवरण

सीमेंट उद्योग के कामगारों को अन्तरिम सहायता देने सम्बन्धी सिफारिशों की क्रियान्विति की प्रगति के बारे में विवरण

वे राज्य जिनमें सिफारिशें पूर्णतः क्रियान्वित कर दी गई हैं ।	वे राज्य जिनमें सिफारिशें आंशिक रूप से क्रियान्वित कर दी गई हैं ।	वे राज्य जहां से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।
(1) पंजाब	*(1) मैसूर	(1) उत्तर प्रदेश
(2) मद्रास	†(2) बिहार	(2) राजस्थान
(3) केरल		(3) जम्मू और काश्मीर
(4) गुजरात		
(5) मध्य प्रदेश		
(6) महाराष्ट्र		
(7) उड़ीसा		
(8) आन्ध्र प्रदेश		

टिप्पणी : पश्चिम बंगाल, असम और नागालैंड में कोई सीमेंट-कारखाना नहीं हैं ।

*चार कारखानों में से, तीन ने सिफारिशें पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर दी हैं । चौथे कारखाने के बारे में स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

†बिहार में सात कारखानों में से तीन ने सिफारिशें पूर्णतः क्रियान्वित कर दी हैं । अन्य चार कारखानों के बारे में अंतिम स्थिति का पता लगाया जा रहा है ।

बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

1350. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० जी० नायक :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के प्रश्न पर पूर्णतः विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर "हां" है, तो बोर्ड के सदस्य कौन कौन होंगे और इसके निर्देश-पद क्या हैं और यह अपना प्रतिवेदन कब तक देगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : बिजली प्रतिष्ठानों के लिए शीघ्र ही एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने का विचार है । मजूरी बोर्ड का गठन और विचारार्थ विषय इस समय विचाराधीन हैं ।

चाय बागानों के लिये मजूरी बोर्ड

1351. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बाल्मीकी :
श्री बागड़ी :
श्री दाजी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बागानों संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर "नहीं" है, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क), (ख) और (ग): बोर्ड ने विचार-विमर्श का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और उनकी रिपोर्ट आगामी दो माह में प्राप्त होने की आशा है ।

दिल्ली में बेरोजगारी

1352. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1966 तक दिल्ली के काम दिलाऊ दफ्तरों के अभिलेखों में कितने बेरोजगार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज करवाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर रोजगार दिलाने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 75,581 ।

(ख) रोजगार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंजियन के एक वर्ष के भीतर ही इन सभी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर जुटाना सम्भव नहीं होगा ।

केरल के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

1353. **श्री बाल्मीकी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री केरल के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में 30 अगस्त, 1965 के अतारांकित संख्या 997 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 दिसम्बर, 1965 को केरल सरकार को दिये गये ज्ञापन में की गई मांगों पर सरकार ने इस बीच कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या 5651/66**]

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में टेलीफोन कार्यालय और टेलीफोन एक्सचेंज

1354. श्री बाल्मीकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पंजाब में तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन कितने हैं और वर्ष 1966-67 में अन्य कितने और कहां कहां खोले जाने की संभावना है;

(ख) इस काम पर कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) कितने टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाई जाने की संभावना है ।

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

(ख)

		रुपये (लाखों में)
तारघर	लगभग	0.30
टेलीफोन केन्द्र	लगभग	3.37
दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर . . .	लगभग	1.40

(ग) 1966-67 के दौरान दस ।

2 मार्च, 1966 को श्री वाल्मीकी, श्री यशपाल सिंह, श्री बागड़ी तथा श्री दलजीत सिंह द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नसंख्या 1354 के भाग (क) के सम्बन्ध में लोक-सभा पटल पर रखा जाने वाला एक विवरण ।

(क) 31 जनवरी, 1966 को मौजूद तारघर . . .	685
31 जनवरी, 1966 को मौजूद टेलीफान केन्द्र . . .	171
31 जनवरी, 1966 को मौजूद दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन घर	179

पंजाब में ऐसे स्थानों के नाम जहां समय पर भण्डार प्राप्त हो जाने की स्थिति में 1966-67 के दौरान तारघर/दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफान घर/टेलीफोन केन्द्र खोलने की संभावना है ।

तारघर	दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफान घर	टेलीफोन केन्द्र
(1) दौलतपुर	(1) घरमकोट	(1) बदनीकलां
(2) विझारी	(2) समाध भाई	(2) बालाचवा
(3) वरथीं	(3) धमेता	(3) बारीवाला
	(4) सरकाधाट	(4) भादौर
	(5) आल्हीलाल	(5) भीखीविंद
	(6) नाहर	(6) चौपाल
	(7) कनीन	(7) गढ़शंकर
	(8) दौलतपुर	(8) हरियाणा
		(9) खालरा
		(10) मजीठा
		(11) भाखू
		(12) नूरमहल
		(13) प्रीतनगर
		(14) रायकोट
		(15) शाहकोट
		(16) शंकर

कलकत्ता में टेलीफोन के बिलों की बकाया राशि

1355. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में टेलीफोन बिलों की बहुत बड़ी राशि वसूल नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) बिलों की राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) तथा (ख): जी नहीं, 31 मई, 1965 तक जारी किये गए बिलों की बकाया रक़म 30 नवम्बर, 1965 को 59.12 लाख रुपये है, जबकि एक वर्ष के दौरान बिलों से प्राप्त आय 732 लाख रुपये है ।

(ग) तथा (घ) : दोषी उपभोक्ताओं के टलीफोन संयोजन काटने के लिए कार्रवाई की गई है । बकाया रक़म जल्दी वसूल करने के लिए अन्य विशेष कदम भी उठाये गए हैं, जिनमें दोषी उपभोक्ताओं के पीछे लगना और जहां आवश्यक है कानूनी कार्रवाई करना भी शामिल है । बकाया रक़म की वसूली क्रमशः की जा रही है ।

Manufacture of Hindi Teleprinter

1356. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in the manufacture of a Hindi Teleprinter;

(b) whether it is a fact that the Hindi newspapers and news agencies are experiencing great difficulty on account of non-availability of Hindi teleprinters; and

(c) if so, when these would be available in required number ?

The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) The key-board for the Hindi Teleprinter has been finalised and the key-board design has been communicated by the Hindustan Teleprinters Limited to its collaborators for submitting technical and manufacturing details and information regarding the tooling required for the same.

(b) and (c). The P&T Department has received a few demands for Hindi Teleprinters but the supply will be possible only after the Factory has started production of Hindi Teleprinter machines. It is expected that the manufacture of these machines may be possible during 1967.

Payment of Bonus

1357. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 683 on the 6th December, 1965 and state:

(a) whether any memorandum has been received by him in connection with the non-compliance of the past tripartite settlement and ratios by the managements from any representative Trade Union ;

(b) if so, the name of the union concerned and the action taken in this regard; and

(c) whether in view of the assurances regarding previous quantum of bonus paid by the flourishing concerns and also in view of the situation arising out of the attempts of some employers to determine bonus unilaterally without any reference to the recognised trade unions, the question to amend the Payment of Bonus Act, 1965 is under consideration ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) & (b). The Petroleum Workers Union and the Indian National Trade Union Congress have made representations about the non-payment of bonus for the years 1964 and 1965 by the Oil Companies in accordance with the long-term settlements arrived at during 1963. The parties have been advised to settle the dispute through negotiations ; these are now in progress.

(c) The Government have at present no proposal to amend the Payment of bonus Act.

Telegrams in Devanagri Script

*1358. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the facilities to send telegrams in Hindi and other languages in Devanagri script are comparatively less than English;

(b) the position in the Hindi speaking areas in the matter; and

(c) if these facilities are less, the reasons for according this treatment ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jagannath Rao): (a) & (b). All other facilities except the number of offices where the Devanagri service is available are same as those of English service. A statement showing the total No. of Telegraph Offices together with the number of Offices having Devanagri Telegraph facilities as on 31-3-65, and the total number of Telegrams together with the number of Devanagri Telegrams booked during 1964-65 is placed on the table of the Sabha. [**Placed in Library See No. L.T. 5652/66.**]

(c) The main difficulty is to impart separate special training to about 17,000 operators working all over the country and to maintain their practice on the face of very meagre number of Devanagri Telegrams handled.

बागान उद्योग में रोजगार

1359. **श्री दाजी :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान उद्योग में घटते हुए रोजगार के सम्बन्ध प्रतिवेदन देने के लिये नियुक्त की गई एक-सदस्य वाली समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) यह समिति केवल एक तथ्य निर्धारण निकाय थी । परन्तु इसने निष्कर्ष रिकार्ड करने के अलावा अपनी रिपोर्ट में कुछ औपचारिक उपाय सुझाये हैं । एक विवरण, जिसमें मुख्य निष्कर्ष और सुझाव दिए गए हैं, संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5953/66**]

(ग) क्यों कि यह एक व्यक्ति समिति बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की सिफ़ारिश पर नियुक्त की गई थी, इस लिए रिपोर्ट औद्योगिक समिति के आगामी अधिवेशन के सामने विचारार्थ रखी जायगी । इस लिए रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा मालिकों और मज़दूरों के केन्द्रीय संगठनों को भेज दी गई है ।

ढोरी कोयला खान में दुर्घटना

1360. **श्री दाजी :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढोरी कोयला खान दुर्घटना सम्बन्धी जांच न्यायालय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि जोधपुर विश्व विद्यालय के खनन विभाग के अध्यक्ष श्री आर० पी० सिन्हा ने जांच न्यायालय के सामने गलत साक्ष्य दिया है;

(ख) क्या जांच न्यायालय ने उसके सामने ढोरी कोयला खान के प्रबन्धक के अनुचित व्यवहार का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) न्यायालय का मत था कि मैनेजर ने कुछ गैर-जिम्मेदारी दिखाई है ।

(ग) सरकार को सलाह दी गई है कि चुंकि मुख्य पृच्छा में श्री आर० पी० सिन्हा के वक्तव्य से कोई भी गुमराह नहीं हुआ, इसलिए मिथ्या शपथ के अभियोजन के लिए कोई मामला नहीं है । कोयला खान के 'मालिक' और मैनेजर के खिलाफ खान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की जा रही है और मैनेजर के खिलाफ कोयला खान विनियम 25 अन्तर्गत कार्यवाही करने के पर विचार किया जा रहा है ।

बोनस अधिनियम, 1965

1361. **श्री काशी नाथ पाण्डे** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ नियोजकोंने बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के लागू किये जाने के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कुछ लेख याचिकायें दायर की हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मुकदमे किस स्थिति में हैं; और

(ग) कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) याचिकाओं की सुनवाई 16 मार्च, 1966 के बाद निश्चित होने की सम्भावना है ।

(ग) याचिकाओं का प्रतिवाद करने के लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है ।

राइफल ट्रेनिंग

1362. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राइफल ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो देश में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ग) उस पर कितना व्यय हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) नागरिकों को राइफल चलाने का प्रशिक्षण देने की गति को बढ़ाने की एक योजना बनाई गई है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसको लागू करने की सिफ़ारिश की गई है ।

(ख) इस योजना के अधीन 30 सितम्बर, 1965 तक 1,20,039 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Introduction of Satellite Communication System in India

1363. **Shri Narayan Reddy :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Himatsingka :
Shri Kajrolkar :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering to introduce Satellite Communication system in India ;

(b) if so, when and the progress made to set up the Global Satellite Communication station so far; and

(c) the amount to be spent?

The Minister of State for Parliamentary Affairs & Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) Yes, Sir

(b) The Global Satellite Communication System is expected to be in operation by early 1968. For the successful and speedy implementation of the Project for the establishment of the Indian Earth Station the Government of India have constituted two interdepartmental committees viz. a Policy Committee and a Technical Co-ordination Committee. The Technical Co-ordination Committee has submitted the Project Report and the specifications for the Earth Station. These are under consideration of Government.

(c) The estimated cost of the project is Rs. 3·18 crores for the Ground Station facilities inclusive of land, buildings, equipment, etc. In addition, India's share of cost of the space segment is Rs. 47 lakhs approximately (0·5% approximately of the total estimated cost of 200 Million for the Space Segment).

National Oceanography Institute

1364. Shri Rameshwar Tantia :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Himatsingka :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shree Narayan Das :
Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Bade :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Rajeshwar Patel :
Shri R. S. Pandey :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri R. Barua :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 351 on the 10th November, 1965 and state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a National Oceanography Institute from the 1st January, 1966 ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The Institute which will be located at a suitable coastal site will consist of the following main divisions together with a modern Research Ship of its own :

1. Physical and dynamical Oceanography Division.
2. Chemical Oceanography Division with a Unit for extraction of raw materials from the sea.
3. Biological Oceanography Division Ocenaic Living Resources.
4. Geological Oceanography Division with a Unit for prospecting of the Continental Shelf and deeper areas.

5. Data and documentation.

6. Oceanographic Instrumentation.

The Indian Ocean Bilological Centre which was established for the Indian Ocean Expedition also functions as a Division of the new Institute.

Rates of Postal Mails and Parcels

1365. Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to raise the rates of postal mail and parcels for foreign countries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) when these revised rates will be introduced ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) The postage rates for foreign parcels and certain categories of letter mail articles have been revised on account of the revisions in the provisions and the Acts of the UPU as finalised in Vienna Congress 1964.

(b) Three statements are enclosed. **[Placed in Library. See, No. L. T. 5654/66]**

(c) The revised rates have taken effect from 1st January, 1966.

केरल के त्रिचूर जिल्हे में टाइल के कारखाने

1366 श्री बासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के त्रिचुर जिले में टाइल के कारखानों के मज़दूरों को संशोधित न्यूनतम मजूरी के अनुसार उनकी दैनिक मजूरी 15 पैसे अधिक मिलनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम मजूरी में इस वृद्धि को लागू न किये जाने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) टाइल उद्योग मज़दूरों के लिए केरल सरकार द्वारा अधिसूचना, तारिख 16–2–1965 में अधिसूचित संशोधित दरों में त्रिचूर जिले के मज़दूरों के कुछ वर्गों की मजूरी में 15 पैसे और कुछ वर्गों की मजरी में 13 पैसे की वृद्धि करने की व्यवस्था है । संशोधित दरें 1–4–1965 को लागू होनी थीं ।

(ख) ये संशोधित दरें लागू नहीं की गई क्योंकि केरल हाई कोर्ट ने, अगला आदेश जारी होने तक, केरल सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के प्रवर्त्तन को रोकने के आदेश जारी किए है ।

शिक्षित लोगों की बेरोजगारी

1367. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक के प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य में कितने शिक्षित लोग बेरोजगार थ तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य में औद्योगिक तथा कृषि के क्षेत्रों में कितनी बेरोजगारी थी और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन आंकड़ों से यह बात प्रमाणित होती है कि आसाम में बेरोजगारी की स्थिति देश में सबसे भीषण है; और

(घ) यदि हां, तो उस राज्य में स्थिति को सुधारने के लिए क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : इस तरह की जानकारी प्राप्त नहीं है मार्च, 1953 से रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार लोगों का राज्यानुसार ब्यौरा साथ लगा दिया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 5655/66]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

विवरण

31 मार्च, 1953 से 31 मार्च, 1956, 31 मार्च, 1961 और 30 जून, 1965 को देशभर के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक और अधिक शिक्षा प्राप्त) उम्मीदवारों का राज्यानुसार ब्यौरा ।

राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश	रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज शिक्षित बेरोजगार लोग			
	+31-3-1953	31-3-56	31-3-1961	30-6-1965
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	8,661	18,435	32,389	45,463
असम	1,957	1,787	6,599	9,104
बिहार	6,160	11,395	19,155	42,302
दिल्ली	7,494	19,561	27,749	40,572
गोवा	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	334
गुजरात	18,828*	5,728	20,314	32,232
महाराष्ट्र		24,442	46,440	74,631
हिमाचल प्रदेश	71	224	956	4,569
जम्मू व काश्मीर	अप्राप्य	अप्राप्य	454	1,051
केरल	6,377	16,286	64,005	77,012
मध्य प्रदेश	2,180	3,468	12,594	56,802
मद्रास	14,067	19,609	35,300	52,948
मणिपुर	अप्राप्य	अप्राप्य	1,420	2,003
मैसूर	5,017	9,984	24,883	53,937

1	2	3	4	5
उड़ीसा . .	1,309	1,497	5,522	13,465
पाण्डुचेरी . .	अप्राप्य	अप्राप्य	293	581
पंजाब . . .	6,301	8,749	22,265	35,682
राजस्थान . .	2,187	4,365	13,855	34,183
त्रिपुरा . . .	अप्राप्य	अप्राप्य	709	4,528
उत्तर प्रदेश . .	17,685	40,767	83,105	1,15,135
पश्चिम बंगाल .	19,642	35,203	70,139	1,44,288
कुल जोड़ .	1,17,936	2,21,500	4,88,146	8,40,822

रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराना ऐच्छिक है अस्तु सभी शिक्षित बेरोज़गार लोगों का इन कार्यालयों में नाम नहीं दर्ज होता । इसके अलावा रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों में से काफी लोग कहीं न कहीं काम कर रहे होते हैं और अच्छे काम की तलाश करते रहते हैं ।

+शिक्षित बेरोजगार लोगों की जानकारी इकट्ठा करने का काम मार्च, 1953 के अंत से आरम्भ किया गया था ।

*31-3-1953 के आंकड़े पुराने बम्बई राज्य (गुजरात और महाराष्ट्र) के हैं । 1956 से सम्बन्धित आंकड़े इन राज्यों की सीमा के पुनर्गठन के बाद के हैं ।

अप्राप्य : अप्राप्य क्योंकि तब यहां रोजगार कार्यालय नहीं थे ।

Inter-Ministerial Committee

1368. Shri Bagri :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Vishram Prasad :
Shri Utiya :
Shri Ram Sewak Yadav :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Basumatari :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether any meeting of the inter-Ministerial Committee constituted by his Ministry was held in the last week of December, 1965 at New Delhi ;

(b) if so, the topics discussed by the Committee ; and

(c) whether the Committee has made any recommendations, and if so, the action taken by Government thereon ?

Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) The Committee discussed closures and apprehended closures of industrial units in border areas due to the recent military operations and in other parts of the country on account of economic difficulties.

(c) A statement showing the main recommendations of the inter-Ministerial Committee and the action taken thereon is enclosed. **[Placed in Library, see No. L. T. 5656/66]**

राष्ट्रमंडल की समुद्री तार का सिंगापुर से भारत तक का विस्तार

1369. **श्री बागड़ी :**
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **संचार** मंत्री 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 834 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सिंगापुर से भारत तक राष्ट्रमण्डल की समुद्री तार को बढ़ाने के बारे में कोई निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) इस योजना के कब क्रियान्वित होने की संभावना है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं । यह मामला अभी तक विचाराधीन है और अंतिम निर्णय पर पंहुचने में अभी कुछ समय और लग जायेगा ।

(ख) यह केबल डालने के विषय में अंतिम निर्णय कर लिये जाने की तारीख से लगभग ढ़ाई से तीन वर्ष की अवधि में इस केबल के वाणिज्यिक उपयोग के लिये सुलभ हो जाने की संभावना है ।

बन्दरगाहों में उदवभरक (स्टेवेडोर) व्यवस्था

1370. **श्री बागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री उटिया :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री बन्दरगाहों में उदवभरक (स्टेवेडोर) व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 743 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में और क्या प्रगति हुई है तथा किस तारीक तक अन्तिम ।नणय ाकय जाने की संभावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अभी तक तथा पूर्व स्थिति बनाए रखने का फैसला किया गया है ।

ग्रामीण रोजगार दफ्तर

1371. **श्री बागड़ी :**
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री ग्रामीण रोजगार दफतर के सम्बन्ध में 8 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस दफतर के पुनर्गठन तथा विस्तार के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): ग्रामीण रोजगार दफ्तरों के पुनर्गठन तथा विस्तार की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ।

Extension of Indian Advocates act to Pondicherry

1372. Shri P. R. Chakraverti :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Pondicherry Government has decided to switch over the existing system of Jurisprudence to the Indian system to fit in with the constitutional and judicial uniformity of the country ; and

(b) the progress so far achieved in this direction especially in shaping the Courts in Pondicherry to fit in which the heirarchy of higher courts set up under the Indian Constitution .

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs & Minister of Defence Supplies to the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) & (b). The legal system in Pondicherry is gradually being brought in line with that prevailing in the rest of the country. A major step in this direction was taken in 1963 when as many as 167 Central Acts including the Indian Penal Code the Indian Evidence Act, 1872, and the Code of Criminal Procedure, 1898 and several taxation laws were extended to this territory. The jurisdiction of the High Court at Madras has been extended to Pondicherry and the question of the reorganisation of subordinate Courts in Pondicherry on the lines of the heirarchy of such Courts in the adjoining State is under consideration of the Government of Pondicherry. A Bill which seeks to extend the Advocates Act, 1961 to Pondicherry is awaiting consideration in the Lok Sabha. Proposals to extend another batch of about 100 Central Acts including the Code of Civil Procedure, 1908, Suits Valuation Act, 1887, Indian Stamp Act, 1899, Court Fees Act, 1870 are under consideration.

हिमालय विकास संबंधी गोष्ठी

1373. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिमालय क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक तथा सनिक विकास के सम्बन्ध में हाल ही में हुई गोष्ठी में व्यक्त किये गये मतों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये गये थे ; और

(ग) उन के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

विवरण

सेमिनार द्वारा की गई सिफारिशें

(1) आज देश में हिमालय के भूगोल तथा उसके लोगों के इतिहास और संस्कृति के ज्ञान की तत्काल ही बहुत अधिक आवश्यकता है, विशेष रूप से हमारी विदेश नीति और संबंधों के संदर्भ में हिमालय के महत्व को देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में ।

(2) हिमालय सम्बन्धी अध्ययन के लिए स्वतंत्र, स्वायत्त शासी संस्थान तत्काल स्थापित किया जाए, जिसके साथ मानव-विज्ञान सम्बन्धी, वनस्पति विज्ञान सम्बधी और भूगर्भीय संग्रहों का एक संग्रहालय तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की पाण्डुलिपियों का एक पुस्तकालय होना चाहिए ।

(3) राष्ट्रीय संग्रहालय में इस समय हिमालय सम्बन्धी जो सामग्री है उसे हिमालय के एक अलग खण्ड में पुनर्गठित और विकसित किया जाना चाहिए ।

(4) हिमालय के अध्ययन के लिए शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर व्यवस्था की जानी चाहिए ; और उत्तर-स्नातक स्तर पर, सभी उपयुक्त विषयों में एक विशेष प्रश्न पत्र (ऐच्छिक) की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(5) शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन के भारतीय स्कूल और दिल्ली अर्थशास्त्र स्कूल जैसी संस्थाओं को, जहां हिमालय सम्बन्धी उच्च अध्ययन के प्रोत्साहन के लिए अन्तर-वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कराया जाता है, वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए ।

(6) नियमित समय के बाद अखिल भारतीय सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए ।

(7) अन्त में, अब से आम रूप से प्रचलित (अंग्रेजी रंग में रंगा) बहुवचन 'हिमालयाज' शब्द के स्थान पर सामूहिक नाम 'हिमालय' (हिम जमा आलय, बर्फ का घर) प्रयोग किया जाना चाहिए ।

कालकाजी कालोनी, नई दिल्ली का विकास

1374. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री दिनेन भट्टाचार्य :
डॉ० रानेन सेन :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों के लिये कालकाजी कालौनी में 218.3 एकड़ भमि का विकास करने तथा उस के प्लाट देने की योजना चिरकाल से पूर्ण नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) इस आशा में कि विकास कार्य (डिवेलपमेंट वर्क) बहुत शीघ्र पुरा हो जाने वाला है, क्या आवंटन के लिये आवेदन-पत्र मांगने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : योजना 1961 में मंजूरी की गई थी । 218 एकड़ भूमि में से 170 एकड़ भूमि विकास के लिये ली जा चुकी है । समतल तथा संवारने के अतिरिक्त इस क्षेत्र के आंतरिक विकास की प्रगति संतोषजनक है । भूमि के समतल तथा संवारने का कार्य सवप्रथम भारत सेवक समाज को दिया गया था किन्तु वे संतोषजनक प्रगति न कर सके । अब यह कार्य अन्य ठेकेदार को दे दिया गया है ।

(ग) एक प्रैस विज्ञप्ति 4-1-1966 को जारी की गई थी जिसमें प्लाट आवंटन के लिये अर्जियां मांगी गई थीं । अर्जियां दाखिल करने की अंतिम तिथि 28-2-1966 थी, तथापि रक्षा कर्मचारी वर्ग जो दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा पर हैं उनके लिये यह अवधि 31-3-1966 तक बढ़ा दी गई है ।

राजभाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा

1375. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने अभी तक प्रादेशिक भाषाओं को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है;

(ख) सब सरकारी कामों में विदेशी भाषा के स्थान पर तुरन्त प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग करवाने के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या कायवाही की गई है; और

(ग) उन राज्यों द्वारा विदेशी भाषा को राज भाषा के रूप में बनाये रखने के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आंध्र प्रदेश, केरल और नागालैण्ड ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 345 के अधीन किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकता है ।

(ग) आंध्र प्रदेश की सरकार शीघ्र ही क्षेत्रीय भाषा को राज्य के राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग के लिये राज-भाषा के रूप में अंगीकार करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है । केरल में जब विधान सभा काम करने लगेगी तब केरल सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी । नागालण्ड में अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग जारी है ।

Muslim Majlis-E-Maushavrat

1376. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a communal organisation named Muslim Majlis-e-Maushavrat has been set up recently ;

(b) whether the founder of this organisation is som e Member of Parliament ;

(c) whether he had sought permission of Government for the setting up of this organisation; and

(d) if not, the action taken by Government against the said organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Government are aware of the formation of the Muslim Majlis-e-Maushavrat.

(b) No, Sir.

(c) No such permission is required.

(d) Action will be taken if and when it is called for.

Dance Schools in Delhi

1377. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yudhvir Singh : Shri Rameshwaranand : Shri Bade :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that many dance schools in Delhi and New Delhi have become centres of corruption;

(b) if so, the action taken against them; and

(c) the number of such schools?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla) : (a) and (b). During the year 1965, 3 complaints against 14 persons who were either proprietors or employees of dancing schools were received by the Delhi Police. These complaints were investigated and the persons complained against are being tried for offences under the Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act.

(c) 3.

'Sacrilege of Delhi Idgah'

1378. Shri Bade :

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the book in English entitled "Sacrilege of Delhi Idgah" confiscated by the Chief Commissioner of Delhi ;

(b) whether any other similar book has been confiscated ; and

(c) the action taken by Government against the persons concerned?

The Deputy Minister in Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir.

(c) A case was registered against Hafiz Ali Bahadur Khan under rule 41 of the Defence of India Rules, 1962 and is pending trial.

Statement

The pamphlet 'Sacrilege of Delhi Idgah' was issued by Hafiz Ali Bahadur Khan, Founder President, Amir Majlis-i-Ahrar-i-Islam. It very severely criticises the Delhi Development Authority for having unauthorisedly encroached upon the land belonging to Idgah, Police Station, Sadar Bazar. It is also contended in the pamphlet that the encroachments by non-Muslims at the instance of the Delhi Development Authority amount to sacrilege of this sacred place, which is resented by the Muslims who have been reduced to second class citizens. The pamphlet is aimed at causing fear or alarm to a section of the public. The pamphlet and every copy or translation thereof or extract therefrom has, therefore, been declared forfeited to Government, and its further publication, sale and distribution has also been prohibited under rule 45 of the Defence of India Rules, 1962.

Inter-State Gang of Image Thieves

1379. Shri Yudhvir Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether recently an inter-state gang of image thieves has been detected in Delhi ;

(b) the number of members of the gang and the number of the fts so detected ; and

(c) the value of the goods so far seized ?

Deputy Home Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

Facilities for sports in Delhi Schools

1380. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a new scheme to provide facilities for sports in the schools in Delhi ; and

(b) if so, the details thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course.

Pak and Chinese Spies

1381. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Pakistani and Chinese spies arrested in the country during the period from the 1st to the 30th December, 1965 ; and

(b) the broad details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) During the period from the 1st to the 30th December, 1965, five persons were arrested on suspicion of being involved in espionage activities for Pakistan.

(b) All the cases are under investigation. Disclosure of the details, at this stage, is likely to jeopardise the investigations.

आदूर, केरल का सब-इन्स्पैक्टर

1382. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को केरल राज्य के आदूर के पुलिस सब-इन्पैक्टर के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें मिली है; और

(ख) यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन शिकायतों की जांच की जा रही है ।

त्रिपुनीथरा में छात्रों पर लाठी चलाया जाना

1383. **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री वारियर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 दिसम्बर, 1965 को त्रिपुनीथरा, केरल राज्य में पुलिस ने छात्रों पर लाठी चलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने छात्रों को चोटें आईं; और

(ग) क्या इस प्रकार लाठी चलाये जाने के बारे में जांच करने का आदेश दे दिया गया है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : राज्य सरकार ने इस घटना की जांच कराने का निश्चय किया है । इसलिये जांच के नतीजे की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा ताकि स्पष्ट तथ्यों का पता चल सके ।

आपतिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) की परीक्षा

1384. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से विभागीय उम्मीदवारों के लिये आपातिक भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : पिछले कुछ वर्षों में आपातिक परीक्षा की किसी योजना पर विचार नहीं किया गया । किन्तु द्वितीय वेतन आयोग की एक सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय असैनिक कर्मचारियों के लिये भारतीय प्रशासन सेवा और केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी–1 की एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा करने के बारे में विचार किया गया । बहुत सी कठिनाइयों के कारण इस योजना पर अमल नहीं किया गया ।

केरल तथा अन्य राज्यों में हिंदी माध्यम वाले कालेज

1385. **श्री उमानाथ :**
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :
श्री त्रिदिबकुमर चौधरी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय तथा अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों को, अपने-अपने राज्य में, राज्य से बाहर के अन्य विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध होने वाले हिन्दी माध्यम वाले कालेज स्थापित करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रस्ताव भजने के क्या कारण है; और

(ग) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में केरल विश्वविद्यालय तथा अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मं ी (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग): राज्य से बाहर विश्व-विद्यालय से संबद्ध होने वाले हिन्दी माध्यम कालेज की स्थापना के संबंध में कोई स्पष्ट प्रस्ताव केरल विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी अहिन्दी भाषी राज्य के पास नहीं भेजा गया था। किन्तु इस मंत्रालय ने हिन्दी प्रचार के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों को अपने-अपने क्षत्रों में हिन्दी माध्यम के स्कूल और कालेज खोलने की सम्भावना का पता लगाने के लिए अगस्त 1964 में लिखा था। ऐसी संस्थाएं खोलने के लिए योजना चौथी पंचवर्षीय आयोजना के राज्य क्षत्र में अब शामिल कर ली गई है।

दिल्ली में राजकीय सहायता प्राप्त स्कूल

1386. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हुकुम चन्द क वाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली अभिभावक-शिक्षक परिषद द्वारा 20 दिसम्बर, 1965 को स्वीकृत उस संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें सरकार से दिल्ली के सभी राजकीय सहायता प्राप्त स्कूलों को अपने हाथ में ले लेने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह अनुभव किया है कि राजकीय सहायता-प्राप्त स्कूलों में तथा शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तथा कुप्रबन्ध चल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने गर-सरकारी स्कूलों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों की इस शिकायत पर ध्यान दिया है कि माध्यमिक शिक्षा विधेयक में उनकी सेवा की सुरक्षा का उपबन्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस मामले में उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) ऐसा कोई संकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) सहायता-प्राप्त स्कूलों में तथा दिल्ली के शिक्षा निदेशालय में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार तथा अव्यवस्था से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई ह; किन्तु की गई जांच के परिणामस्वरूप आरोप सिद्ध नहीं हो सके हैं। एसी सभी शिकायतों की जांच संबंधित प्राधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ग) और (घ) : दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक, लोक सभा में 9-12-64 को पेश किया गया था और इस समय यह विधेयक संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

लक्काद्वीप तथा मिनिकाय द्वीपसमूह का पुन: नामकरण

1387. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्काद्वीव तथा मिनिकाय द्वीप समूह का नाम नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : एसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Law and Order Situation in States

1388. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have had any consultations with the Home Ministers of the various States with a view to improving the deteriorating law and order situation in the rural areas of the country where peace-loving and law-abiding citizens are being harassed by the anti-social elements ;

(b) the suggestions, if any, put forward by his Ministry in the matter;

(c) whether any programme has been chalked out for organising Village Defence Organisations on the lines of the Civil Defence Committees in big cities; and

(d) if so, the steps taken to make it a success ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Compulsory Primary Education

1389. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Linga Reddy :
Shri Maheswar Naik :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the percentage of children receiving compulsory education in schools in accordance with the direction for imparting compulsory education to children upto the age of 11 years and when the arrangements will be made for remaining children ;

(b) the provision made by the Government of India for giving recurring and non-recurring financial aids to the States and the amount to be allocated in the Fourth Plan on this account; and

(c) when the work relating to the imparting of compulsory education to the children upto the age of 14 years will be started in accordance with the provisions of the Constitution and when that will be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Dr. (Mrs.) T. S. Soundaram Ramachandran) : (a) It is estimated that about 78·5% of the children in the age group 6-11 including those in areas where Compulsory Education Acts are in force, will be attending schools by the end of the IIIrd Plan.

(b) Central Assistance to States is given for General Education Schemes in the State Sector as a whole and not for each scheme separately. The pattern and quantum of such Central assistance for the IVth Plan is under consideration.

(c) According to the present estimates 100% enrolment for the children in the age group 6-11 will be achieved by the end of the Vth Plan. In so far as children in the age group 11-14 are concerned, 100% targets will be achieved later still.

तरल पैट्रोलियम गैस

1390. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

पैट्रोलियम और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बरौनी में तैयार की गई इण्डेन नाम की तरल पैट्रोलियम गैस घरेलू ईंधन के रूप में अन्य किसी तरल पैट्रोलियम गैस से उत्तम और सस्ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बरौनी में तैयार की जाने वाली सारी इण्डेन गैस बाजार में बेचने के लिये जमा की जाती है; और

(ग) इस समय यह गैस कितनी तैयार की जाती है और क्या इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन होने की कोई सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बरौनी शोधनशाला की तरल पैट्रोलियम गैस, जो इण्डेन नाम के मार्का से बिकती है, दूसरी तेल कम्पनियों द्वारा बेची जा रही तरल पैट्रोलियम गैस की अपेक्षा सस्ती है। घरेलू ईंधन के रूप में इण्डेन गैस भारत में इस समय बेची जा रही किसी दूसरी तरल पैट्रोलियम गैस जैसी अच्छी है।

(ख) जी, हां।

(ग) बरौनी शोधनशाला इस समय 100 टन प्रति मास उत्पादन कर रही है किन्तु इस की प्रति वर्ष 10,000 टन की निर्धारित क्षमता है। विवरण सुविधाओं की वृद्धि के साथ साथ उत्पादन की गति को धीरे धीरे बढ़ाया जायेगा ।

World Hindu Religion Conference, Delhi

1391. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received some resolutions adopted at the World Conference on Hindu Religion held in Delhi in December, 1965 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Defence Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

Government have only seen reports in the Press on the resolutions passed at the Conference.

(b) Does not arise.

राजनैतिक दलों की संख्या में वृद्धि

1392. **श्री काजरोलकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में मुसलमान कांग्रेस दल के अन्दर मुसलमानों का एक पृथक गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दलों की संख्या में इस प्रकार की वृद्धि से देश में विघटनकारी प्रवृतियां पैदा होंगी; और

(ग) क्या इससे स्वतंत्रता-पूर्व की मुस्लिम लीग जैसी पार्टी नहीं बन जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार को पता है कि 6 मई, 1964 को पटना में हुई एक बैठक में बिहार राज्य कांग्रस मुस्लिम फ्रंट नामक एक दल का निर्माण किया गया।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न कल्पना पर आधारित हैं अतः इनके बारे में भिन्न-भिन्न राय हो सकती हैं।

ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिये कक्ष

1393. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि ऐतिहासिक अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कलकत्ता में लागत से विशेष प्रकार से बनाया गया एक कमरा बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि उस तहखाने को प्रयोग मे लाने के लिये अपेक्षित दम-पट्टी (गैजेट) का आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उसके तुरन्त आयात किये जाने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क), (ख) और (ग) : पुराने हस्तलेखों और पुस्तकों के परिरक्षण के लिये कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने एक योजना भेजी थी जिस में भवन की दूसरी मंज़िल के एक लाख रुपये की लागत से वातानुकूल किये जाना भी शामिल था। विदेशी मद्रा संबंधी कठिनाइयों के कारण वह योजना मंजूर नहीं की गई थी। सोसाइटी ने एक एसी साधारण योजना बनाने का सुझाव दिया है जो कार्यान्वित की जा सके और जिसपर अधिक विदेशी मुद्रा की लागत की आवश्यकता न पड़े। अभी यह साधारण योजना प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् को मान्यता देना

1394. **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री यशपाल सिंह।

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा दिये जाने वाले ग्रामीण अर्थशास्त्र तथा सहकार के स्नातकोत्तर डिप्लोमा को केवल जून, 1966 तक मान्यता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाठ्यक्रम समाप्त किया जायेगा अथवा 1966 के बाद परिषद कार्य करना बन्द कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : फिलहाल, डिप्लोमा को जून, 1966 तक मान्यता दी गई है; किन्तु इसकी मान्यता एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है। अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पाठ्यचर्या में संशोधन किया जा रहा है और संशोधित पाठ्यचर्या को लागू करने के बाद, इसको स्थायी तौर पर मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

स्वतंत्र पार्टी के नेता द्वारा काश्मीर के बारे में सुझाव

1395. **श्री उमानाथ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय स्वतंत्र पार्टी के संयुक्त सचिव ने काश्मीर में स्थिति का मूल्यांकन करते हुए प्रधान मंत्री को कुछ सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक : स्वतंत्र पार्टी ने भारत सरकार को जम्मू काश्मीर की स्थिति के बारे में एक गोपनीय पत्र भजा था। उस पत्र के विषय को जाहिर करना लोक-हित की दृष्टि से ठीक नहीं। हां, सरकार सभी क्षत्रों से सुझावों का स्वागत करती है और इस दृष्टि से उनकी जांच करती है कि, क्या निश्चय करना उपयोगी होगा।

भारत-पाक सम्बन्धों पर मास्टर तारासिंह के विचार

1396. श्री उमानाथ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मास्टर तारासिंह द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 1965 के अपने समाचार पत्र में लिख गये लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि हाल में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भारत की विजय की सम्भावना नहीं थी;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उन्होंने इसी लेख में यह कहा है कि उन्होंने इस विचार का अपने बहुत से मित्रों में प्रचार किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय म प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) (क), (ख) और (ग) : उक्त लेख सरकार के ध्यान में आया है। इसमें ठीक यही बात नहीं है जो प्रश्न में बताई गई है। फिर भी सरकार ने ऐसे लेख प्रकाशित करने के लिये जिन्हें हानिकारक समझा गया समाचार पत्र के सम्पादक के खिलाफ भारत सुरक्षा नियमों के नियम 46 के अधीन यथोचित कार्यवाही की है।

नजरबन्द साम्यवादियों को परिवार भत्ता

1397. श्री कौल्ला बैंकैया :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) 1965 के अन्त तक तथा (दो) फरवरी, 1966 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में कितने नज़रबन्द वामपंथी साम्यवादियों को परिवार भत्ता दिया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि में विभिन्न राज्यों में प्रत्येक नज़रबन्द व्यक्ति को अधिक से अधिक तथा तथा कम से कम कितनी रकम दी गई;

(ग) उसी अवधि में विभिन्न राज्यों में परिवार भत्ते के कितने आवेदन-पत्र अस्वीकृत किये गये; और

(घ) परिवार भत्ते की दर में अन्तर के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) आधुनिकतम उपलब्ध सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों में 641 वामपंथी साम्यवादी नज़रबन्दी को परिवार-भत्ता दिया जा रहा है। समय की कमी के कारण 28 फरवरी, 1966 की स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ।

(ख) तीन राज्यों को छोड़ कर जहां न्यूनतम राशि 50 रुपये से कम थी, क्रमशः 425 रुपये और 50 रुपये प्रतिमास।

(ग) 253।

(घ) यह भत्ता अनुग्रह और प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा दिया जा रहा है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने यह सलाह दी है कि न्यूनतम देय राशि प्रत्येक उपयुक्त मामले में एक समान 50 रुपये प्रति मास होनी चाहिये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1397/66।]**

उत्तर प्रदेश में बहु-प्रयोजनीय स्कूल

1398. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस योजना का आरम्भ किये जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कितने बहु-प्रयोजनीय स्कूलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या तीसरी योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 1250 (1-7-1964 को)।

(ख) जी हां।

(ग) (i) केन्द्रीय सरकार ने 1964-65 के दौरान निम्नलिखित अनुदान दिए थे :—

	रकम रु०
इलाहाबाद और लखनऊ में बहुद्देशीय स्कूलों के विकास के लिए .	1,00,000.00
बहुद्देशीय स्कूलों के पुस्तकालयों को संदर्भ पुस्तकें देने के लिए . .	14,922.00
जोड़ .	1,14,922.00

(ii) इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य में बहुद्देशीय स्कूलों को कृषि विभागों को मजबूत बनाने के लिए 1965-66 में 8.40 लाख रुपये नियत किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

1399. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये मेट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को इस प्रकार दी गई छात्रवृत्तियों की कुल धनराशि क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) 90.277 लाख रुपये (अभी तक)।

उत्तर प्रदेश में संस्कृत का विकास

1400. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 के दौरान राज्य में संस्कृत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ;

(ख) उक्त अवधि में ये अनुदान किन किन संगठनों को दिये गये थे; और

(ग) 1966–67 के दौरान उपरोक्त प्रयोजन के लिए इस राज्य में स्वैच्छिक संगठनों को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1965–66 के दौरान अभी तक 1.18 लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए गए हैं ।

(ख) विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5657/66।**]

(ग) राज्यवार कोई नियतन नहीं किया जाता है । संस्कृत के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं और पाठशालाओं को वित्तीय सहायता की इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं और जिन प्रायोजनाओं के लिए अनुदान मांगा जाता है, उनके गुणावगणों को देखते हुए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं ।

प्रादेशिक भाषाओं में गौरव ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद

1401. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने 1965–66 में सभी प्रादेशिक भाषाओं के प्रसिद्ध प्राचीन तथा नवीन कितने गौरव ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद किये जाने के लिये अनुदान दिया; और

(ख) किन संस्थाओं को प्रत्येक भाषा के लिये पृथक पृथक ये अनुदान दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथों के हिन्दी में अनुवाद के लिये वर्ष 1965–66 के दौरान अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1402. श्री दलजीत सिंह: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में डाक व तार कर्मचारियों को दिये जाने वाले रिहायशी क्वार्टरों की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो (एक) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने क्वार्टर बनाये गये थे, और (दो) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने क्वार्टर बनाने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) पंजाब परिमण्डल में 12.7 प्रतिशत कर्मचारियों को क्वार्टर दे दिये गए हैं ।

(ख) (i) तीसरी योजना के दौरान जनवरी, 1966 तक कर्मचारियों के लिए 381 क्वार्टरों का निर्माण किया गया था (ii) चौथी योजना की अवधि के दौरान 300 यूनिटें बनाने का प्रस्ताव है ।

सरकारी पदाधिकारियों की संख्या

1403. श्री दलजीत सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री सरकारी पदाधिकारियों की संख्या के बारे में 11 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से अनुसूचित जातियों के कितने पदाधिकारी हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : सूचना एकत्रित की जा रही है, सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

पंजाब में उर्वरक कारखाना

1404. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक और उर्वरक कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और वह कारखाना कहां लगाया जायगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : पंजाब में दूसरा उर्वरक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

पंजाब में पुलिस के लिये आवास योजना

1405. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 तथा 1966 में अब तक पंजाब सरकार को उस राज्य में पुलिस के लिये आवास योजना के अन्तर्गत कोई राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : वित्तीय वर्ष 1965–66 के दौरान पंजाब सरकार को पुलिस आवास योजना के अधीन 34.34 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई ।

अध्यापकों के वेतन तथा उपलब्धियां

1406. **श्री कोल्ला बैंकैया :**

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई स्कूल तथा इन्टरमिडिएट शिक्षा के पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने अध्यापकों के वेतन तथा उपलब्धियों के बारे में कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों को इन सिफारिशों की जांच पड़ताल के लिये कोई सुझाव भेजा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Wage Board for Cotton Textile Industry

1407. **Shri Bagri :** **Shri Madhu Limaye :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether the Second Wage Board for Cotton Textile Industry has submitted its report to Government;

(b) if so, the main recommendations thereof and the action taken by Government thereon ;

(c) if reply to part (a) be in the negative, the reasons for the delay; and

(d) whether the Board proposes to submit any interim report ?

Minister of Labour, Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Not yet.

(b) Does not arise.

(c) The Board has not yet completed the hearing of the parties concerned. It has heard the representatives of the Central Trade Union Organisations of workers, and proposes to hear the representatives of the employers early in April, 1966.

(d) The workers, representatives on the Board have raised the question of interim relief. The matter is being considered by the Board.

राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

1408. **श्री कोल्ला बैकैया :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प० ह० भील :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सोलंकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री राजस्थान के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों सम्बन्धी 24 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच इस मामले की जांच कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : 22 अप्रैल, 1965 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कुछ लोगों के हस्ताक्षर हैं और जिस के साथ राजस्थान के मुख्य मंत्री पर लगाये गये दोषारोपणों की सूची संलग्न है। राजस्थान के मुख्य मंत्री से प्राप्त टिप्पणियों और राजस्थान सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के संदर्भ में इन आरोपों की जांच की गई है। इस सामग्री के आधार पर मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्ट्यावाद नहीं बनता।

दिल्ली के कालेजों में दो पारियों की व्यवस्था

1409. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कालेजों में दो पारियों की व्यवस्था चालू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : 28/29 अक्तूबर, 1965 की अपनी बैठक में शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने अन्य बातों के साथ साथ उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति की दस सिफारिश का अनुमोदन किया कि सायंकाल के कालेजों की ओर उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ताकि नियमित विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकता को भी पूरा किया जा सके। समुचित शिक्षा सुविधाओं वाले प्रत्येक कालेज में, स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक या दो पारियों में जैसा भी संभव हो, लगभग 10 काम के घंटे होने चाहिये ताकि दाखिलों की बढ़ती हुई मांग की समस्या को हल करने के अतिरिक्त सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुरक्षित किया जा सके।

दिल्ली के कालेजों के सम्बन्ध में इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

मजूरी संबंधी स्टीयरिंग ग्रुप

1410. श्रीमती विमला देवी :

डा० रानेन सेन :

श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दूसरी योजना अवधि में मजूरी सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप बनाया था और यदि हां, तो क्या स्टीयरिंग अब भी काम कर रहा है; और

(ख) क्या मजूरी सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप ने भारत का कोई मानचित्र तैयार किया है ताकि देश में विभिन्न उद्योगों के लिए मजूरी नीति निर्धारित करने में सहायता मिल सके ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : मजूरी सम्बन्धी स्टीयरिंग ग्रुप नवम्बर, 1957 में स्थापित हुआ था, परन्तु यह अब निष्क्रिय हो गया है। जिन विषयों से इस ग्रुप का सम्बन्ध था उनमें से एक विषय था भारत का उद्योगवार और क्षेत्रवार मजूरी-मानचित्र बनाने हेतु सामग्री एकत्र करने की योजना बनाना। 1958-59 में किए गए व्यावसायिक मजूरी सर्वेक्षण के दौरान आवश्यक डेटा एकत्र कर लिया गया है। इस सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण केन्द्रों के विभिन्न उद्योगों में व्यावसायिक मजूरी दरें दी गई हैं। दूसरा सर्वेक्षण 1963-64 में किया गया और इस सर्वेक्षण पर आधारित डेटा इस वर्ष के दौरान उपलब्ध होने की आशा है।

अन्तर्देशीय पत्र

1411. श्री दे० जी० नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में दिसम्बर, 1965 और जनवरी, 1966 में अन्तर्देशीय पत्रों की सप्लाई अपर्याप्त थी; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां, केवल जयपुर के प्रधान डाकघर में दिसम्बर, 1965 के दूसरे सप्ताह में कुछ दिनों तक अन्तर्देशीय पत्रों की कमी रही। फिर भी दिसम्बर, 1965 या जनवरी, 1966 में राजस्थान के किसी भी अन्य डाकघर में अन्तर्देशीय पत्रों की कोई कमी नहीं रही।

(ख) नियन्त्रक, डाक टिकट, नासिक से पर्याप्त सप्ताई पहले ही प्राप्त हो चुकी है।

औद्योगिक विकास

1412. श्री प० ह० भील : **श्री क० ना० तिवारी :**

श्री विभूति मिश्र : **श्री प्र० के० देव :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार गवेषणा और विकास सम्बन्धी कार्यों के लिये उद्योगों के वार्षिक उत्पादन पर 5 प्रतिशत शुल्क लगाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है और क्या इस बारे में निर्णय कर लिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी नहीं। दिसम्बर, 1965 में दिल्ली में वैज्ञानिकों तथा उद्योगपतियों के हुए सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आत्मनिर्भरता और आत्म-विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने कुल उत्पादन के 5 प्रतिशत तक अनुसंधान तथा विकास पर खर्च करने में समर्थ होना चाहिये। सम्मेलन की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

Women Members of Backward Classes of Various Communities

1413. Shri Kishen Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the existing proportion of women members of the Backward Classes (untouchables) of Hindu Community, the members of Backward Classes of Muslim, Sikh and Christian communities, Harijans and Adivasis employed in the four Classes of the Central Government Services; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to encourage the members of these backward classes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) The Government of India have not recognised any classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as backward classes for the purpose of reservation of posts under the Government. There are also no *special* concessions to women members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of employment under the Government. Accordingly, no statistics relating to women members referred to in the Question are maintained.

(b) Does not arise.

शिक्षण संस्थायें

1414. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले 14 वर्षों में शिक्षण संस्थाओं की संख्या दुगुनी हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब भी शिक्षण संस्थाओं की बहुत कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो इन शिक्षण संस्थाओं की मांग को पूरा करने के लिये कोई ठोस प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले 14 वर्षों में देश में शिक्षण संस्थाओं की कुल संख्या में चार गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है।

(ख) जी हां। और अधिक संस्थाओं की आवश्यकता है, विशेषकर स्कूल स्तर पर।

(ग) संबंधित क्षेत्र की आवश्यकताओं को ओर वित्तीय तथा जन-शक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, विद्यमान संस्थाओं में दाखिले की क्षमता बढ़ाकर और नई संस्थाएं खोलकर अतिरिक्त सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

कोलार स्वर्ण खानों में हड़ताल

1415. श्री लिंग रेड्डी : क्या श्रम, रोजगार तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंदीदुर्ग खान तथा कोलार स्वर्ण खान के मजदूरों ने काम करना बन्द कर दिया है और क्या यह हड़ताल अन्य खानों में भी फैल गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच तय की गई मजदूरों तथा अन्य कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की गई; और

(घ) हड़ताल के कारण अब तक कितनी हानि हुई है तथा हड़ताल को किस प्रकार समाप्त करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) नंदीदूर्ग खान के 420 मशीन-मिस्त्रियों और मशीन-मैनों ने 1-1-1966 से हड़ताल कर दी और यह हड़ताल 6-1-1966 की शाम को समाप्त हो गई। यह हड़ताल अन्य खानों में नहीं फैली।

(ख) हड़ताल का कारण, कुछ मज़दूरों द्वारा विस्फोटन का अतिरिक्त कार्य करने के लिये, जोकि इस खान के लिए विशेष है, भत्ते का पुन: स्थापन करने की मांग थी।

(ग) मैनेजमेंट और कामगरों के बीच 21-10-1965 को मज़दूरी आदि के बारे में हुए समझौते को कार्यान्वित कर दिया गया है।

(घ) इससे 1,40,008 रुपये की हानि बताई गई है। जैसे कि ऊपर बताया गया है, समझौता-कार्यवाही में समझौता होने के बाद, हड़ताल 6 जनवरी को समाप्त हो गई।

वाणिज्य तथा प्रबंध में अनुसंधान

1416. श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा प्रबन्ध अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये एक प्रशासन व्यवस्था (मशीनरी) स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस मांग पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब व्यावहारिक रूप दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (ग) : भारतीय वाणिज्य संस्था के तत्वावधान में, 28 दिसम्बर, 1965 को वल्लभ विद्यानगर में हुए अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन ने वाणिज्य तथा प्रबंध विज्ञान अनुसंधान कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिए एक मशीनरी स्थापित करने की सिफारिश की थी। सरकार को ऐसी मशीनरी स्थापित करने के संबंध में बाकायदा तौर पर कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

नि:शुल्क स्कूल पाठ्य पुस्तकें

1417. डा० रानेन सेन :

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विशेष राज्य सरकारों ने दिये गये वचन के अनुसार छात्रों को नि:शुल्क स्कूल पाठ्य पुस्तकें नहीं दी हैं और बदले में घटिया किस्म की पुस्तकों को ऊंचे मूल्यों पर दे रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। अधिकतर राज्य प्राथमिक स्तर पर नि:शुल्क अथवा रियायती मूल्य पर पाठ्य पुस्तकें देते हैं;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में तकनीकी संस्था

1418. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 के दौरान उड़ीसा राज्य में कोई जूनियर तकनीकी स्कूलों को खोलने का विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन

1419. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को उड़ीसा के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन लगाये जाने से सम्बन्धित कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत थे; और

(ख) इस कार्य को शीघ्र करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 2339;

(ख) उपलब्ध साधनों के अनुसार नये टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने तथा मौजूदा टेलीफोन केन्द्रों का यथा संभव अधिक से अधिक विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज

1420. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1966 को उड़ीसा में कितने टेलीफोन एक्सचेंज थे;

(ख) क्या 1966-67 में इनकी संख्या में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 50।

(ख) जी हां।

(ग) 1966-67 के दौरान निम्नवर्ती स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र खोले जाने की संभावना है :—

टेलीफोन केन्द्र का नाम	क्षमता
अत्ताबीरा	25
बरपल्ली	25
बीरमित्रपुर	50

टेलीफोन केन्द्र का नाम	क्षमता
ब्रजराजनगर	50
चान्दबाली	25
गोपालपुर	25
जोड़ा	50
करांजिया	25
पटनागढ़	25

उड़ीसा में डाकखान

1421. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में 1966-67 के दौरान कुछ उप-डाकखानों को, मुख्य डाकखानों तथा शाखा डाकखानों को उप-डाकखानों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां।

(ख) लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1421/66।]**

बिना लाइसेंस के रेडियों

1422. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अक्तूबर, 1965 से जनवरी, 1966 के अन्त तक डाक तथा तार विभाग ने राज्यवार बिना लाइसेंस के कितने रेडियों पकड़े हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) इस अवधि के दौरान बिना लाइसेंस पकड़े गए रेडियो सेटों की संख्या इस प्रकार है—

आसाम	885
आन्ध्र	1059
बंगाल	1104
बिहार	2403
दिल्ली	1942
गुजरात	1563
केरल	938
मद्रास	2145
महाराष्ट्र	1606

मध्य प्रदेश	633
मैसूर	975
उड़ीसा	1107
पंजाब	3179
राजस्थान	2614
उत्तर प्रदेश	1854
	24,007

(ख) इस प्रकार पकड़े गए मामलों को तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि लाइसेंस शुल्क तथा अधिभार की अदायगी करके लाइसेंस न प्राप्त कर लिया जाए। जो पकड़े गए मामले अक्तूबर-दिसम्बर, 1965 के दौरान निपटाये गए उनकी संख्या इस प्रकार है—

आसाम	607
आन्ध्र	971
बंगाल	1250
बिहार	2356
दिल्ली	1824
गुजरात	1204
केरल	1026
मद्रास	2621
महाराष्ट्र	1606
मध्य प्रदेश	617
मैसूर	1002
उड़ीसा	298
पंजाब	1450
राजस्थान	2289
उत्तर प्रदेश	2443
	21,564

मोजाम्बिक से लौटाये गये भारतीय

1423. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोजाम्बिक से लौटाये गये भारतीयों के पुनर्वास के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) मोजाम्बिक से लौटने वाले अधिकांश भारतीय गुजरात में बसे हैं। भारत सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये आदेश जारी किये हैं जिनमें निम्न सुविधायें दी गई है :

(1) लौटने वाले निर्धन व्यक्तियों के लिये 1,200 रुपये तक प्रति वर्ष धन संबंधी जिसका कुल व्यय गुजरात राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बराबर-बराबर किया जा रहा है।

(2) लौटने वालों के लिये व्यापार या छोटे पैमाने पर लघु उद्योग चालू करने के लिये 3 प्रतिशत रिआयती दर ऋण की मंजूरी। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में ऐसे ऋण की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है।

(3) पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के आधार पर कृषि भूमि के बंटवारे में अग्रता।

(4) निःशुल्क छात्रवृत्तियों के अनुदान के मामले में छात्रवृत्तियों तथा निःशुल्क स्कूल की किताबों के लिये गुजरात में लागू योजनाओं के अनुसार लौटने वाले भी वास्तविक पात्र तथा भागी होंगे। लौटने वालों के बच्चों के लिये प्रति परिवार प्रतिवर्ष 200 रुपय की निशुल्क किताबें मंजूर की गई हैं। तकनीकी शिक्षा के बारे में यह निर्णय किया गया था कि सभी शुल्क जो सामान्य रूप में तकनीकी संस्थाओं में लिया जाता है, लौटने वालों के बच्चों को उसके बराबर धन राशि दी जायेगी तथा उसके साथ प्रति छात्र 60 रुपये वार्षिक भत्ता दिया जायेगा।

(5) विभिन्न आदेशों के अंतर्गत लौटने वाले बिक्रय लाईसेंस की मंजूरी के पात्र होंगे, जैसे कि, अनाज, चीनी, तथा गुड़ कंट्रोल आदेशों के बारे में विशेष ध्यान दिया जायेगा। अन्य राज्य सरकारों द्वारा भी लौटने वालों को वित्तीय तथा अन्य सहायता इसी आधार पर दी गई है।

(ख) (1) 107 परिवारों को ऋण मंजूर किया गया है। दी गई कुल धन-राशि 2,40,500 रुपये है।

(2) 50 परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई है। दी गई कुल धन-राशि 58,278.58 रुपये है।

(3) कृषि प्रयोजन के लिये 23 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

(4) 69 बच्चों को शिक्षा सुविधायें दी गई हैं। दी गई कुल धन राशि 4,534.73 रुपये है।

(5) 40 परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के लाईसेंस दिये गये हैं।

(6) 29 व्यक्तियों को चीनी के लाईसेंस दिये गये हैं।

(7) 6 व्यक्तियों को सरकारी सेवा में रोजगार पर लगाया गया है।

(8) लग भग 500 परिवार गुजरात राज्य में गये थे और उनमें से लग भग सभी का पुनर्वास हो चुका है।

दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला की मरम्मत

1424. श्री धुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965-66 के दौरान दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला में कुछ मरम्मत कार्य किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में उस पर कितना व्यय किया गया था ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) अप्रल, 1965 से जनवरी, 1966 तक का खर्च इस प्रकार है :—

जामा मस्जिद	लाल किला
9,418.90 रुपये	5,128.13 रुपये

केन्द्रीय सरकार में उड़ीसा सरकार के अधिकारी

1425. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उड़ीसा सरकार के कितने अधिकारी काम कर रहे हैं और किन किन पदों पर; और

(ख) अधिकारियों में कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 4 नवम्बर, 1965 को उड़ीसा सरकार के 259 अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे थे। उनमें से :—

2 सचिव, थे।

1 अतिरिक्त सचिव।

3 संयुक्त सचिव।

5 उप सचिव और

2 अवर सचिव थे।

शेष 246 क्षेत्र कार्य पर नियुक्त थे।

(ख) तीन।

विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

1426. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसे उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों की न्यूनतम मजूरी पुन: निश्चित करने के लिये विचार कर रही है जो कृषि उपकरण, मशीनों के हथियार और सामान्य इंजीनीयरी सामान बनाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और पुन: निश्चित की गई मजूरी दर क्या होगी; और

(ग) समिति ने और कौन सी सिफारिशें की थीं और उन्हें कहां तक लागू किया गया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं। ये उद्योग न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों की अनुसूची में शामिल नहीं हैं। स्टील प्लांट्स को छोड़कर इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड, जिसकी स्थापना दिसम्बर, 1964 में हुई थी, अब इन उद्योगों के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के मजूरी-विन्यास की जांच कर रहा है।

(ख) और (ग): मज़ूरी बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पुरस्कृत हिन्दी पुस्तकें

1427. **श्री बादशाह गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्ष में किन हिन्दी पुस्तकों के लिये पुरस्कार दिया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री को भत्ता

1428. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री गुलशन :

श्री लहरी सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिवंगत प्रधान मंत्री की विधवा तथा उनके बच्चों को कुछ विशेष भत्ते तथा सहायता देने का विचार है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पहले ही उचित व्यवस्था की जा चुकी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : निम्नलिखित के लिये स्वीकृति दी गई है :—

(1) श्रीमती शास्त्री को आजीवन 15,000 रुपये वार्षिक पेंशन;

(2) दिल्ली/नई दिल्ली में जैनरल पूल से उन्हें उपयुक्त आवास-स्थान जिसका किराया मूल नियम 45 क के अधीन किराये अथवा पेंशन के दस प्रतिशत में से जो भी कम हो, देना; और

(3) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के अधीन श्रीमती शास्त्री और उनके परिवार को पेंशनरों की तरह चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं।

विज्ञान मंदिर योजना के अन्तर्गत प्रयोगशालायें

1429. **श्री गोपाल दत्त नेगी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 के अन्त तक विज्ञान मन्दिर योजना के अन्तर्गत (राज्य-वार) ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी प्रयोगशालायें स्थापित की गई;

(ख) इन प्रयोगशालाओं ने स्थानीय किसानों के लाभ के लिये मिट्टी, पानी तथा पौधों के कुल कितने परीक्षण किये; और

(ग) ज्ञान प्रसार के लिये कितनी पुस्तिकाएं बांटी गई और उन पर कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (डा० (श्रीमती) सौंदरम् रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है, जिसमें उपलब्ध सूचना दी गई है। **[पुस्तकालय म रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5660/66।]**

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सायंकालीन कक्षायें

1430. **श्री गोपाल दत्त नेगी :**

श्री महेश्वर नायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय की शिक्षा देने के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम तथा सायंकालीन कालेजों की व्यवस्था किन किन राज्यों में है; और

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिये इस सम्बन्ध में विभिन्न विश्वविद्यालयों से बातचीत की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : अब तक केवल दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही बी०ए० (पास) डिग्री के लिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम शुरू किया है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, इस योजना को अन्य विश्वविद्यालयों में भी लागू करने का विचार है। चौथी पंचवर्षीय आयोजना के ही दौरान सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को कुछ विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं और इंजीनियरी तथा टेकनोलोजी में प्रशिक्षण देने के लिए डाक द्वारा पाठ्यक्रम शुरू करने का भी विचार है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार नागालैंड को छोड़कर दिल्ली के संघीय क्षेत्र और अन्य सभी राज्यों के कुछ सम्बद्ध कालेजों में सायंकालीन / प्रातःकालीन कक्षाएं चल रही हैं।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद

1431. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा महाराष्ट्र राज्यों के बीच के अन्तर्राज्यिक सीमा विवाद के बारे में कोई समझौता हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता हुआ है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति

1432. **श्री शिव चरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति के बारे में समय समय पर निर्धारित की गई योग्यता क्या है ;

(ख) उनका चुनाव करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) इस समय काम कर रहे उन मैजिस्ट्रेटों के नाम, शिक्षा-योग्यता और नियुक्ति की तिथि क्या है जिनकी नियुक्ति दिल्ली प्रशासन ने मंजूर की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : तक एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5661/66।**]

दिल्ली प्रशासन व्यय में कमी करना

1433. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के व्यय में कमी करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) समिति ने व्यय को कम करने के बारे में क्या सूझाव दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन में मितव्ययता के लिये कोई औपचारिक समिति नहीं बनाई है । परन्तु अनौपचारिक रूप से एक समिति जिसमें गृह-मंत्रालय में संयुक्त सचिव (केन्द्र प्रशासित क्षेत्र), श्री ए० डी० पांडे, और दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव और वित्त सचिव शामिल थे, दिल्ली प्रशासन के वर्तमान बजट तथा 1966-67 के लिये आय-व्ययक प्रस्तावों का बचत की संभावना जानने के ध्येय से पुनरीक्षण करने के लिये बनाई गई थी । समिति ने अपनी जांच दिल्ली क्षत्र की मांगों में शामल राजस्व लेखा पर खर्चे के विषय तक सीमित रखी । समिति ने कई विभागों के आय-व्ययकों की जांच की ओर कई विभागों के अध्यक्षों से बातचीत करने के पश्चात यह निर्णय हुआ कि अगले वित्तीय वर्ष में 81.175 लाख रुपये की बचत की जा सकती है । अगले वर्ष के बजट में इस कमी को कुछ पदों के बनाये जाने के मामले को प्रसुप्तावस्था में रख कर, कुछ योजनाओं के परिपालन में तबदीली कर के और देश में वतमान सामान्य स्थिति को देखते हुए अतिसंयम उपायों का प्रवर्तन करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर की गई है ।

Price of Sulphuric Acid

1434. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of Sulphuric Acid has gone up three times during the last eighteen months ; and

(b) if so, the action taken in the matter ?

Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) Due to the worldwide scarcity of sulphur and its higher cost of import the price of sulphuric acid has gone up during the last 18 months. The wholesale selling price of the acid as reported by the manufacturers has risen about 1½ times.

(b) Despite best efforts the country has not been able to procure its full requirements of sulphur, which is the only raw material now used in the manufacture of sulphuric acid. Government is however trying to import sulphur from all available sources and enter into long term agreements with the suppliers to meet future requirements. Steps have also been taken to manufacture sulphuric acid from sulphurous materials like iron pyrites and from zinc and copper smelters.

Price of Sulphuric Acid

1435. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two thousand factory workers in Calcutta have been rendered jobless as a result of the increase in the price of Sulphuric Acid ;

(b) whether the Chemical Manufacturers Association has represented to Government in this connection ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

Minister of Labour , Employment & Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a), (b) & (c). The Government of West Bengal has reported that no complaint regarding retrenchment of workers from Acid and Chemicals manufacturing establishments on account of any rise in price of Sulphuric Acid has been received by them so far.

त्रिपुरा संबंधी जनगणना प्रतिवेदन

1436. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र की 1961 की जनगणना का प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब प्रकाशित होने की संभावना है; और

(ग) इस के प्रकाशित होने में देरी होने के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नस्कर) : (क) और (ख): त्रिपुरा की 1961 की जनगणना के प्रतिवेदन से सम्बन्धित कुछ सहायक प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके या छप रहे है; किन्तु मुख्य प्रतिवेदन का अभी तक मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसके लगभग छः महीनें में पूरा होने की आशा है।

(ग) मुख्य प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले जटिल सारणीकरण और विश्लेषण के लिये पर्याप्त समय तथा काम की जरूरत है।

Language Teachers in Kerala State

1437. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the requisite qualifications prescribed in Rule 6 of Chapter XXVI of Kerala Education Rules for promotion as first grade teachers in Kerala State and the ratio prescribed for them ;

(b) the present position in respect of language teachers having the same qualifications ;

(c) since when and on what basis the degree teachers have been given the same scale ; and

(d) the reasons for giving less importance to the language teachers as compared to the degree holders even when the language teachers have also got the degrees in their subject ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the house.

टेलीफोन कनेक्शनों का काट दिया जाना

1438. **श्री रामपुरे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण पिछले एक साल के दौरान कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन काट दिये गये;

(ख) क्या टेलीफोन बिलों का भुगतान न किये जाने के कारण सरकारी टेलीफोन रखने वालों के टेलीफोन कनेक्शन भी काट दिये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो टेलीफोन रखने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों पर भिन्न भिन्न नियम लागू करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बट्टे खाते में डाला गया टेलीफोन राजस्व

1439. **श्री रामपुरे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रति वर्ष टेलीफोन राजस्व की बड़ी बड़ी रक़में बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं;

(ख) टेलीफोन रखने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की कितनी कितनी देय रक़में पिछले चार वर्षों में बट्टे खाते में डाली गई हैं; और

(ग) देय राशि न देने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जब कभी पूरी जांच करने पर यह निश्चित हो जाए कि कुछ खास उपभोक्ताओं से रक़म की वसूली नहीं हो सकती तो टेलीफोन राजस्व की छोटी छोटी रक़में बट्टे-खाते में डाल दी जाती हैं।

(ख) तथा (ग) : यह सूचना फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सरकारी उपभोक्ताओं के मामले में कोई भी रक़म बट्टे-खाते में नहीं डाली जाती।

बदजाना कोयला खान में दुर्घटना

1440. **श्री रामपुरे :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद के निकट बदजाना कोयला खान में 13 जनवरी, 1966 को गम्भीर दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच कर ली गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : जी, नहीं; लेकिन बदजाना लोयर कालियारी में 11-1-66 को एक दुर्घटना हुई, जिसमें 5 व्यक्ति मारे गये। खान निरीक्षणालय द्वारा दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

बेरोजगार साइन्स स्नातक

1441. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कुल कितने साइन्स स्नातक हैं जो इस समय बेरोजगार हैं;

(ख) बेरोजगार इंजीनियर कितने हैं;

(ग) कृषि विज्ञान के ऐसे कितने स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति (पोस्ट-ग्रेजुएट) हैं, जो बेरोजगार हैं; और

(घ) उन्हें रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : 30 जून, 1965 को रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड विज्ञान स्नातकों और इंजीनियरों की संख्या निम्नलिखित है :—

विज्ञान स्नातक	17584
इंजीनियरी स्नातक	3011

इन आंकड़ों में बेरोजगार तथा वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो और अच्छा रोजगार चाहते हैं।

(ग) कृषि-विज्ञान के स्नातक और उत्तर-स्नातकों संबंधी सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। फिर भी, पिछले तीन महीनों में वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों के राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुसार 25 उत्तर-स्नातक (कृषि) बेरोजगार बताए गए हैं।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की विकास प्रायोजनाओं में कृषि, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार के काफी अवसर मिलने की सम्भावना है।

त्रिपुरा में रोगी नजरबन्द व्यक्ति

1442. **श्री दशरथ देव :** क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत सुरक्षा नियमों, 1962 के अन्तर्गत बिहार की जेलों में रखे गये त्रिपुरा के कुछ नज़रबन्द व्यक्ति बहुत समय से बहुत सख्त बीमार हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन रोगी नज़रबन्द व्यक्तियों ने भारत सरकार से उन्हें पैरोल पर रिहा कर देने के लिए कहा है ताकि वे अपने उचित इलाज का प्रबन्ध कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) समय-समय पर सरकार का ध्यान बिहार की जेलों में नज़रबन्द त्रिपुरा के व्यक्तियों की बीमारियों की ओर आकृष्ट कराया गया है।

(ख) ऐसी एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी।

(ग) पैरोल पर रिहा करना जरूरी नहीं समझा गया क्योंकि इलाज के बाद नज़रबन्द की हालत संतोष जनक समझी गई।

त्रिपुरा के छात्रों को वजीफा

1443. **श्री दशरथ देव : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रिपुरा के आदिम जातियों के छात्रों को अध्ययन के लिये मिलने वाले वजीफे प्रायः शिक्षा वर्ष के अन्त में दिये जाते हैं और इस प्रकार उन्हें वजीफे देने का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष के आरम्भ से प्रत्यक महीने में वजीफे देने के बारे में कोई कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा के पटल पर रखी जायगी ।

रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति

1444. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में मैट्रिक से अधिक शिक्षित रोजगार प्राप्त तथा बेरोजगार व्यक्तियों की (राज्यवार) संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें रोजगार दिलाने के अवसर पैदा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सन् 1961 की जनगणना के अनुसार मैट्रिक या इससे अधिक शिक्षित कामगारों की कुल संख्या 53,65,482 थी । इनका राज्यानुसार ब्योरा साथ लगे विवरण पत्र I में दिया गया है ।

देश में बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुमान प्राप्त नहीं है । रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देशभर के रोजगार कार्यालयों में दर्ज शिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 30 जून 1965 को 8,40,822 थी । इनका राज्यानुसार ब्योरा साथ लगे विवरण पत्र II में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 5662/66 ।]**

(ख) अनुमान है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रही विभिन्न विकास योजनाओं द्वारा बहुत से बेरोजगार लोगों को (जिनमें शिक्षित बेरोजगार लोग भी शामिल हैं) काम मिल सकेगा ।

विदेशी तथा देशी शराब की खपत

1445. श्री शिव चरण गुप्त : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1955-56, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1964-65 तथा 1965-66 में (जनवरी, 1966 तक) विदेशी शराब तथा देशी शराब की कितनी खपत हुई है;

(ख) दिल्ली में शराब की खपत में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है; और

(ग) क्या इस बारे में गैर-कानूनी गतिविधियों पर अधिक निगरानी रखने के उद्देश्य से उत्पादन शुल्क अधिनियम में संशोधन करने का कोई नियम है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क)

वर्ष	देशी शराब (गैलन)	विदेशी शराब (गैलन)
1955-56 . .	1,18,703	2,62,692
1960-61	1,38,260	2,95,737
1962-63	1,20,000	3,80,287
1963-64 .	1,19,896	4,51,816
1964-65	79,192	5,59,010
1965-66 . . . . (जनवरी 1966 तक)	87,766	5,41,007

(ख) सरकार ने दिल्ली में शराब की खपत में वृद्धि को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(i) शराब की बोतलों की बरोकटोक बिक्री की बजाय देशी शराब की खपत के अनुमान के आधार पर प्रत्येक दुकान के लिये कोटा निर्धारित कर दिया गया है। इस समय वार्षिक कोटा 5 लाख लिटर है।

(ii) कर तथा शुल्क में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।

(iii) निषिद्ध दिवसों की संख्या बढ़ा कर वर्ष में 137 कर दी गई है जो भारत के अन्य किसी भी राज्य से अधिक है।

(iv) बिक्री के समय में भी कमी की गई है और उसका व्यवस्थापन किया गया है। अब शराब की बिक्री सायंकाल 7.30 बजे तक ही बेची जा सकती है।

(v) सार्वजनिक स्थानों पर तथा खड़ी हुई मोटर गाड़ियों में शराब पीने पर रोक लगाई गई है।

(vi) एल-2 लायसेंस जारी किये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों की नियुक्ति

1446. **श्री शिव चरण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अध्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी नियुक्ति नहीं चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उनके लिये ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के प्रांगण में आवास व्यवस्था करने तथा उन्हें विशेष भत्ता देने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अधीन कुछ ग्रामीण स्कूलों में रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण अध्यापकों को आवास संबंधी सुविधाएं दिये जाने के लिये एक योजना दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के विचाराधीन है।

श्री सावरकर को चिकित्सा सहायता

1447. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री बड़े :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि श्री वी० डी० सावरकर, जो किसी समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रान्तिकारी नेता थे, सख्त बीमार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके इलाज के लिये उपयुक्त चिकित्सा सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): सरकार को स्वर्गीय श्री सावरकर की अवस्था के बारे में पता चल गया था और उनके इलाज के लिये गृह-मंत्री के अनुदान में से 1000 रुपये की राशि और मंजूर की गई थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गृह-कार्य मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित अनुभाग

1448. श्री गुलशन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित काम करने के लिए कोई पृथक अनुभाग है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्य क्या है तथा अब तक इसकी क्या सफलतायें रही हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पू० शे० नस्कर) : (क) जी, हां। गृह मंत्रालय का एक अनुभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित कार्य करता है।

(ख) यह अनुभाग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के केन्द्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व के बारे में नीति तथा नीति सम्बन्धी निर्णयों के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य करता है। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5663/66।]**

UNESCO Report about Indian Students

1449. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri K. C. Pant :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the UNESCO has published a report regarding the Indian students educated abroad ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the action being taken to improve the present system of education in India in the light thereof ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). Unesco initiated some time ago a research project on the study of Eastern students as Culture-Carriers. The study was designed to throw light, among other things, on the specific difficulties of students' adjustments during their stay abroad and after their return to the home country. It also sought to determine the impact of foreign education and of living abroad on the personality of the students. Students from three countries namely India, Iran and the United Arab Republic who had studied in the Federal Republic of Germany, the United Kingdom and the United States were included in the investigation.

The October 1965 issue of Unesco's 'Orient Occident' carried a news item entitled "The Role as Culture-carriers of students from Eastern countries who received their university education in the West".

It reported on the basis of collective information gathered from the three countries included in the study that a large percentage of the students who returned from studying abroad have accepted the habits, ways of living, as well as values and ideas of the former host country. It mentioned "that 98% of the trainees would go abroad again if given a chance to do so". One positive result of foreign education mentioned is "that 90% of the returnees gained personal advantages from their stay abroad and more than 60% were effective in transmitting the knowledge acquired abroad to their colleagues and superiors".

(c) The three studies and the detailed analysis of their findings are expected to be published sometime this year. Any action in this behalf will have to await the release of the report proper.

भारत और पाकिस्तान के बीच डाक तथा तार सेवाओं का फिर से चालू करना

1450. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री बसुमतारी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों देशों के बीच डाक और तार सेवायें फिर से चालू करने के लिये भारत और पाकिस्तान के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इसकी शर्तें क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) दूर-संचार सेवाओं को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में 31 जनवरी, 1966 को तथा डाक सेवाओं के सम्बन्ध में 11 फरवरी, 1966 को समझौते किये गए ।

(ग) दूर-संचार परिपथों को पुन: चालू करने के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करने तथा इस दिशा में सीधे परामर्श द्वारा जल्दी से जल्दी तारीखें निश्चित करने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा सम्पर्क अधिकारी नामजद किये जाने थे । डाक सेवाएं पुन: चालू करने के सम्बन्ध में यह समझौता किया गया कि डाक का विनिमय इस प्रकार किया जाए—

पश्चिमी पाकिस्तान के लिए

बम्बई - कराची के समुद्री मार्ग तथा अमृतसर-लाहौर के थल मार्ग द्वारा । जब तक लाहौर के लिए रेलगाड़ियों का आना जाना फिर चालू न हो तब तक हुसैनीवाला पुल पर डाक का विनिमय किया जाएगा ।

पूर्वी पाकिस्तान के लिए

डाक का विनिमय बेनापोल-पेट्रापोल मार्ग पर किया जायगा ।

बुक पोस्ट के शुल्क में वृद्धि

1451. **श्री मधु लिमये :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुक-पोस्ट के शुल्क में वृद्धि के बारे में कोई अभ्यावेदन तथा विरोधपत्र सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से सरकार को मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह स्पष्ट कर दिया गया कि दरों का संशोधन केवल पुस्तक, पैटर्न, तथा नमूने के पैकेटों के लिए किया गया है, ऐसे बुक-पैकेटों के लिए नहीं जिनमें छपी हुई पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं हो ।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को अतिरिक्त ड्यटी भत्ता

1452. **श्री जेधे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों को परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट ऐक्ट) के अन्तर्गत 26 जनवरी, 15 अगस्त और अन्य राजपत्रित सार्वजनिक छुट्टियों के दिन ड्यूटी पर बुलाय जाने पर अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत 26 जनवरी, 15 अगस्त अथवा अन्य राजपत्रित सावजनिक छुट्टियों के दिन ड्यूटी पर बुलाये जाने पर कोई अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता नहीं दिया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) चौथी श्रेणी के नियमित कर्मचारियों को राष्ट्रीय छुट्टियों में काम करने पर सरकार द्वारा जारी किये गए समयोपरि भत्ता नियमों के अनुसार समयोपरि भत्ता दिया जाता है न कि अतिरिक्त कार्य भत्ता। अन्य साधारण छुट्टियों के दौरान काम करने पर इन्हें यथा संभव प्रतिकर छुट्टी मंजूर की जाती है, अन्यथा समयोपरि भत्ता दे दिया जाता है।

(ख) चूँकि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी समयोपरि या किसी प्रकार के अतिरिक्त कार्य-भत्ता पाने के अधिकारी नहीं है अतः उन्हें ऐसे किसी भत्ते की अदायगी नहीं की जाती।

(ग) समयोपरि भत्ते की सुविधा केवल ऐसे नियमित कर्मचारियों को दी जाती है जो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी होते हैं। अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को, जो कि नियमित पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होते, सौंपे गए काम के अनुपात और स्वरूप के आधार पर एकमुश्त भत्ते की अदायगी कर दी जाती है। अतः अतिरिक्त कार्य-भत्ता अदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

करनाल जिले में डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारी

1453. श्री जेधे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल डिवीजन (पंजाब सर्किल) में डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जो 1 फरवरी, 1966 को 3 वर्ष की लगातार सेवा कर चुके हैं और स्थायी नहीं बनाये गये हैं; और

(ख) इन पदों को अभी तक स्थायी घोषित न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियमित कर्मचारी नहीं होते बल्कि केवल एजेंट होते हैं जिन्हें डाकघरों में कुछ काम करना होता है और उन्हें इस काम के लिए एकमुश्त रकम अदा की जाती है। अतः ऐसे कर्मचारियों को स्थायी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी विभिन्न श्रेणियों के ऐसे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या जो 1 फरवरी, 1966 को 3 वर्ष से अधिक की लगातार सेवा कर चुके हैं, नीचे दी गई है :

1. अतिरिक्त विभागीय हरकारे	41
2. अतिरिक्त विभागीय उप डाकपाल	2
3. अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल	118
4. अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट	55
5. अतिरिक्त विभागीय पैकर	2
6. अतिरिक्त विभागीय डाकटिकट विक्रेता	1

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों के लिये छुट्टी

1454. **श्री जेधे :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के विभागातिरिक्त कर्मचारियों को आकस्मिक/अर्जित/मेडिकल छुट्टी उसी आधार पर मिलती है जैसे कि डाक और तार विभाग के नियंत्रित कर्मचारियों को मिलती है;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें प्रति वर्ष कितनी आकस्मिक/अर्जित/मेडिकल छुट्टियां मिलती हैं; और

(ग) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) अतिरिक्त विभागीय एजेंट सरकारी खर्चे पर किसी प्रकार की छुट्टी पाने के अधिकारी नहीं हैं।

(ग) किसी प्रकार के भेद-भाव का प्रश्न इस लिए नहीं उठता क्योंकि अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियमित सरकारी कर्मचारी नहीं होते। ये कर्मचारी केवल एजेंट होते हैं जिनके पास आमदनी के अन्य साधन भी होते हैं और उन्हें डाक-तार विभाग की ओर से कुछ घंटे काम करने के लिए भत्ता दिया जाता है।

अभ्रक खानों में बोनस का भुगतान

1455. **डा० रानेन सेन :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की अभ्रक खानों और कारखानों के मालिकों ने बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों की परवाह न करते हुए अपने कर्मचारियों को बोनस देने से इंकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : यह सही है कि बिहार की अभ्रक खानों के मालिकों ने अभी तक बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार अपने कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया है। प्रादेशिक श्रमायुक्त इस समय समझौता कार्यवाही में लगे हैं।

जहां तक अभ्रक कारखानों का सम्बन्ध है, यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है और भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

केरल आन्दोलन के दौरान गिरफ्तारियां

1456. **श्री मुहम्मद इलियास :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हाल के खाद्य आन्दोलन के दौरान कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ख) वे किन कानूनों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कितने समय तक नजरबन्द रखा जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 915--पत्थर फेंकने के अपराध में 28-1-66 से 21-2-66 तक।

3--भारत प्रतिरक्षा नियम के नियम 30(1)(ख) के अन्तर्गत उसी अवधि में।

2307--सरकारी कार्यालयों पर धरना देने के अपराध में 7-2-66 से 21-2-66 तक।

(ख) (1) भारतीय रेलवे अधियिनियम

(2) भारतीय दंड संहिता

(3) केरल पुलिस अधिनियम

(4) भारतीय तार अधिनियम

(5) मद्यनिषेध अधिनियम

(ग) हर मामले का पुनरीक्षण तथा वर्तमान स्थिति के आधार पर निर्णय लेना राज्य सरकार का कार्य है।

भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये पत्रकार

1457. **श्री सेझियान :**

श्री कन्डप्पन :

श्री राजा राम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशित समाचारों अथवा लेखों के सम्बन्ध में समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के सम्पादकों, मुद्रकों, प्रकाशकों, अथवा लेखकों के विरुद्ध भारत सुरक्षा नियमों (1962) के अन्तर्गत अब तक कितने अभियोग चलाये गये हैं;

(ख) अन्तर्ग्रस्त समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं के क्या नाम हैं; और

(ग) उन में से प्रत्येक के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

कोयम्बतूर में कताई और बुनाई मिल का बन्द होना

1458. **श्री सेझियान :**

श्री राजाराम :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बतूर में कताई और बुनाई मिल के बन्द होने की जानकारी है;

(ख) क्या मिल के ऐसे कर्मचारियों को कोई सहायता दी गई है जो बेरोजगार हो गये थे; और

(ग) मिल को पुनः खोलने के लिये ताकि वह सामान्य रूप से काम करने लग जाये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क), (ख) और (ग) : इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है। भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

गोरखपुर उर्वरक निगम

1459. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में गोरखपुर उर्वरक निगम के अहाते से 10,000 रुपये मूल्य के तांबे के नल (पाइप) गायब पाये गये; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां।

(ख) एक लकड़ी की पेटी कारखाने-स्थल पर थी। इस पेटी में गढ़े हुए तांबा पाइप के टुकड़े थे; जो भिन्न आकृतियों में मुरे हुए और संघानित फ्लेंज (flanges) सहित थे। इस पेटी को तोड़ा गया और कुछ अंश चुराये गये। 1 जनवरी 1966 को नुकसान का पता चला।

पुलिस के पास मामला दर्ज कराया गया; जो छानबीन कर रही है। दो धातु-व्यापारियों से कुछ वसूली की गई है। विभागीय जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है।

उक्त पाइप की चोरी से कारखाने के निर्माण-कार्य में देरी या विस्थापन होने की सम्भावना नहीं है।

केन्द्रीय स्कूलों में होस्टल

1460. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री राम हरख यादव :

श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये केन्द्रीय रिहायशी स्कूलों में राज-सहायता प्राप्त होस्टल सुविधाओं सम्बन्धी योजना लागू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कौन कौन से रिहायशी स्कूल आते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क), (ख) और (ग) : जहां कहीं सुविधाएं उपलब्ध हों और उनके लिए फंड भी हों, वहां केन्द्रीय स्कूलों को आंशिक रूप से रिहायशी स्कूलों में विकसित किया जाना है। ऐसे स्कूलों में लागू की गई छात्रावास उपदान की योजना सभा पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5664/66]**

निम्नलिखित केन्द्रीय स्कूलों में ऐसी छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं :—

(1) फतहगढ़

(2) बीकानेर

(3) ए०एस०सी० केन्द्र (दक्षिण) बंगलौर।

कालिकट तथा एरणाकुलम विश्वविद्यालय

1461. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के राज्यपाल द्वारा केरल विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण में एरणाकुलम तथा कालिकट में विश्वविद्यालय केन्द्रों को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त विश्वविद्यालय बना देने के बारे में दिये गये सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि केरल के राज्यपाल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर यथापूर्वक ध्यान दिया जाएगा, किन्तु सरकार की सामान्य नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो, चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कोई नया विश्वविद्यालय नहीं खोला जाए और विद्यमान विश्वविद्यालय को ही सुदृढ़ बनाया जाए।

पत्तन न्यास तथा गोदी मजदूर बोर्ड

1462. श्री कोल्ला वेंकैया :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तन, गोदी तथा जल-पत्तन मज़दूर संघ ने दिल्ली में हुए अपने हाल के अधिवेशन में एक ही सरकारी अधिकार के अधीन पत्तन न्यास तथा गोदी मज़दूर बोर्डों के लिए एकीकृत प्रशासन व्यवस्था स्थापित किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस अधिवेशन में और क्या सुझाव दिये गये थे तथा क्या मत व्यक्त किये गये थे और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी, हां।

(ख) परिवहन और विमानन मंत्रालय के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) पत्तन और गोदी श्रमिकों की अस्थायी और अनियत श्रेणियों के स्थायीकरण, 'ए' श्रणी के श्रमिकों की निकायतों के निवारण, पर्याप्त महंगाई भत्ता की मंजूरी, फेडरेशन की मान्यता, स्टेवेडोरिंग प्रणाली के उन्मूलन, मज़दूरों के प्रशिक्षण, सभी मज़दूरों के लिए बोनस, आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा के समुन्नत उपाय और मकैनाइजेशन की विस्तृत योजनाओं को रद्द करने के बारे में अन्य टिप्पणियां और सुझाव विचाराधीन हैं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLICE IMPORTANCE

ऐजल और लंगलेह में सरकारी राजकोषों आदि पर मिजों लोगों द्वारा आक्रमण

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं **गृह-कार्य** मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि कि वह उस पर अपना वक्तव्य दें :—

"मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चे के 10,000 मिज़ों लोगों द्वारा मिज़ो जिले के ऐजल तथा लंगलेह में सरकारी राजकोषों तथा शस्त्रागारों पर आक्रमण किये जाने के समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : कुछ सूचना तो मैं अभी दे सकता हूं परन्तु यदि उसे साढ़े चार बजे लिया जावे तो मैं और अधिक सूचना दे सकूंगा।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आज चार बजे हमें एक समिति की बैठक में भाग लना है इसलिये क्या यह मामला साढ़े तीन बजे लिया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे साढ़े तीन बजे लिया जायगा।

ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES—(Query)

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : Mr. Deputy Speaker, under Rule 197, I want to say that on 26th February the Governor of Rajasthan while violating Article 143 of the constitution expelled twelve members out of Rajasthan legsilature.

Mr. Deputy Speaker : This is a state-subject and hence there is no point of order.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Deputy speaker, respectfully I beg to raise a point.....

उपाध्यक्ष महोदय : इस कार्यवाही को रिकार्ड नहीं किया जायेगा ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर आप अपना निर्णय तब तक मत दीजिये जब तक हम आपको अपनी स्थिति समझा न दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर दोबारा विचार करने को तैयार हूं । आप मेरे कमरे में आकर मुझ से मिलें और मुझे आकर समझा दें तो मैं इस पर पुन: विचार के लिये तैयार हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Deputy speaker, I have a point of order. If you read article 256 of the constitution of India you would know that I am raising a central subject and not a state subject. If a law of Parliament has been broken in Rajasthan ligislature it becomes the duty of the Central Government . If the Central Government has failed to fulfill its responsibility it is its failure. Hence it is a Central subject and it should be discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने डा० सिंघवी के सुझाव पर पहले ही कह दिया है कि सदस्य महोदय मेरे पास आ सकते हैं और यदि मैं संतुष्ट हो गया तो मैं इस पर पुन: विचार के लिये तैयार हूं । अब अगला विषय उठाया जाय ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष 1964-65 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैंश्री मु० क० चागला की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, की धारा 18 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनदान आयोग के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 5635/66 ।**]

पायराइटस् एण्ड केमिकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान ऑरगैनिक केमिकल्स लिमिटेड, और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : मैं इन पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (i) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत पायराइट्स एण्ड कैमीकल्स डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक - महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०5636/66** ।]

(2) (i) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित-लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सकरार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-5637/६६** ।]

(3) (i) एक कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1964-65 के वार्षिक प्रति-वेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-5638/66** ।]

(4) (i) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान ऑरगैनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ii) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-5639/66** ।]

(5) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959, की धारा 23 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-5640/66** ।]

(घ) लोक सेवा आयोग का पन्द्रहवीं प्रतिवेदन और आयोग की सलाह सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन तथा भारत प्रति रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं सभा पटल पर ये पत्र रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 323 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(i) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक की अवधि के लिये 15 वां प्रतिवेदन।

(ii) प्रतिवेदन के पैरा 33 में उल्लिखित मामले में आयोग की सलाह के सरकार द्वारा स्वीकार न किया जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-5641/66।]

(2) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(i) भारत प्रतिरक्षा (छठा संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1833 में प्रकाशित हुए थे।

(ii) भारत प्रतिरक्षा (सातवां संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 27 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1893 में प्रकाशित हुए थे।

(iii) भारत प्रतिरक्षा (आठवां संशोधन) नियम, 1965, जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1894 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०-5642/66।]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्री भक्त दर्शन : मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957, की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, 1965, की एक प्रति, जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3781 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०-5643/66।]**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, this is not just. You should have heard them also.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं उनसे बाहर जाने को कहता हूं।

[श्री हुकुम चन्द कछवाय सदन छोड़ कर चले गये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya left the House.]

नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल रिसर्च डेवलेपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-5644/66 ।]**

Shri Ram Sawak Yadav : I rise on a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से बाहर जाने को कहता हूं । वह कृपया चले जायें। इस प्रकार कार्य नहीं चल सकता ।

[श्री राम सेवक यादव सदन से बाहर चले गये]
[Shri Ram Sawak Yadav Left the House]

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Deputy Speaker, please listen to us. you have got earphones on ears and so you could not hear us.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं । वह कृपया बाहर चले जायें ।

[श्री बागड़ी सदन से बाहर चले गये]
[Shri Bagri left the House.]

पैरोल पर रिहा सदस्य के सदन में उपस्थित होने के अधिकार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : RIGHT OF MEMBER ON PAROLE TO ATTEND HOUSE

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं यह वक्तव्य कल अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार दे रहा हूं ।

यह बात मानी हुई है कि जिस व्यक्ति को मान्य तौर पर बन्द किया हुआ है वह तब तक संसद् में भाग नहीं ले सकता जब तक बन्दी का हुक्म जारी है । यह पैरोल का आदेश भारत रक्षा नियम के नियम 30 बी के अन्तर्गत पास किया गया है ।

इस मामले में सदस्य महोदय का यह कहना कि वह संसद् की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं उस बात के विरुद्ध है जो शर्तें उन पर उस समय लगाई गयी जब उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। इस कारण श्री उमानाथ संसद् सदस्य को यह मांग करने का अधिकार नहीं है कि वह पैरोल पर रहते हुये सदन में भाग ले सकते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने कल भी यह मामला उठाया था । यह मैं कहूं कि इस समय सदन के सामने एक बहुत ही संविधानिक महत्व का मामला है और वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के मामले से उलझा हुआ है । यदि इसे आप कान्साइज़ आक्सफोर्ड के शब्द कोष में पैरोल शब्द के अर्थ देखें तो पता चलेगा कि नजरबन्द इस में यह वचन देता है कि यदि उसे रिहा कर दिया जावे तो वह भागेगा नहीं ।

संविधान केअनुच्छेद 105(3) के अनुसार यहां संसद सदस्यों के अधिकार तथा उन्मुक्तियां वहीं हैं जो इंग्लैंड में हाउस आफ कामंस के सदस्यों के हैं ।

[श्री हरि विष्णु कामत]

जब संसद् का अधिवेशन आरम्भ होता है तो नजरबन्द सदस्य भी राष्ट्रपति सम्मन प्राप्त करते हैं कि संसद् में भाग लें। इस प्रकार पिछले एक वर्ष से भी अधिक से चल रहा है जब से भारत रक्षा नियम लागू हुए। इसी कारण नजरबन्द सदस्य भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मुझे पता नहीं है कि उनके पास प्रश्नों के लिखे उत्तर भेजे जाते हैं या नहीं।

श्री उमानाथ को एक आदेश सरकार ने दिया था। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उस आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ताकि हमें यह आसानी से मिल सके। उन्हें पैरोल पर इसलिये छोड़ा गया है ताकि अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। उन्हें कहा गया है कि वे किसी राजनैतिक कार्य में भाग न लें सकें अथवा किसी मजदूर या किसानों के कार्य में अथवा किसी विच्यसक कार्यवाही में भाग न ले सकें। मुझे विश्वास है कि अभी यहां वह समय नहीं आया है जब, संसद में भाग लेना विच्यसक कार्यवाही मानी जावे। आदेश में यह भी नहीं लिखा था कि वह संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता क्यों कि जिन चीजों का निषेध किया गया है वह हैं राजनैतिक कार्य, किसानों तथा मजदूरों संबंधी कार्य और विच्यसक कार्यवाहियां। इस मामले में राष्ट्रपति के सम्मन को यदि किसी अधिकारी ने काम में न आने दिया तो यहां लोकतन्त्रता का क्या होगा।

इसलिये मेरा कहना यह है कि यदि वह परोल पर रिहा हुए संसद् में आते हैं तो वह पैरोल के नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। जब पैरोल की अवधि समाप्त हो जाये तो वे फिर नजरबन्द हो जावें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : महोदय, श्री उमानाथ पर जितनी भी पाबंदियां लगी हैं उनके होते हुए भी उनका नाम अतारांकित प्रश्न संख्या 1333, 1395 तथा 1396 में आया है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि वह संसद् की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं। इसलिये राजनैतिक कार्यवाही संसदीय कार्यवाही में इस मामले में नहीं आती।

दूसरे पंजाब के एक नजरबन्द को भी परोल पर छोड़ा गया और वही शर्तें लगायी गयीं जो श्री उमानाथ पर लगायी गयी थीं। उसे हमारे स्पीकर महोदय ने पंजाबी सूबा समिति के अध्यक्ष के नाते समिति के सामने गवाही देने को बुलाया। उसे उनकी बीमार पत्नी के कारण पैरोल पर छोड़ा गया है। हो सकता है कि यदि वह दिल्ली आयें और यहां की अच्छी जलवायू के कारण अपनी पत्नी को भी साथ ले आवें और यदि यह सदन उन्हें अनुमति दे दे तो यहां संसद् की कार्यवाही में भी भाग ले सकें। इसलिये यदि इस प्रकार की सुविधा श्री हरिकिशन सिंह सुर्जीत पंजाब विधान सभा के सदस्य को दी जा सकती है तो सदन को आवश्यक हो जाता है कि इस मामले पर भी विचार करे और इस पर संसद् के हितों को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसे दो तरीकों से देखना चाहिये। एक तो कानूनी ढंग से और दूसरे न्यायशास्त्र के ढंग से जिसमें राजनैतिक को भी शामिल कर लिया गया है। भारत रक्षा नियम बहुत ही शर्मनाम है। और दुःखदायी है। इस मामले में भी यह आवश्यक नहीं है कि पैरोल पर रिहा हुए उदस्य को संसद में आने से रोका जा सके। यदि वह सदस्य दिल्ली में होता तो संसद में आ सकते थे। इसलिये यह न्याय नहीं है कि उसे केवल इसलिये यहां न आने दिया जाये क्योंकि वह दूसरे राज्य में रहता है। इन बातों का ध्यान रखते हुए ही इस प्रश्न पर फैसला होना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि हो सके तो पैरोल संबंधी कानून में संशोधन किया जावे।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : मैं उन विचारों से सहमत हूं जो मेरे मित्र कामत, मुकर्जी, तथा डा० सिंघवी ने व्यक्त किये हैं। पैरोल का हुक्म इतना दम घोटने वाला है कि हम सब इस बात में एक मत हैं कि भारत सुरक्षा नियमों को समाप्त किया जाय। यदि इसका अर्थ यह लिया जावें कि वह संसद् की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते तो यह राष्ट्रपति के सम्मनों का उल्लंघन करना होगा जिन्होंने उन्हें यहां आने को कहा है। मैं आप से प्रार्थना करता हूं और आपके द्वारा सरकार से भी कि श्री उमानाथ को संसद् की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जावे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy speaker, I have laid stress on the needing of the rules as the minister has completely mixed up things. The question is whether parole can be granted for a specific period and without condition. If that is so, then the word "purpose" in the order has no significance. If the member has been released to work after his ailing wife, I think there is no harm if he engages himself in other activities to in addition to looking after his wife. Therefore my submission is that according to the rule he should come to the House and he has all right to take part in the proceedings. Regarding giving report to the police, I can say that he can do so by means of telegram. Even the speaker can send Telegram to the police regarding the presence of the member.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में सरकार को इस मामले पर निर्णय लेते समय प्रधान मंत्री के कल के वक्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिये तथा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि भारत सुरक्षा नियमों के बारे में देश की अदालतों तथा मुख्य व्यक्तियों का क्या विचार है मेरे विचार में विधि मंत्री भी यह मानेंगे कि सदन की कार्यवाही में भाग लेना कोई अवांछनीय कार्य नहीं है। हमें इन मामलों में नियमों को सख्ती से पालन नहीं करना चाहिये। वास्तव में कौन होगा जो पैरोल के ऐसे हुकम का समर्थन करेगा कि यह किसी सदस्य पर पाबन्दी लगाये ?

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : इस सदन में दोनों पक्षों की ओर से सख्त विचार प्रकट किये गये हैं और इस पर हमने एक घंटा तक विचार भी किया है। अब मैं आपके द्वारा सदन को यह सुझाव दूंगा कि अब सरकार को इस पर विचार करने दीजिये। हम इस पर मद्रास सरकार से भी विचार विमर्श करेंगे और शीघ्र ही फैसला करेंगे। इस पर मंगलवार या सोमवार को जबहम होली के बाद मिलेंगे तो बयान दिया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

उन्नासीवां प्रतिवेदन

Seventy-Ninth Report

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलोर) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISERY COMMITTEE

चवालीसवां प्रतिवेदन

Forty-Fourth Report

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो 1 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : —

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चवालीसवें प्रतिवेदन से, जो 1 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुवा /*The Motion was adopted.*

ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में—(प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICES—(Query).

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का नोटिस अभी रद्द नहीं हुआ है। मुझसे अध्यक्ष महोदय ने पूछा था कि यह केन्द्र का प्रश्न कैसे बन सकता है। मैंने एक और नोटिस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय का दिया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 353 का जिक्र किया। यह मामला बंबई में कपड़ा उद्योग के दो लाख कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में था। मैंने अध्यक्ष महोदय को अपने पत्र में लिखा है कि कितना बोनस दिया जाना होता है इसके बारे में कानून केन्द्र से पास हुआ है। दूसरे इस हड़ताल के कारण उत्पादन में कमी होगी जिसका असर चौथी योजना पर पड़ेगा। तीसरा कारण यह है कि श्रम का उल्लेख संविधान की समवर्ती सूचि में भी है। जैसा कि सब जानते हैं कि देश में आपत्कालीन स्थिति है और हम सब चाहते हैं कि यह हड़ताल समाप्त हो। यह भी समाचारपत्रों में आया है कि सिवाय एक के बाकी सब कपड़े के मिल बन्द पड़े हैं। अतः मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप श्रम मंत्री इसपर एक वक्तव्य दें तथा राज्य की सरकार को सलाह दें कि क्या करना है।

मुझे आपसे एक शिकायत है कि श्रम मंत्री को पता था कि यह नोटिस अभी समाप्त नहीं हुई है, फिर भी वह सदन में यह बताने को नहीं आये कि इसे क्यों न स्वीकार किया जाये। इससे यह पता लगता है कि मंत्री महोदय सदन का अपमान करते हैं। मैंने इस विषय को कई बार उठाया है।

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुजा) : मैंने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किये हैं और मुझसे अध्यक्ष ने कहा है कि इस सदन में यह किस प्रकार आ सकता है। इसी सदन में वाणिज्य मंत्री ने पहले प्रश्नों के उत्तर दिये हैं तथा कहा है कि वह कदम उठावेंगे जिससे यह मिल खुल जावे परन्तु वह वचन पूरे नहीं किये गये। इसलिये हम केन्द्रीय सरकार से वक्तव्य चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला श्रम मंत्री को सौंप दिया है और जब वह तैयार होंगे तो इस पर अपना वक्तव्य दे देंगे। इस मामले को विचाराधीन रखा जाता है।

जिन सदस्यों को सदन छोड़कर जाने के लिये कहा गया था उन्हें वापिस लौटने की अनुमति

PERMISSION TO MEMBERS WHO WERE ASKED TO LEAVE THE HOUSE TO RETURN

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Mr. Deputy Speaker, I request you to permit to return those members who were asked to go out because they were sent out when I raised a point of order. If you want to hold anybody as fault for it, it is, I and for that I am prepared to go out if that wrong can be set right. If they are not called back, I will have a feeling that they have been punished for my sake.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदन उन सदस्यों को आने की अनुमति देगा ?

कुछ सदस्य : हां, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : वे आ सकते हैं परन्तु उन्हें आगे से अच्छा बर्ताव करना होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia : I thank you very much.

रेलवे आय-व्ययक, 1966-67—सामान्य चर्चा—जारी

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन रेलवे बजट 1966–67 पर सामान्य चर्चा करेगा । श्री प्रिय गुप्त अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल बोनस के बारे में कह रहा था । एक समझौता 10–11–1951 तथा 23–8–1951 में रेलवे मंत्रालय तथा अखिल भारतीय रेल कर्मचारी फेडरेशन के बीच हुआ था परन्तु उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है । अभी राष्ट्रपति ने एक भाषण में कहा है कि श्रमिकों को उद्योग में ठीक स्थान मिलना चाहिये । क्या इन बातों पर कभी अमल होगा ?

अब मैं बोनस के प्रश्न पर आता हूं । रेल कर्मचारी दोनों शर्तों को पूरा करते हैं—एक तो यह कि उद्योग में नफा होना चाहिये और दूसरा यह कि रेलों का दूसरे उद्योगों के साथ मुकाबला होना चाहिये जैसे परिवहन विभाग । परन्तु जब बोनस की मांग होती है तो कहा जाता है कि वे विभागी कर्मचारी हैं और बोनस तो केवल औद्योगिक कर्मचारियों को दिया जाना चाहिये । मंत्री महोदय को इस बारे में कुछ करना चाहिये ।

एक पक्का स्थायी मजूरी बोर्ड बनाना चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है । 1943 के बंगाल के अकाल के पश्चात् यह सिद्धान्त निर्धारित किय गया कि इतनी मजूरी दी जानी चाहिये जिससे श्रमिक अपने आप को जीवित रख सकें और उन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्त्ति होती थी । इस देश में 2 रुपया, 5 रुपया अथवा 10 रुपये देने से श्रमिकों की समस्या का समाधान नहीं होगा ।

हमारे देश ने दूसरे देशों से स्वचालित, विद्युतीकरण आदि ले लिया है परन्तु यहां तो पहले ही 2 करोड़ पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति बैठे हैं । इसलिये यहां पर कार्यकुशलता के नाम पर स्वचालिता को लागू करना ठीक नहीं है । इस ओर संयोजित ढंग से कुछ करना चाहिये ।

महंगाई के बारे के दो पहलू हैं । एक तो निष्प्रभाव बनाने का फार्मोला है जिसे दास कमीशन ने आंशिक रूप में मान लिया है । हम तो कहते थे कि महंगाई को पूरी तरह निष्प्रभाव किया जावे परन्तु सरकार ने उसे आंशिक रूप में भी पूरी तरह नहीं माना है ।

दूसरी बात थी कि मूल्यों का एक अखिल भारतीय मूल्य देशना बनाना चाहिये । उसके न होने के कारण यह पता नहीं लगता कि कितनी महंगाई को निष्प्रभाव बनाया है ।

फिर हमने सरकार से खण्ड पद्धति के विरुद्ध भी कहा है । जब आप महंगाई भत्ता दें तो यह नहीं होना चाहि कि एक वर्ग के कर्मचारियों को कुछ और, और दूसरे वर्ग के कर्मचारियों को कुछ और मंहगाई भत्ता दिया जाव ।

हम नैमित्तिक श्रमिक रिवाज के भी विरुद्ध हैं । उनके स्थान पर नियमित कर्मचारी होने चाहियें ।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए ।
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

अब मैं ठेके पर मजूरों को लेने के प्रश्न पर आता हूं । यह मजूर गैर-सरकारी ठेकेदार होते हैं । यह कार्य भी कर्मचारियों को स्वयं अपने हाथ में ले लेना चाहिये ।

[श्री प्रिय गुप्त]

एक श्री मुकन्द पारिख, सी० जी० आई०, को जो कि वैस्टर्न रेलवे एकाउंटस विभाग, भावनगर में कार्य करते थे, अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। श्री पाटिल ने भी कहा यदि वह व्यक्ति अदालत में जावे तो वह उसकी सहायता करने को तयार हैं। मैं साफ उत्तर चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि श्री पारिख को म्युनिसिपल चुनाव लड़ने के लिये सरकारी तौर पर छुटटी मंजूर नही की गई और जब वह जीत गये तो उन्हें नौकरी से जवाब मिल गया। परन्तु मंत्री महोदय इसका साफ उत्तर नहीं देते।

रेलवे के सरकारी मकानों के बारे में एक बार स्वयं स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को एक कमरे का मकान न दिया जावे क्योंकि बाल बच्चों वालों का रहना कठिन है। रेलवे बोर्ड ने भी कहा कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को भी दो कमरों वाला मकान दिया जाना चाहिये। परन्तु अतिसंयम के नाम पर यह सब घटा का घटा रह गया। कुछ मकान तो अपनी निर्धारित आयु भी पूरी कर चुके। इसलिये किराया निर्धारित करते समय उनका व्यय तो न लगाया जावे।

चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात यह है कि रेलों के विभाग में कुल डाक्टर 2000 हैं। उनमें से केवल पांचवां भाग ही बाहर के चिकित्सालयों के लिये हैं। इस हिसाब से, 1,10,000 बीमारों के लिये कुल 400 डाक्टर ऐसे हैं जो बाहर जाकर बीमारों को देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बीमार पर एक मिनट लगाया जाता है। अब बताइये कि इतने समय में वह बीमार को क्या भली भांति देख पायेंगे।

छुट्टी के बारे में भी मेरा मत यह है कि यह सब को मिलनी चाहिये।

कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें डाक्टरी तौर पर नाकारा घोषित कर दिया है। उदाहरण के लिये एक गार्ड या रेल ड्राइवर जिसका 350 रु० वेतन है उसके काम से नाकारा घोषित करने के बाद उसे 70 रु० प्रति मास पर खलासी बना दिया जाता है। उन्हें वैसे दिखाई देता रहता है बस वह अपने पूर्व के कार्य को नहीं कर सकता। इसलिये कोई ऐसा इंतजाम हो कि उनके वेतन में घाटा न हो।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारियों के संघ ने जो आठ मांगें की हैं उनके बारे में भारत सरकार को विचार करना चाहिये और इस के बारे में कुछ न कुछ करना चाहिये।

श्री हनुमन्तया (बंगलौर-नगर) : सरकार के लगभग सभी विभागों के कर्मचारी अधिक वेतन की मांग कर रहे हैं। खेद की बात यह है कि यह लोग राज्यों के कर्मचारियों की स्थिति की ओर नहीं देखते। सभी अपने से ऊंचे वर्ग की भांति वेतन चाहते हैं। परन्तु सरकार को सभी पहलुओं पर विचार करना है। इन मांगों के कारण ही रुपये के मूल्य में कमी हो गई है।

यहां कुछ एक विभागों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने की मांग की गई है। मैं चाहता हूं कि सभी विभागों के लिये ऐसा एक बोर्ड बनाया जाय। इस बोर्ड को देश की प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय के अनुसार मजूरी देने पर विचार करना चाहिये। हमें समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखना है। हमारे देश में कृषि में लगे व्यक्तियों को न्यायोचित लाभ नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसीलिये हमारी खाद्य स्थिति संतोषजनक नहीं है।

यहां पर दावा किया गया है कि हड़ताल करना मजदूरों का अधिकार है। परन्तु मेरे विचार में यह बहुत पुराना अधिकार है। आज समय बदल गया है। यदि कोई मतभेद हो तो उसे मध्यस्थ निर्णय से समाप्त किया जा सकता है। यह तरीका एक सभ्य तरीका है। हां कर्मचारियों और मालिकों के झगड़ों का निपटारा करने के लिये अनिवार्य मध्यस्थता की व्यवस्था की जा सकती है। हड़ताल का अधिकार उचित नहीं है। यह कानून के विरुद्ध होगा। मैं रूस तथा अन्य कई साम्यवादी देशों में गया हूं। वहां पर हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। हम समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं परन्तु हड़ताल को एक अधिकार बनाना इसके विपरीत है। मैं मजूरी के बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु हमें पूरी स्थिति की ओर पहले ध्यान देना होगा। हड़ताल से राष्ट्र के हितों को हानि होती है। हड़ताल करना गैर-काननी समझा जाना चाहिये। हमें अपने कानून में आवश्यक संशोधन करना चाहिये।

पिछले 18 वर्षों में रेलवे का विकास किसी आयोजना के आधार पर नहीं हुआ है। हमें सबसे पहले सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करना चाहिये। सभी छोटी लाइनें घाटे पर चल रही हैं और बड़ी लाइनों से लाभ हो रहा है। इस बारेमें सरकार की जानकारी सब से बड़ा प्रमाण है। यह कार्य दीर्घकालीन योजना द्वारा किया जा सकता है।

दक्षिण भारत में रेल्वे व्यवस्था अपर्याप्त है। हमारे देश में बड़े बड़े नगरों जैसे बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में रेलों की व्यवस्था तो ठीक है परन्तु छोट स्थानों पर यह ठीक नहीं है। इसके फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों का विकास ठीक प्रकार से नही हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि विदेशों से आये अनाज को उतारने और गाड़ियों द्वारा भेजने के बारे में भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मैंने यह पहले भी सुझाव दिया था कि त्रिवेन्द्रम से बंगलौर, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली और श्रीनगर तक एक मुख्य लाइन बनायी जाये। हमें केवल मद्रास को ही दक्षिण भारत नही समझना चाहिये। दक्षिण में और राज्य भी हैं। हम राज्यों की राजधानियों को रेलवे लाइनें बिछाने के मामले में प्राथमिकता देनी चाहिये। कन्याकुमारी को श्रीनगर से मिलाने वाली लाइन राष्ट्र की एकता की प्रतीक होगी। गोआ को गुन्टाकल के साथ बड़ी लाइन से मिला देना चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि विभागीय खान पान व्यवस्था से पहली बार कुछ लाभ हुआ है। पिछले कई वर्षों में इस में एक करोड़ रुपय से अधिक हानि हुई है। यदि इस काम को नीलाम द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जाता तो बहुत लाभ हो सकता है। इस काम से रेलवे के कई कर्मचारी अनुचित लाभ उठाते हैं। सरकार को विभागीय खान पान व्यवस्था सहकारी ढंग पर चलानी चाहिये। इससे इस में सुधार हो सकता है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jajjhar) : Railways are very important for us. It is essential for defence of the country. It is required by business and industry. The area between Delhi and Ferozepore is inhabited by brave soldiers, who gave a account of themselves during recent conflict. Government should pay special attention to this area.

Businessmen have to experience great difficulty in getting wagons for sending their goods to other places. The hon. Minister should pay his attention to this. Passengers of third class should be provided more facilities. Hindi language should be made popular. It should be used by Railway administration.

The low-paid employees should not be posted at distant places. Delhi is a central place. People from all sides come here. I want that the timing of trains should be arranged in such a way that people coming from nearly places reach offices in time and reach their homes in the evening. A Cycle stand should be provided at Kishanganj, Delhi. Delhi-Rohtak railway line should be doubled. A train should be run between Delhi and Jind during day time. Government should take immediate steps to eradicate corruption in Railways. Some cases have been brought to the notice of higher authorities. I request that stern action should be taken against corrupt officials. The honest ones should be rewarded. The hon. Minister should consider the question of providing facilities to farmers and poor people.

Shri Shiv Charan Mathur (Bhilwara) : The Minister of Railways deserves congratulations for not increasing the fares this year. The Railway employees have given a good account of themselves during the recent conflict. I know about Gadra station in Rajasthan. The employees posted there showed exemplary bravery and patriotism.

[Shri Shiv Charan Mathur]

The target for goods traffic has also been achieved. It is a good performance. I congratulate the Ministry of Railways for this Railway autnorities think that road transport will have an adverse effect on earnings of Railways. This doubt is baseless. There should be healthy competition between these two modes of transport. Every effort should be made to make the working more efficient.

Railway is the biggest public undertaking of our country. It should function for the maximum use and benefit of people. The poor people of our country travel in third class. It is a pity that the conditions in this are not good. There is overcrowding. The basic amenities are not available in these coaches. Necessary steps should be taken to improve this state of affairs. There should not first class and air conditioned coaches. There should be only one class. The three-teir coaches are not comfortable. Instead of this more two teir coaches should be introduced.

An American economist had suggested that in a country like India we should have expenditure oriented taxation structure. The earnings should be utilized for increasing production. The business should be made more expensive and essential items should not be expensive. A foreigner has stated that India is a country of extremes. Some people lead a very luxurious life while others live in extreme poverty. Our Government should try to make a country averages.

The fares of season tickets for big cities have been reduced. It is a welcome step. I request that the rates of freight should not be increased.

The proposed increase in the rate of frieght of coal beyond 800 kilometers will have very adverse effect on Rajasthan, because all coal fields are beyond this distance from this State. This surcharge should be withdrawn.

A decision was taken in 1949 to construct a railway line for Kotah-Chitorgarh, but it is regretted that later on it was not implemented. We had drawn the Hon. Minister's attention to this matter. A survey has been made again, but there is no mention in the Hon. Minister's speech about this. This line would be very helpful in the economic development of this region. Another line which should be laid is Gokaran-Jaisalmir line. It would be very stratigic line. This should be taken up immediately.

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं रेलवे की सफलताओं के कारण रेलवे मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। आपात के समय रेलवे ने अपनी क्षमता का पूर्ण परिचय दिया है और उसके लिय हमें उसके एलाधा करनी पड़ी है। रेलवे मंत्री ने कहा है कि गाड़ियों और वैगनों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। मेरा मत यह है कि अच्छा हो यदि गाड़ियों और वैगनों को देश के चार भागों में एक जैसा बांट दिया जाता तो अच्छा रहता। मैं मंत्री महोदय के भाषण में विस्तार से नही जाना चाहता, मुझे तो यात्री सेवाओं के बारे में ही कुछ कहना है। इस सम्बन्ध में हमें एक पुस्तिका भी दी गयी है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे की सेवाओं में काफी सुधार हो रहा है। मेरे क्षत्र में गाड़ियां अधिकतर छोटी लाइन की है। क्योंकि मंत्री महोदय रेलवे में यात्रा ही नही करते, अत: उन्ह रेलवे यात्रियों की कठिनाईयों का पता नही है। उन्हें छोटी लाइन पर यात्रा करके वहां की कठिनाइंयों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिये। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि छोटी लाइन पर कोई वातानुकूलित गाड़ी चलायी जानी चाहिये। और यह गाडी प्रथम दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की होनी चाहिय ताकि सामान्य यात्री इससे लाभ उठा सकें। ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जो कि प्रथम दर्जे में सफर कर सकें।

भोजन व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि इसमें से घी को कम किया जाना चाहिये। दूध तथा दूध के अन्य उत्पादों को प्रयोग सूचि में रखा जाना चाहिये। दूध का चुर्ण भी प्रयोग में लाया जाना चाहिये ताकि सामान्य लोग कुछ लाभ उठा सकें। विभागीय भोजन व्यवस्था का कार्य काफी लाभदायक रहा है। परन्तु इस व्यवस्था में छोटी लाइनों और बड़ी लाइनों पर बहुत ही अन्तर है। यह

भेदभाव और अन्तर समाप्त किया जाना चाहिये। सभी रेलवे पर अच्छा भोजन देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह बात भी देखने में आई है कि भोजन विभाग के जो कर्मचारी रेल में यात्रा करते हैं, उन्हें स्थानीय तौर पर किसी चीज को खरीदने का अधिकार नहीं रहता। दो जंकशनों के बीच में भी इस प्रकार की खरीद की व्यवस्था नहीं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की सभी रोकें हटा दी जानी चाहिये विशेष रूप में जब कि गाड़ियां लेट चल रही हों अथवा यात्रा का समय 24 घंटों से अधिक हो। कई बार यह देखने में आया है कि यात्री खाना मांगते हैं परन्तु भोजन विभाग के कर्मचारी खाना नहीं दे सकते।

मैं रेलवे मंत्री को इस बात के लिये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तीसरे दर्जे के यात्रियों की सुविधायें देने के लिये काफी कुछ किया है। रेलवे में तीसरे दर्जे की सीटों में काफी वृद्धि हुई है। तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में भी तीसरे दर्जे के स्थान बढाये जाने चाहिये। यह भी हर्ष और संतोष की बात है कि दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम हो गयी है। इसका संबंध इस बात से है कि अब प्रबन्ध व्यवस्था काफी अच्छी है। लगभग 60 प्रतिशत दुर्घटनाओं का कारण तो रेलवे कर्मचारियों की असफलता ही था। इस दिशा में विस्तार से जांच की जानी चाहिये। इस बात का पूरा प्रयास किया जाना चाहिये ताकि निम्न श्रेणी के कर्मचारी पूरी तरह संतुष्ट हों और ठीक ढंग से काम कर सकें। यदि ऐसा हो गया तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या काफी कम हो जायेगी। इस तरह यात्रा भी काफी सुरक्षित हो जायेगी।

कई एक छोटे स्टेशनों को सामान्य स्टेशन बनाने की दिशा में रेलवे की प्रगति बड़ी धीमी है। राजकोट विभाग में ऐसे कई स्टेशन ऐसे ही पड़े हैं। मारवड़ स्टेशन पर जो कि कलोल और विजयपुर के बीच में है, एक यात्री शेड बनाया जाना था। 5000 रुपये का दान भी इसके लिये उपलब्ध हुआ था परन्तु इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसका मुख्य कारण रेलवे अधिकारियों का उपेक्षाभाव है। यह भी दुःख की बात है कि कई एक स्थानों पर यहां की छोटे स्टेशनों की अपेक्षा थी, उनकी व्यवस्था हीं की गयी। ऊपरि पुलों, लैवेल क्रासिंगों का भी ध्यान नहीं रखा गया, जैसा कि रखा जाना चाहिये था। मैं आशा करता हूं कि उपरोक्त सभी छोटी छोटी बातों की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कई रेलवे लाइनों पर जो अच्छे काम हुये हैं उनके लिये मैं रेलवे प्रशासन तथा रेलवे कर्मचारियों को मुबारिकबाद देता हूं। परन्तु इसके साथ मुझे उनकी इस बात के लिये आलोचना भी करनी है कि यदि वह थोडा सचेत रहते तो कई एक असफलताओं से बचा जा सकता था। यह सन्तोष की बात है कि कई नई गाडियां चालू की गयी हैं। और कुछ और भी नई गाडियां चालू की जा रही हैं। इससे गाडियों की भीड़भाड़ जो कि प्रायः तीसरे दर्जे में दिखाई पड़ती है दूर होने की संभावना है। आज काफी गाडियां हो जाने पर भी तीसरे दर्जे में काफी भीडभाड रहती है अतः इस बात की जरूरत है कि और गाड़ियां चलायी जायें। मेरा यह भी निवेदन है कि गाड़ियों में से वातानुकूलित डिब्बों को हटा दिया जाना चाहिये। और उनकी जगह तीसरे दर्जे के डिब्बे जोड़ दिये जाने चाहियें। तीसरे दर्जे की सोने वाली गाड़ियों की व्यवस्था भी होनी चाहिये। तीन टायरों वाले डिब्बे भी बन्द होने चाहिये। आगे के लिये केवल दो टायर डिब्बे ही रखने चाहिये। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कानपुर जैसे बड़े बड़े नगरों से तीसरे दर्जे की जनता गाड़ियां चलनी चाहियें। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि राजस्व सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से प्राप्त होता है जो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं। उनको सुविधायें देना हमारे लिये बड़ा जरूरी है।

रेलवे कर्मचारियों के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि जब जब भी हमने मजूरी बोर्ड का प्रश्न उठाया है हमें यही उत्तर मिलता रहा है कि रेलवे कर्मचारियों को काफी लाभ दिये जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मजूरी बोर्ड की स्थापना से इंकार क्यों किया जा रहा है। इसी प्रकार जब हम केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि केन्द्रीय वेतन-आयोग की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं। यह नीति ठीक नहीं है। मजूरी बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिये। और इस बोर्ड को कहा जाना चाहिय कि वह रेलवे कर्मचारियों के वेतनों भत्तों तथा सेवा

[श्री स० मो० बनर्जी]

शर्तों के बारे में पूरी तरह छान बीन करे। इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि यदि रेलवे और कर्मचारियों में कोई विवाद हो तो उसके बारे में किसी न्यायाधिकरण को ही निष्पक्ष फसला देने का अधिकार होना चाहिये। जहां तक सस्ता अनाज की दुकानें स्थापित करने का प्रश्न है। यह तो स्पष्ट किया जा चुका है कि जो कुछ महंगाई भत्ते में वृद्धि की गयी है वह काफी नहीं है। यदि सरकार कीमतों की वृद्धि रोकने में असफल रही है तो इसका हल कर्मचारियों को क्यों भुगतना पड़। कर्मचारियों के लिये जो कि 12 लाख की संख्या में हैं कोई व्यवस्था तो की ही जानी चाहिये। मरा निवेदन है कि उनके लिये सस्ती दूकानें खोली जानी चाहिये और इन दुकानों में खाद्य से संबंधित लगभग 20 और 24 तक चीजें सस्ती मिलनी चाहियें।

मैं रेलवे प्रशासन को इस बात के लिये मुबारिकबाद देता कि उन्होंने निमितिक श्रम को नियमित करने का फैसला किया है। अब जो भी कोई कर्मचारी छः मास तक निरन्तर कार्य करेगा उसे नियमित कर दिया जायेगा। अन्य मंत्रालयों में ऐसा ही नियम है। रेलवे में भी इसी प्रकार किया जाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि काफी व्यापक आधार पर जो रेलवे कर्मचारियों की तबदीलियां की जा रही हैं उन्हें भी रोका जाना चाहिये। उन जगहों को तब तक फालतू घोषित नहीं करना चाहिये जब तक कि रेलवे बोर्ड उसके बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं कर लेता। आपात के कारण काम के घंटों में आधे घंटे की वृद्धि कर दी गयी थी। परन्तु बागान अनुसन्धान कार्यालय में यह वृद्धि एक घंटे की की गयी थी। पता नहीं इस प्रकार भेदभाव क्यों किया गया। वैसे भी इस देश में आपात के नाम पर काफी विचित्र बातें हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों के काम का आधा घंटा कम किया जाना चाहिये। इस कारखाने तक जो शटल गाड़ी चलती थी उसे बन्द किये जाने के भी कोई कारण दिखाई नहीं देते। उसे पुनः चालू किया जाना चाहिये।

मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वह चितरंजन के कार्मिक संघ को मान्यता क्यों नहीं दे रहे। वह वहां के कर्मचारियों का एकमात्र संघ है। मैं इस बात का भी आग्रह करना चाहता हूं कि जिन वफादार कर्मचारियों को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था उन्हें तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये। उनमें से बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने चीनी आक्रमण के समय राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष के लिये काफी धन इकट्ठा किया था। ऐसे लोग भी हैं जिनको 311 (2) (ख) के अन्तर्गत नौकरी से हटा दिया गया था। मैं इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को इन लोगों के मामले पर सहानुभूतिपूर्ण पुनः विचार करना चाहिये। ये लोग पुनः नौकरी पर लगा दिये जाने चाहियें।

और अन्त में यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों को रात्रि को कार्य करने के लिये भत्ता दिया जाना चाहिये। मेरा यह भी निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री पर दबाव डालना चाहिये कि वह कानपुर में ऊपरिपुल की व्यवस्था करे।

Shri Bibhuti Misra (Motihari) : The credit of vitory goes to the railwaymen, for honestly and earnestly working during the emergency they deserve congratulations for there praise wrothy performance during the recent conflict with Pakistan. I must respectfully request the railway Ministr that the surcharge on freight in respect of salt should be done away with. We must not forget that we are a welfare State and the fact is used by the people. I also want to urge that nobody should have monopoly on the railways. In this connection I may be allowed to state that the monopoly of A.H. Wheeler & Co., on the railways should be brought to an end. So simple indivdual should be allowed to earn 5 or 10 lakhs of rupees annually.

I want to remind Shri Patil the assurance that he gave to the people of Bihar. Bihar has been ignored since long. I therefore hope that a Railway Service Commission should be set up at Patna for the benefit of the people of Bihar. The complaints of overcrowding are increasing, particularly in third class. Steps should be taken to provide more facilities to the third class passengers. I would also like to draw the attention of the Minister that the tea stalls and sweet shops at Motihari were owned by the people from outside the district. They should be given to the people of that area. People of our area should be appointed to the Class III and class IV posts.

Let me also urge that the Railway Time Table Committee is not a representative one. Either the Committee should be made representative by including in it M.A.s. of different Zones or it will only consist of Railway Board officials. The catering department should arrange the supply of milk, curd and fruits for vegetarian passengers.

There is no fast train for the passengers going to the North Bihar. There must be provision for the people of North Bihar. Also an Express Train should be provided for travelling from Motihari to Pahlezaghat and from Motihari to Samastipur. It will be really very good if the railway Minister undertakes a tour of different areas to know the grievances of the people.

There should be rail-cum-road bridge on Gandak river at Dumeriaghat. It is regrettable that no new railways lines have been laid in North Bihar during the last 18 years. The broad-gauge railway line which have gone up to Samastipur should be extended up to Champaran through Muzaffarpur. There is a great necessity for the bridge over Narayana in order to link Gorakhpur with Champaran. It is regrettable that the office of D.T.S. have not been provided in Motihari, I am really sorry that the office of the D.T.S. have not been provided in Motihari. In the end I have specially appeal to Shri Patil to attend to the matters I have placed before the house and pay attention to the underdeveloped areas also.

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का असवर दिया है। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

सर्व प्रथम मैं रेलवे मंत्रियों तथा रेलवे प्रशासन को बधाई देता हूं कि रेलवे का कार्य बहुत अच्छा रहा है तथा चीन और पाकितस्तान के आक्रमणों के समय रेलों ने बहुत लाभदायक कार्य किया।

ऐसे ही देश के आर्थिक विकास में भी रेल बहुत भाग लिया है।

मंत्री महोदय ने मिरज-कोल्हापुर रेल पटड़ी का जिक्र किया है परन्तु यह बता दूं कि सर्वेक्षण के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं हुआ है। यह सत्य है कि मिरज-पूना पटड़ी पर कार्य आरम्भ हो गया है। परन्तु जब तक मिरज कोल्हापूर लाईन को पूरा हुए बिना मिरज-पूना लाईन बेकार है। यह सारा क्षेत्र लघु उद्योगों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही यहां डीज़ल तेल, इन्जन, पानी के पम्प आदि का भी यहां उत्पादन होता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

[श्री कृ० ल० मोरे]

एक बात मैं और मंत्री महोदय के सामने रखता हूं और वह यह है कि कोयला तथा कोक पर किराया न बढ़ाया जावे। एक सदस्य महोदय ने कहा है कि नमक पर तो किराया न बढ़ाया जावे चाहे कोयला और कोक पर बढ़ा दिया जावे। मैं उन से सहमत नहीं हूं। उन्हें उद्योगों का भी ध्यान रखना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहूंगा कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और पंजाब के अन्दर लघु उद्योगों का निर्माण हो रहा है इस लिये उनमें कोई भेद भाव न बरतला जावे।

मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : यदि किसी व्यक्ति की बार बार प्रशंसा की जावे तो वह अपने कार्य में शिथिल हो जाता है। हम इस सदन में स्वतंत्रता के बाद से रेलवे प्रशासन की बार बार प्रशंसा करते चले आये हैं और इस कारण से रेल विभाग समझ रहा है कि उन्होंने कोई अद्-भुत कार्य कर दिया है। इसलिय मैं थोड़ा कटाक्ष करूंगा और उसके कुछ कारण हैं।

श्री पाटिल ने अपना जो बजट पेश किया है उसके अनुसार यह अतिरेक बजट है क्योंकि वह कहते हैं कि खर्च से आय अधिक है। परन्तु जो कागज़ उन्होंने हमारे पास भेजे हैं उनसे तो कुछ पता नहीं चलता और जहां आंकड़ों की अधिकता हो वहां यही होता है कोई उन्हें पढ़ना नहीं चाहता। श्री पाटिल को यह सोचना चाहिये कि संसद सदस्य कोई वित्तीय मन्दिर नहीं है। वैसे बजट से सामान्य तौर पर पता चलता है कि आय होगी। 795 करोड़ रुपया की और व्यय होगा 1455 करोड़ रुपया। पता नहीं कि 650 करोड़ रुपया का घाटा कहां से पूरा होगा। इस लिये मैं रेल मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह बजट के पत्र ऐसे ढ़ंग से तैयार करवाया करें जिस से वह मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के भी समझ में आ जावें।

वैसे इतना मैं कहूंगा कि श्री पाटिल का रेलवे मंत्री के रूप मे इतना अच्छा कार्य नहीं रहा है जितना वह चाहते हैं कि हम उनके बारे में यकीन करें।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रम को अच्छा तब माना जा सकता है कि उस में लगी पूंजी से 12 प्रतिशत का नफा प्रतिवर्ष होना चाहिये। यदि इस फीतें से नापा जावे तो रेलों में देश का 3491 करोड़ रुपया लगा है। क्या इस से हमें 420 करोड़ रुपया वार्षिक का लाभ हो रहा है। वैसे रेलों को बने भी यहां 110 वर्ष हो चुके हैं और इसके जितने नये कार्य हों वह सब इसके अपने रुपये से होने चाहिये तथा इस से तो 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत वार्षिक का लाभ होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बाद में अपना भाषण जारी रख सकते हैं अब सदन अविलम्बीय लोक महत्व के नोटिस पर चर्चा करेगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ऐंजल और लंगलेहम सरकारी राजकोषों आदि पर मिजो लोगों द्वारा आक्रमण

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं **गृह-कार्य** मंत्री के निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को ओर ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर वक्तव्य दें :—

"मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चे के 10,000 मिज़ो लोगो द्वारा मिज़ो जिले के ऐंजल तथा लंगलेह में सरकारी राजकोषों तथा शस्त्रागारों पर आक्रमण किये जाने के समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : श्रीमन, हमने आसाम की सरकार के साथ 28 फरवरी और पहली मार्च की रात को मिज़ो पहाड़ी जिले में घटित गम्भीर घटनाओं के बारे में लगातार सम्पर्क बनाये रखा है। राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि स्थिति यह है कि 28 फरवरी को 10.30 बजे रात्रि और पहली मार्च को सूर्योदय-पूर्व 3 बजे के बीच कुछ कबायली लुंगलेह, एजल, ईरांगते, चांगते और चिनलुआन्ग मे संचार साधन नष्ट करने तथा सरकारी कर्मचारियों को डराने की कोशिश में अराजकता तथा हिंसा की कार्यवाहियों पर उतर आये। इन सब जगहों पर कुल मिला कर 800 से 1300 के लगभग व्यक्तियों ने इन कामों में भाग लिया। हमारे पास ऐसा विश्वास करने के लिये आधार हैं कि इन कबायलियों का नेतृत्व मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चे के अतिवादी तत्वों के हाथ में है। पहला हमला लुंगलेह के उप-कोषागार पर 28 फरवरी की रात को 10.30 बजे हुआ। 500 से 1000 तक लोगों के एक दल ने सुरक्षादल तथा आसाम राइफल्स के एक डिपो पर हमला किया। इन हमलावरों का मुंह मोड़ दिया गया और कहा जाता है कि कुछ हमलावर हलाक भी हुए। हमारे पक्ष में आसाम राइफ़ल्स के दो जवान मारे गए और तीन ज़ख्मी हुए। लुंगलेह के सब डिवीज़नल आफ़िसर को घेर लिया गया था और उसका अभी तक पता नहीं चला। लुंगलेह से प्राप्त होने वाली नवीनतम सूचना के अनुसार अब वहां स्थिति काबू में है।

मार्च को सूर्योदय-पूर्व 2.00 बजे बहुत से लोगोंने एजल के टेलीफ़ोन ऐक्सचेंज पर हमला किया और एक घंट बाद 100-150 व्यक्तियों ने जिला कोषागार पर भी हमला किया और 10 राइफ़लें दो संगीनें ·303 के कुछ कार्तूस और कोषागार के एकमात्र ताले में से नकदी भी ले गए। उन्होंने दुहरे ताले को तोड़ने की कोशिश की किन्तु कामयाब नही हो सके।

पहली मार्च को सूर्योदय-पूर्व 1.30 बजे लाठियों से लैस 100-150 आदमियों के दलने ईरागते में लोक निर्माण विभाग के ऐस० डी०ओ० को घेर लिया और उन्हें जिले से बाहर निकल जाने को कहा। भीड़ ने चौकीदार से चाबी ले ली और विभागीय भाण्डर तथा जीप पर कब्ज़ा किया। चिनुलुआंग और चांगते में भी ऐसे ही घटनाएं हुई जिनमें मिज़ो नेशनल फ्रंट के अनेक व्यक्ति मारे गए। इन घटनाओं का पूरा विवरण अभी एकत्रित किया जाना है, किन्तु मुझ मुख्य मंत्री से ज्ञात हुआ है कि एजल में स्थिति अब पूरी तरह काबू में है। सिलचर डिवीजन के कमिश्नर, आसाम राइफ़ल्स के महानिरीक्षक और सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी वायुयान द्वारा एजल पहुंच गए हैं ताकि वे मौके स्थिति की वास्तविकता का अनुमान लगा सकें जिसके प्राप्त होने पर आसाम सरकार नागरिक प्रशासन को लागू करने तथा नागरिकों को जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा देने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगी।

इन दो दिन की घटनाओं का पूरा चित्रण अभी स्पष्ट होना है। फिर भी इस नतीजे पर पहुंचने के लिये काफी सबूत है कि ये कार्यवाहियां मिज़ो राष्ट्रीय मोर्चे के गुमराह अतिवादी तत्वों के अपनी स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करने के आंदोलन का हिस्सा है। मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं कि अराजकता की कोई भी कार्यवाही, चाहे किसी की तरफ़ से ही क्यों न हो, सख्ती के साथ दबा दी जायगी। सरकार उस क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा अन्य कल्याण-कारी कदमों के बारे में किसी भी शिकायत पर विचार करने के लिये हमेशा तैयार है किन्तु सत्ता के खिलाफ़ नफ़रत और अवज्ञा का फैलाना सहन नहीं करेगी।

श्री हेम बरुआ : यह बहुत गम्भीर मामला है। नागाओं के साथ सरकार ने नम्र नीति बरत कर यह हालत कर दी कि वे पाकिस्तान जा रहे हैं और वहां से शस्त्र ला रहे हैं। क्या सरकार यही गलती दोहराना चाहती है?

श्री नन्दा : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि इन मामलों में सख्ती से कार्य करना चाहिये। मुझे आशा है कि यही सब कुछ होगा।

श्री हेम बरुआ : मेरी सूचना के अनुसार आसाम की सरकार ने भारत सरकार के गृह-कार्य मंत्रालय को उन व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने को लिखा है जो पाकिस्तान शस्त्रों के लिये जाते हैं परन्तु केन्द्रीय सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है।

श्री नन्दा : यह कदम उठा रही है।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आसाम के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के अनुसार कुछ पुराने फौजी इन आक्रमणों में शामिल थे। क्या सरकार उनकी पैन्शन आदि रोकने की कार्रवाई करेगी ताकि व ऐसा गैर कानूनी कार्य न करें?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य की सूचना ठीक है। कुछ भूतपूर्व सैनिक मिज़ो नेशनल फ्रन्ट में हैं। इस लिये जो करना चाहिये वह किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh (Kairan) : Have Government ever realised that since Assam Government is a small Government to look after all these affairs and so the Home Minister should take it all in his hand ?

Shri Nanda : All possible help required by the Assam Government will be provided to them.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : क्या सरकार को कुछ पता है कि इस राष्ट्र विरोधी पहाड़ी कबीले के पीछे कोई और संस्था भी है?

श्री नन्दा : एक और संस्था है वह है मिज़ो नेशनल काउन्सिल।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मंत्री महोदय के वक्तव्य से तो खतरा बहुत अधिक दिखाई देता है। क्या यह सच है कि राज्यकोषों को लूटने वालों की संख्या 10,000 थी। और कुछ अधिकारी अभी तक उनकी पकड़ में है और क्या पाकिस्तान का भी हाथ इस में है। यदि एसा है तो फिर उस धारा का क्या बना जिसमें पाकिस्तान के कहा था कि एक देश दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप ने करेगा?

श्री नन्दा : मैं ने कहा है कि एक अधिकारी का पता है। यह भी पहले समाचार था कि यह लोग पाकिस्तान से शस्त्र ले रहे थे। यह हस्तक्षेप की बात पीछे हुई थी।

श्री हेम बरुआ : आपको इसका कुछ पता नहीं।

श्री नन्दा : मैं सारा ब्यौरा नहीं दे सकता परन्तु यह बातें हो रही थीं। मुझे विश्वास है कि राजनैतिक स्तर पर यह मामला सुल्झा लिया जायेगा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या हम पाकिस्तान सरकार को इस बात में नहीं बांध सकते कि उन्होंने ऐसा आश्वासन ताशकन्द घोषणा में दिया हुआ है? मुझे यह भी बताओ कि आक्रमण करने वालों की संख्या कितनी थी? समाचार पत्र तो 10,000 कहते हैं।

श्री नन्दा : यह 10,000 नहीं है। इनकी संख्या अधिक से अधिक 1300 होगी या फिर इस में 200 और जोड़ दीजिये। वैसे पाकिस्तान के विरुद्ध हम अपने अधिकार मनवाके छोड़ेंगे।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या सरकार को पता है कि आसाम राईफल्स में मिज़ो लोगों की बहुत बड़ी संख्या है? मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को पता है कि एक हरंगनवना नाम का बर्मा का एक भूतपूर्व संसद सदस्य अपने साथियों सहित मिज़ो जिले में एक व्यापारी के यहां ठहरा हुआ है जिसका नाम ज़गना है?

श्री नन्दा : जहां तक आसाम राईफल्स का सम्बन्ध है उनमें मिज़ो लोग है और यह अच्छा है। और वे समय पर वफादार रहे हैं। दूसरे मामले की मैं पड़ताल करूंगा।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या यह सच है कि मिज़ो नेशनल फन्ट एक सैनिक संस्था है जो एक स्वतंत्र मिज़ो राज्य की मांग करता है और जिस में बहुत से व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक हैं और वे उस मिज़ो रेजिमेन्ट से सम्बन्ध रखते है जिसे अंग्रेज़ों ने इस लिये तोड़ दिया था कि उन्होंने बहुत अपराध किये थे ?

श्री नन्दा : यह जाना गया है कि उस में बहुत से भूतपूर्व सैनिक हैं जो पहले अंग्रेज़ों ने विघटन कया था और वे स्वतन्त्र मिज़ो राज्य चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Mongher) : In reply to my question two days back the Foreign Minister stated that tendencies for violent revolution were increasing in other hilly parts of Assam. I want to know what solid steps Government are taking to dispel this feeling away those people that when they resort to violent action the Government holds talks with them ?

Shri Nanda : All such tendencies will be crushed with heavy hand and possible steps will be taken in this direction.

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्तशासी जिले) : गृह कार्य मंत्री को पता है कि मिज़ो लोग भी आसाम के दूसरे पहाड़ी क्षत्र के लोगों के साथ एक पहाड़ी क्षेत्री का अलग राज्य मांग रहे हैं जो भारत का अंग होगा। इसके उत्तर में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इन लोगों को एक पूर्ण-तया स्वायत्तशासी राज्य देना मान लिया था। एसे ही एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग ी मान ली थी। आज तक सरकार ने उन वचनों को पूरा करने की दिशा में कछ नहीं किया है। फिर सरकार मिज़ो लोगों को ही इन बातों के लिये क्यों बदनाम करती है तथा स्थिति को सामान्य करने के लिये क्या सोच रही है।

श्री नन्दा : मैं सदस्य महोदय की बात समझता हूं परन्तु यह कहां की बात हुई कि छोटी छोटी शिकायतों के लिये देश अलग होने की मांग हो। सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक स्वयत्तशासन का सम्बन्ध है, सदस्य महोदय को पता है कि एक आयोग इस कार्यको कर रहा है जो अपना कार्य शीघ्र पूर्ण करने वाला है।

श्री स्वैल : मैं एक सुझाव दूंगा कि गृह कार्य मंत्री की शान के यह बात लायक नहीं है कि वह दूसरों के कहने पर चले।

श्री नन्दा : इसमें दूसरों की बात पर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी के पास कोई सूचना हो या माननीय सदस्य जो कि आसाम से सम्बन्ध रखते हैं उनके पास कोई सूचना हो और वे मुझे उसे दें तो म उसका उपयोग करूंगा।

श्री हेम बरुआ : हमारा सम्बन्ध भी आसाम से है। आप हमें क्यों भूलते हैं?

श्री नन्दा : माननीय सदस्य ने अपने पहले प्रश्न में बड़ी ही उपयोगी जानकारी दी है। मेरा विचार है कि जो कुछ किये जाने की आवश्यकता है वह किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि जहां तक मिज़ो जिले में संचार और दूसरी कल्याणकारी सुविधाओं के विकास का सम्बन्ध है, हमें ज़ोर-दार कार्यवाही करनी होगी।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : क्या यह सत्य है कि मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के लड़ाकू बर्मा-मिज़ो सीमा पर एक सेना बना रहें है और उसको बर्मा के साम्यवादी विद्रोहियों की सहायता से प्रशिक्षण दे रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने बर्मा सरकार का ध्यान भारत-बर्मा सीमा पर

[श्रीमती रेणुका बड़कटकी]

नागा विद्रोहियों, मिज़ो विद्रोहियों और अन्य आदिम जाति तथा साम्यवादी विद्रोहियों की इस कपट-सन्धि की ओर दिलाया है और क्या सरकार ने बर्मा सरकार से इन क्षेत्रों के साफ किये जाने के लिये सहयोग के लिये आग्रह किया है ?

श्री नन्दा : जी, हां। इन मामलों के सम्बन्ध में बर्मा सरकार ने सहयोग देने का वचन दिया है। मिज़ो नेशनल फ्रन्ट के सदस्यों का संपर्क पाकिस्तान व बर्मा दोनों से है और उनका यह विश्वास है कि दोनों ओर मिज़ो हैं जिनके सामने वे स्वतंत्रता का व्यापक चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं जो एक बिलकुल असंगत बात है।

श्रीमती बड़कटकी : क्या वे विद्रोहियों की सेना बना रहे हैं ?

श्री नन्दा : जहां तक मिज़ो लोगों का प्रश्न है, बर्मा में कोई ऐसी सेना नहीं है।

Shri Tyagi (Dehara-Dun) : Is it a fact that when the Hill Area Commission, Pataskai Commission visited that area in the first week of February, not only the Mizo National front who were already violent but also the Mizo National Union who are in power and are responsible for the Hill Council bycotted this Commission did not come to meet the latter and kept their office closed, so that none of their men came to attend office? After that, did Government not come to know of the murdur of Lalmana by the Laldonga hostile party in the heart of the market? Since there is no ordnance factory there and they are still receiving arms and rifles, what has Government been doing all this time? Can Government assure the House that the situation will now be dealt with strongly and Government will admit no defeat in the matter and will not yield for a compromise with the rebels ?

Shri Nanda : In addition to the search being made for possession of such private and unauthorised arms there, the arrangements of the Assam Rifles or the Armed Police there are also being further strengthened.

Shri Tyagi : What action has been taken all this time ? Kindly reply.

Shri Nanda : The Assam Government as also our Government were aware of the developments that were taking place in connection with arms and training. Government adopted a line of action. The moderate element in the Mizo National Front does not want violence but its influence has slowly decrease and now the rival extremes of element in their council is gaining ground. We are making arrangement to cope with them. In regard to the boycott of the Commission I would say that it is not the Mizo National Union but the Mizo Union which did not cooperate and they not only bycotted tneCommission but also allowed holiday to their office establishment for all the three days.

Shri Tyagi : I want a clarification. The question is not confined to this that they allowed holiday to their office people. I want to know whether it is a fact or not that they closed down their office and also did not meet the Commission.

Shri Nanda : That is true.

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : माननीय गृह मंत्री ने अभी कहा है कि वह एक मात्र उदाहरण नहीं था बल्कि ऐसी घटनायें लगातार हुई हैं। हमारे पास सशस्त्र सेना, सशस्त्र पुलिस व आसाम राइफल्स इत्यादि हैं तो क्या सरकार को विश्वास है कि आसाम में सरकार ठीक से कार्य कर रही है और प्रशासन अच्छी तरह चल रहा है ? क्या सरकार को इन घटनाओं की जानकारी पहले से नहीं मिल पाती ? यदि सरकार के पास कोई जासूसो की व्यवस्था होती तो विद्रोहियों की गतिविधियों को सरकार पहले ही समाप्त कर सकती थी।

श्री नन्दा : ऐसा नहीं है कि उधर उस क्षेत्र में घटनायें होती रहीं थीं। अभी तो प्रारम्भ ही है और हम मामले को और अधिक नहीं बढ़ने देना चाहते। सेना इत्यादि की आवश्यकता वहां है और सरकार इस बात को समझ रही है तथा हर तरफ उचित कार्यवाही भी की जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The honourable Minister says that certain good elements are coming forward. Why did Government not take any action in connection with those who came forward with arms ?

Shri Nanda : We have been taking action against such rebels.

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मिज़ो परिषद और मिज़ो संघ के लोगों द्वारा आग लगाने, लूटने और कत्ल करने की कार्यवाहियों को देखते हुये, सरकार इन को दंड देने और इन संगठनों को अवैध घोषित करने तथा इन कार्यवाहियों में भाग लेने वाले लोगों पर सामूहिक जुर्माना करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

श्री नन्दा : मिज़ो संघ हिंसात्मक कार्यवाहियों में भाग नहीं लेता उनकी भारतीय संघ में पृथक राज्य के लिये मांग है। वह लोग संवैधानिक ढंग से कार्य करते आ रहे हैं। दूसरा संगठन भी है जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। दोनों में जो भेद है उसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

श्रीमती सावित्री निगम : मैंने सामूहिक जुर्मानों तथा दूसरी बातों के बारे में पूछा था।

श्री नन्दा : यदि आवश्यकता होगी तो सामूहिक जुर्माने किये जायेंगे।

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : क्या सरकार ने जिले में और जिले के बाहर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिये कोई क़दम उठाये हैं और विद्रोहियों को नष्ट करने के लिये कुमक भेजी है ?

श्री नन्दा : कुमक भेज दी गई है तथा दूसरी सहायता के लिये व्यवस्था की जा रही है।

रेलवे आय व्ययक 1966-67—सामान्य चर्चा—(जारी)

RAILWAY BUDGET, 1966-67—GENERAL DISCUSSION—(*Contd.*)

श्री शिंकरे (मारमागोआ): जैसा कि मैं पहले कह रहा था रेल विभाग में हिसाब किताब का बड़ा अजीब तरीक़ा है। व्याख्यात्मक ज्ञापन-पत्र परिशिष्ट 1 में भारतीय रेलों का सन्तुलन-विवरण दिया हुआ है। उस में दायित्व पहले दिये हुये हैं और परिसम्पत् बाद में दिये हुये हैं। दायित्व के अन्तर्गत पांच मदें दी हुई हैं जिन में से कुछ को समझ में नहीं आता क्यों दायित्व कहा गया है। मद 1(ग) में वह मशीनरी और सज्जा है जो मुफ्त प्राप्त हुई है। यदि वे मुफ्त आई हैं तो उन्हें दायित्व क्यों कहा जा रहा है?

मद् संख्या 2 में अवक्षयण संचिति निधि, राजस्व संचिति निधि, विकास निधि, निवृत्तिवेतन-निधि, इत्यादि दिये हुये हैं।

[**श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए**
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

यह निधियां किस प्रकार दायित्व होते हैं ? यदि यह निधियां "दायित्व" के शीर्षक के अन्तर्गत दायित्व हैं तो "परिसम्पत्" के शीर्षक के अन्तर्गत किस प्रकार परिसम्पत् हैं ? यह बहुत अजीब बात है। एक ही सन्तुलन-विवरण में कुछ मदें दायित्व भी हैं और परिसम्पत् भी। यही बात अधिकोष लेखा पर भी लागू होती है।

सभापति महोदय : लेखापरीक्षकों की निगाह से भी यह बात छूट गई है।

श्री शिंकरे : डा० राम सुभग सिंह कृपया बतायें कि रेलवे संचित निधि, मुफ्त प्राप्त की हुई मशीनें, और रेलविभाग के खाते में जमा रुपया है किस प्रकार दायित्व कहे जा सकते हैं। व सर्व परिसम्पत् हैं और "परिसम्पत्" के शीषक के नीचे दिये गये हैं। इस प्रकार का लेखा भ्रामक है और यदि कोई गोल-माल होता है तो वह और भी उलझा हुआ दिखाई देता है।

यदि रेल विभाग की एक सुव्यवस्थित उपक्रम माना जाये तो उसे राष्ट्रीय कोष में कम से कम 350 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का अंशदान देना चाहिये क्योंकि यह राशि भी श्री अशोक मेहता के अनुसार सरकारी उपक्रमों से होने वाले युक्तियुक्त लाभों से कम ही है। पिछले दिसम्बर में रेलवे सम्मेलन समिति ने क़रीब 133 करोड़ रुपये की राशि के अंशदान को बहुत असाधारण बताया था। परन्तु अवक्षयण तथा अन्य निधियां मिल कर भी 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। इस में भी संदेह है कि यह राशि अनुमानित आमदनी से मिलेगा या कई भागों में केन्द्रीय सरकार से कर्ज़ों के रूप में और रेल यातायात से आमदनी के रूपमें प्राप्त होगा।

अतः रेल विभाग को चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में वह अपने जमाखाते में रेलों के कुल विनियोजन का 10 प्रतिशत से कम नहीं दिखायेंगे। अतः इस प्रकार क़रीब 350 से 420 करोड़ रुपयों की राशि का योग आयेगा। परन्तु मंत्री महोदय कहेंगे कि रेल विभाग ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं समझता हूं कि केवल चुनाव में जीतने के लिये इस बार रेल किराया नहीं बढ़ाया गया है। वे जानते हैं कि अब किराये में वृद्धि परिपूर्णता पर पहुंच गई है और अब अधिक किराये बढ़ाये जाने की गुन्जाइश नहीं है। यदि माल भाड़े की दर में वृद्धि की जायेगी तो अगले 10–15 वर्षों में रेल विभाग की आय 1,000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होने की आशा है। और इस आधार पर 1,000 करोड़ रुपयों के आधार पर भी केन्द्रीय राजस्व में रेल द्वारा मेरी बताई गई राशि के बराबर अंशदान दिये जाने की आशा नहीं है। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिये। उस का मुख्य कारण यह है कि प्रशासन पर अधिक व्यय हो जाने के कारण रेल विभाग युक्तियुक्त अंशदान नहीं दे सकता। यह बात सभी जानते हैं कि किसी उपक्रम के 100 वर्षों तक कार्य करने के बाद उसका प्रशासन के ऊपर खर्चा 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। यदि 15% भी व्यय किया जाये तो रेल विभाग में प्रशासन पर कुल व्यय 80 करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिये क्योंकि कुल अनुमानित आय 800 करोड़ रुपये से कुछ कम है और 15 प्रतिशत की दर से प्रशासन पर खर्च 120 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये। परन्तु प्रशासन कार्यों के लिये मांगों का योग 200 करोड़ रुपये से अधिक आता है। इसका मतलब यह है कि रेलों की कुल आय का 25 प्रतिशत प्रशासन पर जिस मे वेतन के बिल भी शामिल हैं खर्च होता है। शायद श्री पाटिल कहेंगे कि यूरोप और अमरीका की अपेक्षा हमारा रेल विभाग हानि न दिखा कर लाभ दिखा रहा है परन्तु विदेशों की हमारे देश से तुलना नहीं की जा सकती और न वे हमारे लिये माप-दंड ही हो सकते हैं। यूरोप के बहुत से प्रगतिशील देशों में रेल यात्रा अब विलास की चीज़ है क्योंकि वहां सड़कें बहुत ही उच्च कोटि की होती हैं और मोटरों इत्यादि के लिये ईंधन भी सस्ता है तथा रेलों में लोग तब यात्रा करते हैं जब उनके पास कुछ अवकाश होता है। यूरोप में अधिकांश यात्रा मोटर गाड़ियों द्वारा ही की जाती है। वहां पर माल के लाने-लेजाने के लिये भी रेल के स्थान पर मोटर यातायात को अच्छा समझा जाता है क्योंकि बड़े बड़े ट्रक टेले 100 टन माल एक समय में ही ले जा सकते हैं।

अब मैं उन बातों पर प्रकाश डालूंगा जो विशेष रूप से गोआ से सम्बन्धित हैं। दोनों माननीय मंत्रियों को यह अच्छी तरह पता है कि गोआ में 40–50 लम्बी एकहारी मीटर गेज की रेल लाइन है। वे यह भी जानते हैं कि गोआ से 60 से 70 लाख टन भार लोहा प्रति वर्ष निर्यात होता है। इस में 10 लाख टन-भार लोहा रेल द्वारा लाया-ले जाया जाता है। अतः यहां बड़ी लाइन की बहुत आवश्यकता है। इस से गोआ के लोगों को ही लाभ नहीं होगा बल्कि सम्पूर्ण रेल विभाग को अधिक आय होगी। गोआ में रेल की कुल दूरी 40 मील के लगभग है परन्तु जहां जहां नयी परियोजनायें चालू की जा रही हैं रेलों की दूरी 200 मील से अधिक है। अतः रेल मंत्री को चाहिये कि वे गोआ में वर्तमान रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के काम को सब से अधिक प्राथमिकता दें।

केरल में भी रेल लाइनों को बढ़ाने के काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी ताकि वहां की अकाल जैसी स्थिति को रोका जा सकता। ज्यादा रेलें होने से रोज़गार भी अधिक मिलेगा। केरल को छोड़ कर देश के अन्य क्षेत्रों में एक लाख की आबादी के लिये 9.5 मील लम्बी रेल लाइन का औसत है। परन्तु केरल में यह औसत 3.5 मील है। जैसा कि मुझे श्री श्रीकान्तन नायर ने बताया है वहां सिलोन और कोचीन जैसे वाणिज्य केन्द्रों को रेल द्वारा एलेप्पी से जो कि समुद्र के तट पर है और बड़ा वाणिज्य केन्द्र है नहीं मिलाया गया है। जब तक रेल विभाग रेलवे बोर्ड को समाप्त नहीं करता और प्रशासन में वर्तमान अत्याधिक कर्मचारियों की संख्या को नहीं कम करता तथा महा प्रबन्धकों को खण्ड स्तर पर स्वायत्त शक्तियां नहीं देता, उसका ख़र्चा नहीं घट सकता।

श्री बाल गोविन्द वर्मा (खेरी) : सर्व प्रथम मैं रेल विभाग को उसकी प्रगति तथा दक्षतापूर्ण कार्य-संचालन के लिये बधाई देता हूं। मैं उन रेल कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने अपने हितों को त्याग कर राष्ट्र के हितों के लिये कार्य किया और मातृभूमि के लिये अपनी जान की बाज़ी लगा दी। मुझे आशा है कि रेल प्रशासन इनके बलिदान और सेवाओं को कभी नहीं भूलेगा और इन कर्मचारियों की भली प्रकार देख भाल की जायेगी।

मैं रेल मंत्री महोदय को भी उनके आय-व्ययक के लिये बधाई देना चाहता हूं हालांकि उन के और मेरे बीच कई मामलों पर मतभेद है। मेरी राय है कि कम से कम कोयला और नमक पर लगाये गये करों को हटा दिया जाये।

रेल मंत्री ने जो आय-व्ययक पेश किया है उस में 798.83 करोड़ रुपये की आमदनी दिखाई गयी है। सब खर्चों और सामान्य राजस्व में अंशदान के बाद 22.19 करोड़ रुपये की बचत दिखायी है। यह बहुत अच्छा है परन्तु रेल विभाग में कुछ बुराइयां भी हैं जिन के कारण उसकी अच्छाइयों को भी बट्टा लगता है। यदि वे बुराइयां दूर कर दी जायें तो दुनिया का कोई भी उपक्रम रेल विभाग के कार्यों का मुक़ाबला नहीं कर सकता।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इस बचत में और भी वृद्धि किस प्रकार की जा सकती है। प्रथम, बिना टिकट यात्रा को जो कि मुख्य लाइनों की अपेक्षा शाखा लाइनों पर अधिक होती है, रोका जाये। उत्तर-पूर्व रेलवे की बलिया से दुखा शाखा लाइन बिना टिकट यात्रा के लिये बहुत बदनाम है। वहां टिकट जांच करने वाले अधिकारी ख़ूब पैसे पैदा करते हैं। यदि इस को रोका जायेगा तो बचत में और वृद्धि होगी।

दूसरे रेल विभाग में लघुचोरी तथा उठाइगीरी इत्यादि से बहुत हानि हो रही है। शायद ही कोई बिक्री सही सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचती होगी। हर व्यापारी और उद्योगपति को उनके माल के चुरा लिये जाने की शिकायत है। अब यह लघुचोरी अधिक बढ़ गई है। सड़क पर माल लाने-ले जाने में चोरी की कोई शिकायत नहीं दिखाई देती। वे माल भी अधिक मात्रा में ढोते हैं। वहां थोड़े से कर्मचारी देख-भाल कर लेते हैं परन्तु रेल विभाग में संरक्षण पूलीस इत्यादि के इतने कर्मचारी होते हुये भी चोरी की इतनी घटनायें होती रहती हैं।

बिना घूस दिये पार्सलों का भेजना भी कठिन हो गया है। पार्सलों को छुड़ाने के समय भी कुछ न कुछ दिये बिना कर्मचारी पार्सल नहीं देते। इसी प्रकार माल डिब्बे भी सम्बध्द अधिकारी को विना काफ़ी घूस दिये नहीं मिलते। रेल विभाग को इन मामलों पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि यह सब बातें रेल विभाग के नाम पर बट्टा लगाती हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने रेल विभाग के खान-पान विभाग में भ्रष्टाचार की चर्चा की है। जब कभी ऐसे मामले मेरी जानकारी में आये, मैं ने रेल अधिकारियों को सोंप दिये थे परन्तु सम्बध्द व्यक्ति को कोई दंड नहीं दिया गया, केवल स्थानान्तरण कर दिया गया। स्थानान्तरण तो सामान्य रूप से होते ही रहते हैं परन्तु अपराधी को कोई दंड अवश्य दिया जाना चाहिये ताकि दूसरे लोग ऐसा करने की हिम्मत न करें। लखनऊ में एक व्यक्ति चीनी की चोरी करता था और वह चोरी करते हुये पकड़ा भी गया था

[श्री बालगोविन्द वर्मा]

परन्तु उसे छोड़ दिया गया और मामले को दबा दिया गया क्योंकि वह एक उच्च अधिकारी का रिश्तेदार था। ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि किसी अपराधी को इस कारण दंड नहीं दिया जा सकता कि वह किसी अधिकारी का नातेदार है तो न्याय किस प्रकार किया जा सकता है।

रेल विभाग में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : उसका क्या नाम है ?

श्री बाल गोविन्द वर्मा : श्री वाजपेयी लखनऊ में खान-पान विभाग में प्रबन्धक थे। सहायक खान-पान अधीक्षक उनके रिश्तेदार थे। शायद उनका नाम श्री मिश्रा था। श्री वाजपेयी कई बार पकड़े गये थे। परन्तु उच्च अधिकारी के रिश्तेदार होने के कारण छोड़ दिये गये थे। यदि ऐसा होता तो न्याय किस प्रकार किया जा सकता है।

अब मैं "कुली" नाम से पुकारे जाने वाले अभागे लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। "कुली" शब्द बहुत ही अपमान जनक है। यह नाम इन लोगों को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने दिया था। रेल प्रशासन ने अभी तक इनका कोई दूसरा उपयुक्त नाम नहीं रखा है।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : कोई एक नाम बताइये।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : आप उन्हें "यात्री सहायक" अथवा "भार-वाहक" कह सकते हैं। रेल विभाग ने अपने पत्र संख्या 409–टी० जी० नई दिल्ली दिनांक 2 मई 1947 द्वारा इन ग़रीब लोगों को कुछ सुविधायें देने का वचन दिया था परन्तु अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस पत्र के अनुसार मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, लाइसेन्स प्राप्त भारवाहकों की सूची बनाया जाना इत्यादि सुविधा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये थी। उत्तर-पूर्व रेल विभाग ने तो बहुत कुछ इन ग़रीबों के लिये किया है परन्तु अन्य रेलों पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। 21–9–1965 के इण्डियन आबज़रवर में प्रकाशित हुये समाचार के अनुसार इन कुलियों को नम्बर भी स्टेशनों पर बेचे जाते हैं।

मेरे पास एक चित्र है जिस में एक कोठरी में सात या आठ कुली ठुसे हुये हैं। इस चित्र को देख कर आप को इन ग़रीबों की दयनीय दशा का पता चलेगा।

मेरे चुनाव-क्षेत्र में लोग काफ़ी समय से पालिया से हसनपुर-कटोली तक रेल लाइन बनाये जाने की मांग कर रहे हैं। मेरे ज़िले का वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और शारदा नदी के कारण कटा हुआ है। इस नदी के कारण उस भाग के लोग दूसरी ओर ज़िला मुख्यालय तक नहीं जा पाते। पालिया से मलानी तक केवल एक लिंक रेल लाइन है परन्तु पालिया उस स्थान से बहुत दूर है जो शारदा नदी द्वारा कटा हुआ है। वहां यह रेल लाइन बनाई जानी चाहिये और पालिया स्टेशन पर प्लेटफार्म भी बनना आवश्यक है। शेड तो वहां पहले ही डाल दिया गया है। रेल विभाग को इन मामलों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Chairman, please have the quorum in the House so that we may see the photograph.

Shri Balgovind Varma : Please don't be impatient. I will lay it on the table. You may see it thereafter.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो चित्र दिखा रहे थे उसे सभा पटल पर रखे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वह अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बाल गोविन्द वर्मा : पालिया स्टेशन पर एक तीसरे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने की व्यवस्था है परन्तु अभी तक उसके बनाने का काम शुरू नहीं किया गया है। अतः यात्रियों को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं।

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho) : I hail from the area which was once known as the Chhathigarh States or the Central India Agency. There is no railway line around there within an area of 100 to 200 miles. Since I hardly know anything in detail about the railways or the rail machinery, I feal it does not belove me to criticise them. But I have been requesting the railway department time and again for the last 17 to 18 years to provide this backward area with railways but nothing has so far been done in the matter.

Khajuraho has a world famous temple and it is a good source of earning foreign exchange also. There is a airport also but hardly two or three passengers arrive daily. It takes two to three days to reach this place by other means of transport but the railway department has given no thought to this matter. There are big diamound ores in this area including Panna. This area continues to backward in the absence of railways. Since I do not want to contest elections in future, I may be here for the last time and may not come again to attend the Parliament, I request the Railway Minister to connect Mahoba with Khajuraho distance of 30 to 35 miles by a railway line so that people from far and near may conveniently go and see Khajuraho.

There is a railway line from Jhansi to Manikpur but none of the stations on this line is connected with any other train. Bhopal is a big capital city now and its area is one lakh and seventyone thousand square miles. It takes two to three days to reach here from that area. I, therefore, request that one express train may be run from Delhi and this train may go *via* Allahabad and upto Calcutta or any other city and may at least cover the Jhansi-Manikpur area. I have been requesting for this for a long time but no action has ever been taken although every time this matter is noted down for taking action thereon. For these reasons it is always difficult for me to find a subject to speak on for I do not want to speak on a subject on which much has already been said. Nor do I want to repeat what I have listened to in previous speaches.

I am thankful to the Railway Minister and this department for the very excelent work done by them at the time of the recent Pakistan attack and I praise the excellent arrangements that were made for the transportation of military reinforcements and supplies.

The Railway Minister has increased frieght.

There is scarcity of foodgrains in the country but the Railway Minister has not declared any reduction in the rates of freight on foodgrains. Had he done so he would have earned applause and exteem for himself but he has missed the opportunity.

I have always said that the more Government controls foodgrains, the more difficulties and inconveniences crop up. If Government declares uniform price of foodgrains throughout the country and lifts controls, the food problem can be solved provided the railways undertake to transport the foodgrains to the scarcity areas. I hope Shri Patil will kindly give his attention to this matter.

Some thirty years back a survey was undertaken from Khajuraho sagar to Damoh *via* Konch Rath but that line is still incomplete.

[Shri R. S. Tiwary]

In my area, there is Singrauli tehsil in district Sidhi. The Railway Department proposes to construct a railway line upto Ahmedabad *via* Katni which involves quite a long distance because that area is not covered. If the line runs direct from Sidhi *via* Satna, Panna, Chhattarpur, Tikamgarh,Lalitpur the total distance will be shorter by at least a hundred miles. I hope the Railway Minister will give his attention to this matter also.

The Railway have a lot of land which is lying unused. If they allow it to be cultivated, then we can have lakhs of acres of cultivable land to help us solve the food problem.

Besides, the railways should help transportation of foodgrains at such places where Government has allowed movement of foodgrains. There are certain foodgrains, the freight on which sometimes is higher than their cost. Railway Department should reduce the rates of freight on such foodgrains till the food problem is solved. This will be very useful for the country. Similarly it will be good if freight on salt and other small commodities is also reduced.

I am very happy to note that the present Railway Budget shows 50 crores of revenue without much increasing the fares and freights. The Railway Minister deserves thanks for this.

I want to impress upon you that arrangements of fans should be done in the Third class Compartments. It is also better if the sanitary conditions of the trains are also improved. I hope the point, I put forward, will be attended to.

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : It is really fortunate that railway income has come up from 25 crores to 770 crores. In spite of that we find the adverse criticism by the people. We are charged to follow the philosophy of scarcity. We must know that we intend to establish Socialist Society in the Government. But we must know that 98 per cent income of the Socialist Countries covers from the source of industries and corporation only 8 per cent comes from the income tax. The point is that we are not having still the Socialist economy in this Country.

We must know that the railways are the biggest and the oldest undertaking in our Public Sector. They are expected to show greater profits and largest amount of contributions to the General revenue of the Country. As far as the Service are concerned they are became top heads. And one of the defects which quite clear tells us that the railway administration is having more supervisory staff. One of the employees of the railway once remarked that there are so many people to look to my work, that it becomes impossible for me to work properly. This is a very important matter which should be properly attended to by the Minister. Cement is also mis-used, which should be saved. There is a proposal before the railways to make sleepers from cement. It is better if this is not put into effect because the use of Cement posed a number of problems.

I am of the opinion that metre gauge should receive greater attention at the hands of the administration. As in the broad gauge, it should also be provided with third class air-conditioned Coaches, I shall also urge that dieselisation and electrification should be undertaken on the meter-gauge also. There should be diesel traction from Lucknow or Kanpur to Gauhati in order to accelerate the speed of the trains. This is very essential for the benefit of the area.

After this I may draw the attention of the House to the conditions of Commercial clerks. These clerks are making money like anything for the railway. But they are not getting the fair deal at this hand of the railway administration. Their pay scales are very low as compared to the heavy responsibilities that have been given to them. If the administration wants these employees to work with honestly, it should increase their pay. I am of the opinion that by refusing to do so, the administration is directly encouraging corruption among them. Kriplani Committee also recommended that the salary of the people increased.

As for the re-employment of the retired people, Railway administration should have very strong policy. Superannuated people should not be re-employed. I have come to know that 200 such people have been employed. I would request the Railway Minister that he should pay attention to this important matter.

We are living in the democratic Society. We should try to do away with inequality. The railway saloons for the officers must be stopped. These saloons should be converted into the ordinary railways compartment. There are more than 800 saloons which should be converted. This will solve an important problem of over crowding when you have Rest Houses for the officers there is no justification to have there saloons. I hope the Minister will look into this matter.

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : मैं रेलवे कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं । उन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष के समय बड़ा शानदार काम किया। उनके काम के लिए देश उनको हमेशा याद रखेगा । मैं बजट का स्वागत करता हूं। रेलवे ने काफी प्रगति की है और यह हर्ष का विषय है कि इसकी परिवहन क्षमता बढ़ गयी है । देश के औद्योगीकरण में रेलवे का बहुत बड़ा स्थान है । यदि रेलवे की प्रगति की ओर समुचित ध्यान न दिया जाय तो योजनाओं की अन्तर्गत जो भावना काम करती है, वह भी समाप्त हो जायगी ।

एक महत्व पूर्ण बात यह है कि रेलवे कई एक दिशाओं में आत्म निर्भर बन रही है। रोलिंग स्टार और ट्रकों के मामलों में हम आत्म निर्भर हो गये हैं। परन्तु हमें यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 3 मार्च, 1966/ 12, फाल्गुन 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the March 3, 1966/Phalguna 12, 1887 (Saka).

GIPN—S1—28 Lok Sabha/67—20-6-67—600